मई : 1974

मूल्य : 50 पैसे

LIBRARY
MINISTRY OF I. & B.

सामुदायिक विकास के कर्णधार

त्रिलोकी नाथ

अट्ठाईस मार्च, 1974 को नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री फखरुद्दीन-अली अहमद ने 1972-73 की अखिल भारतीय ग्रामसेवक प्रतियोगिता में चुने गए सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवकों और ग्रामसेविकाओं को पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवक चुने जाने का गौरव प्राप्त किया कर्नाटक राज्य के धरवाड़ जिले के हंगल विकास खण्ड के श्री एम० बी० हलप्पानवरनाथ ने और द्वितीय पुरस्कार जीता हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पौंटा साहिब विकास खण्ड के श्री पूरन दास रतन ने।

पंजाब में जलन्धर जिले के नूरमहल विकास खण्ड की श्रीमती अजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेविका का प्रथम पुरस्कार मिला और मणिपुर राज्य के इम्फाल पश्चिम-1 विकास खण्ड की कुमारी वाई० बिमोला देवी ने द्वितीय पुरस्कार जीता।

इसी अवसर पर सर्वश्रेष्ठ ग्रामों की घोषणा भी की गई। पंजाब के फिरोजपुर खण्ड का नूरपुर ग्राम प्रथम घोषित किया गया जबकि तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले के भवानी विकास खण्ड का ग्राम कवण्डपड़ी द्वितीय चुना गया। केन्द्रशासित प्रदेश स्तर पर दिल्ली के महरौली विकासखण्ड का ग्राम छत्तर-पुर प्रथम घोषित किया गया।

प्रथम पुरस्कार विजेता 36 वर्षीय श्री हलप्पानवरनाथ कर्नाटक प्रदेश के नरेगल मण्डल में नियुक्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो वे 13 वर्ष से ग्रामसेवक का काम कर रहे हैं पर, इस सर्किल में आए उन्हें अभी डेढ़ साल ही हुआ है। इस सर्किल में 11 गांव है और कुल क्षेत्रफल लगभग 30 वर्ग-मील है। उनका कथन है कि वे अपने कार्यस्थल को मन्दिर के समान पवित्र मानते हैं और किसानों को अपना पूज्य मानकर ही काम करते हैं। यही कारण है कि गांववाले भी इनमें पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं तथा इन्हें पूरा सहयोग देते हैं।

अपनी सफलता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वे किसानों को घर-घर जाकर नई-नई जानकारियां देते हैं और उनकी समस्याओं को खेत पर और घर पर सभी जगह सुनते हैं और समयानुसार सहायता भी देते हैं। किसानों के खेतों पर नए बीज और नई खाद का प्रदर्शन करके उन्हें उनकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं। किसानों को बाहर दौरों पर ले जाते हैं ताकि वे अपने आसपास के सफल किसानों और उन्नत फार्मों को देखकर अपनी उन्नति के लिए भी प्रयत्नशील हों। ऐसा एक दौरा उन्होंने हावणगी बीज फार्म का करवाया था।

जब मैंने उनसे पूछा उन्हें इस कार्य की ओर आने की प्रेरणा कहां और कैसे मिली तो श्री हलप्पानवरनाथ ने बताया

मज़दूर मंज़िल

कुरुक्षेत्र

वर्ष 19 वैशाख 1896 अंक 7

इस अंक में पृष्ठ

सामुदायिक विकास से ही समाज में चेतना का उदय 3
भेंटकर्त्ता : शक्ति त्रिवेदी

युवा पीढ़ी की दृष्टि में पंचायती राज संस्थाएं 5
कुमारी अभिलाषा कुलश्रेष्ठ

हिन्दी ही जोड़ने वाली भाषा 8
डा० निज़ामुद्दीन

समाज की मीठी खाज : मटका जुआ 10
राजेन्द्र कुमार अग्रवाल

घाटियों के घुमन्तू 13
डा० श्यामसिंह शशि

हो रहीं साकार सारी कल्पनाएं (कविता) 14
डा० राम सेवक दीपक

बहुगुणा काम चाहते हैं और निर्णयों पर तुरन्त कार्यवाही 15
अशोक जी

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता परिषदें 16
एस० वाई० कृष्णास्वामी

राजकीय पशु प्रजनन एवं वृषभ पालन केन्द्र 18
यशदेव शर्मा

कृत्रिम वर्षा क्यों और कैसे ? 20
भारत भूषण डोगरा

सहयोगियों की राय 22

पहला सुख निरोगी काया 23
ललितेश कश्यप, हकीम चुन्नीलाल, डा० युद्धवीर सिंह

श्रम की सफलता (कहानी) 26
तारादत्त निर्विरोध

बन्धु आओ (कविता) 27
प्रदीप शुक्ल

साहित्य समीक्षा 28
शिशुपाल सिंह त्यागी, राममूर्ति कालिया

छोटा काम : बड़ा काम (रूपक) 29
मोहनसिंह भाटी

केन्द्र के समाचार 32

राज्यों के समाचार 34

बहुफसली कार्यक्रम, क्यों और कैसे ? 36
कुसुम बाजपेयी

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि, (सामुदायिक विकास और सहकारिता) मन्त्रालय, 467 कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपए

सम्पादक :
पी० श्रीनिवासन

स० सम्पादक :
महेन्द्रपाल सिंह

उप सम्पादक :
त्रिलोकीनाथ

आवरण पृष्ठ :
पी० के० सेनगुप्ता

उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा

गेहूं के थोक व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की नीति बदले जाने से लोगों को यह आशा बंधी थी कि इससे गेहूं के दाम गिरेंगे और उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। शुरू शुरू में दाम कुछ गिरे भी पर अब उत्तर प्रदेश से गेहूं के मूल्यों के जो समाचार मिल रहे हैं वे आशाजनक नहीं हैं। लगता है कि वहां ये भाव 180 रुपए प्रति क्विण्टल से 200 रुपए प्रति क्विण्टल तक हो सकते हैं। यदि यही रफ्तार जारी रही तो उपभोक्ता को और भी कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी। अतः जरूरी है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए।

वैसे हमारे देश में उपभोक्ताओं की स्थिति बडी करुणाजनक है। वे व्यापारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार से उनकी वास्तविक आमदनी में घुन लग गया है। जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं के मूल्य चढ़ते जा रहे हैं। जहां एक ओर उपभोग्य वस्तुओं की कमी है वहां दूसरी ओर जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनमें मिलावट होती है। इसका नतीजा यह है कि नित-निरन्तर जनता का स्वास्थ्य क्षीण होता जा रहा है। अब हमारे गांवों में भी पहले जैसे जवान नजर नहीं आते। अगर यही हालत रही तो ऐसा समय आ सकता है जब हमारी सेनाओं में भी, जो ग्रामीण जवानों से बनी होती हैं, सबल सुन्दर जवान देखने को न मिल सकेंगे और फलस्वरूप हमारी रक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ेगी। मिलावट की बदौलत ही कैंसर, टी० बी०, आदि भयंकर रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। बनिया का उद्देश्य हमेशा मुनाफाखोरी होता है। जहां वह वस्तुएं मंहगी करके मुनाफा कमाता है वहां कम तोल करके भी अपना यह अभीष्ट सिद्ध करता है।

यद्यपि मिलावट की रोकथाम के लिए 'खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम', 'बाट और माप प्रतिमान अधिनियम', 'आवश्यक पण्य वस्तु अधिनियम' आदि अनेक कानून बने हुए हैं पर वे सही तरीके से अमल में नहीं लाए जाते। इसके अलावा, देश में ऐसी प्रयोगशालाओं का भी अभाव है जहां खाद्यों में मिलावट की सही जांच-पड़ताल हो सके। लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि अदालतें चाहें तो मिलावट के अपराधियों को सख्त से सख्त सजाएं देकर मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकती हैं। जरूरी है कि कानूनों को सख्ती से अमल में लाया जाए और मिलावट करने वाले व्यापारियों को सख्त से सख्त दण्ड दिया जाए। खाने पीने की अधिक से अधिक वस्तुओं को प्रतिमानीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जाए जिससे नमूनों की आसानी से जांच हो सके। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत से देशों में अलग-अलग विभाग होते हैं। ब्रिटेन में तो इसके लिए अलग से एक मन्त्रालय है। हमारे देश में भी यह जरूरी है कि राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर ऐसे विभाग खोले जाएं।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जहां तक सरकारी कार्यवाही का सम्बन्ध है, सिर्फ अकेले इससे ही काम नहीं चलेगा। उपभोक्ताओं को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं भी कुछ करना होगा। हमारा ख्याल है कि हर क्षेत्र में उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की जाए और बाद में उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों की परिषदों से सम्बद्ध कर दिया जाए। ब्रिटेन का उपभोक्ता संगठन केवल सात आदमियों द्वारा चलाया गया था। व्यापारी बड़ा चालाक होता है और ये उपभोक्ता परिषदें व्यापारियों की चालाकियों का पता लगाने में सरकारी अफसरों की मदद कर सकती हैं, तथा भ्रष्ट अफसरों की शिकायतें उच्चाधिकारियों के पास भेज सकती हैं। सभाओं, प्रदर्शनों तथा अखबारों में विज्ञापनों द्वारा वे जनता को शिक्षित कर सकती हैं। यह भी जरूरी है कि ये उपभोक्ता परिषदें उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए मजदूर, किसान, छात्र और गृहिणियों की भी सहायता लें। साथ ही सहकारी भण्डारों का जाल बिछाया जा सकता है और वे उन्हें कुशलता से चलाने में सहयोग दे सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वह इस तरह के उपभोक्ता संगठनों को सभी सम्भव सहायता दे। इस तरह के उपभोक्ता संगठनों से ईमानदार व्यापारियों को भी लाभ होगा और जनता के कष्टों का भी निवारण होगा।

महेन्द्रपाल सिंह

सामुदायिक विकास से ही समाज में चेतना का उदय

डा० एन० ए० आगा के उद्गार **भेंटकर्त्ता—शक्ति त्रिवेदी**

हाल ही में हुई सामुदायिक विकास की अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का स्थल 'रिपब्लिक ऑफ कोरिया' (दक्षिण कोरिया) की राजधानी सिओल थी। इसमें विश्वभर के 14 देशों से आए लगभग 55 विशेषज्ञों और जानकारों ने भाग लिया। इस सेमीनार में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और समानता स्थापित करने में विश्वभर में सामुदायिक विकास की भूमिका पर चर्चाएं की गईं। एक ही मंच पर विकसित और विकासशील देशों ने बैठकर विचार विमर्श किया और यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं ने भी इसमें भाग लिया।

अनेकों देश जैसे अमरीका, ब्राजील, डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी, घाना, भारत, इजरायल, इण्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड, यूगोस्लाविया आदि ने इसमें भाग लिया। इन देशों के विशेषज्ञों के अतिरिक्त सिओल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं कोरिया विश्वविद्यालय के अनेक विद्वानों ने भी इसमें भाग लिया। विदेशों से आए इन विशेषज्ञों में भारत के प्रतिनिधि डा. एन. ए. आगा भी थे।

उक्त सेमीनार की कार्रवाई के दौरान केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कृषि सचिव डा० आगा को समापन सत्र का उपसभापति भी चुन लिया गया। इस सेमीनार का सभापति अमूमन उसी देश का व्यक्ति होता है, जहां संगोष्ठी की जाती है। डा० आगा ने भारत में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की चर्चा अपने भाषण में की और बताया कि प्रजातन्त्री विकेन्द्रीभूत संस्थाओं के माध्यम से साधनों का सदुपयोग करके हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कार्यक्रम को भारत के लोग पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं।

इस व्यवस्था में जनता को स्वयं अपना विकास करने की प्रेरणा मिलती है और वे अपने द्वारा चुने गए लोगों की संस्थाओं से ही अपने ग्राम विकास या सामुदायिक विकास की योजनाएं स्वयं ही तैयार कराते हैं। इस तरह बुनियाद से ही यह कार्य किया जाता है। इन कार्यक्रम और योजनाओं को कार्यान्वित भी स्थानीय स्तर पर वे ही संस्थाएं कराती हैं। ग्राम स्तर से लेकर विकास खण्ड, जिला और राज्य स्तर तक इन्हीं लोकतन्त्री स्वेच्छा सेवी ग्राम संस्थाओं के माध्यम से भारत में सामुदायिक विकास कार्य चलाया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए डा० आगा

प्रश्नोत्तर में अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार और भारत से सम्बन्धित सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी भेंटवार्त्ता हमारे पाठकों के लिए यहां प्रस्तुत है :—

प्रश्न : डा० आगा ! क्या मैं पूछ सकता हूं कि समाज में साम्य और शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से सभी राष्ट्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता उचित है। अपने अनुभवों के आधार पर इस दिशा में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : हर राष्ट्र का उद्देश्य वहां की समाजी-आर्थिक स्थितियों के अनुसार अर्थव्यवस्था व लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उनके लिए समृद्ध बनाना होता है। भारत में भी समाज की समाजवादी पद्धति एवं शान्तिपूर्ण ढंग से गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटना हमारा लक्ष्य है। चूंकि हमारे राष्ट्र का प्रजातन्त्री ढांचा हैं, अतः यह सुधार शनैः शनैः ही होगा।

प्रश्न : यह सब कुछ जो हो रहा है, हम अपने देश में देख ही रहे हैं। किन्तु जापान, कोरिया तथा अनेक अन्य छोटे-छोटे देशों ने बहुत ही कम समय में पुराने लबादे को फेंक कर नए-नए तरीके व विकास कैसे अपना लिया ?

उत्तर : जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मंजिल पर पहुंचने का हमारा तरीका और समस्या को सुलझाने का ढंग लोकतन्त्री सत्ता विकेन्द्रीकरण का है। इसमें

अधिकारियों को ग्राम स्तर तथा उससे ऊपर तक पञ्चायतों के माध्यम से विकास का काम करना पड़ता है जबकि कोरिया या ऐसे ही अन्य देशों ने त्वरित तरीकों से सरकार के सीधे माध्यम से संस्थाओं को गति दिलवाकर सामुदायिक विकास का कार्यक्रम चलाया है।

प्रश्न : जैसा कि आप देख रहे हैं कि विकसित और विकासशील देशों की प्रगति की रफ्तार में भारी अन्तर है। ऐसी स्थिति में हम उपलब्ध साधनों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपने देश में द्रुत गति कैसे दे सकते हैं ?

उत्तर : सिओल की इस अन्तर्राष्ट्रीय सामुदायिक विकास की सेमीनार में हमने इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर काम करना तय किया है। इसमें विकासमान और विकसित दोनों ही देश परस्पर सहयोग करेंगे।

प्रश्न : हमारी सरकार कौन-कौन से उपाय कर रही है, जिससे कि हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आत्मनिर्भर और स्वचालित बने ?

उत्तर : जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, सरकार ने इसमें जनसाधारण की अधिक से अधिक कार्य एवं भूमिका रखी है और इसीलिए इस की जड़ें गहराई तक पहुंची हुई हैं। इसी कार्यक्रम की सुविधा के लिए त्रिसूत्रीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था ताकि कानूनी दर्जा देकर इस जन-संस्था को मजबूत बनाया जा सके। समय समय पर इस कार्यक्रम का पुनर्वीक्षण भी किया जाता है ताकि दूसरी कमियों की ठीक-ठीक जांच पड़ताल हो सके। अगर कुछ कमियां नजर आती भी हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समय पर तुरन्त ठीक कर लिया जाता है।

प्रश्न : हमारे देश में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अन्तरराष्ट्रीय सेमीनार से क्या-क्या सहायता मिलेगी और इसके क्या-क्या लाभदायक नतीजे होंगे ?

उत्तर : सामुदायिक विकास कार्यक्रम वास्तव में साधन सामग्री की अपेक्षा मनुष्यमात्र में किया गया एक विनियोग है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य को समाज के बीच अपना स्थान बनाने में समय तो लगता ही है और इस कार्यक्रम से मनुष्य का लोकतन्त्री ढंग से विकास भी होता है इस दृष्टि से पंचायतों के लिए कुछ तकनीकी और कुछ वित्तीय साधन सहायता का प्रावधान रखा है। इन साधनों से विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रश्न : डा० आगा, भारत में सामुदायिक विकास का नमूना और दर्शन तो दोनों ही अच्छे हैं, किन्तु जो कमियां है, वे हैं—ग्रामीण नेतृत्व, स्थानीय प्रेरणा एवं सही पहुंच करने का तरीका, जैसा कि मैं समझता हूं। किन्तु इसके विपरीत कोरिया में, जहां आप रहे, प्रगति करने के क्या अनूठे तरीके पाए, जरा बताइए ?

उत्तर : इतनी संक्षिप्त अवधि की यात्रा के दौरान कोरिया की पूरी सामुदायिक विकास की प्रगति को समझना तो मेरे लिए सम्भव नहीं था। फिर भी, जहां तक मैं समझ सका विकासमान देशों की भी अपनी समस्याएं हैं, और दक्षिण कोरिया उससे मुक्त नहीं है। किन्तु थोड़े से भ्रमण में मैं जो समझा, उससे लगा कि कोरिया ने काफी प्रगति की है।

प्रश्न : डा. आगा, क्या आप बता सकेंगे कि कोरिया के देहाती-जीवन में क्या-क्या परिवर्तन और विकास आप को नजर आया ?

उत्तर : कोरिया के सामुदायिक विकास की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहां की सरकार जन-सहयोग से देहाती लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सतत प्रयत्नशील है।

प्रश्न : कोरिया ने अपने सामुदायिक विकास में कौन सा खास प्रतिमूर्त अपनाया है तथा उसकी क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं ?

उत्तर : कोई भी प्रतिमूर्त देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के फलस्वरूप ही उभरता है। अन्य देशों से बहुत सी अच्छी बातें लेकर भी इनमें मिलानी पड़ती हैं। भारत में भी हम अन्य देशों के अनुभवों का लाभ लेने की कोशिश करते हैं।

प्रश्न : समय के बदलाव के साथ भारतीय और कोरियाई लोगों की आदतों में आपने क्या-क्या भिन्नताएं देखीं ?

उत्तर : दोनों देशों के लोगों में फर्क तो ठहरा ही। आप जानते हैं कि भारत विराट संस्कृति, विभिन्न जाति और समुदायों का विशाल देश है, यहां अनेक भाषाएं 14 भाषाओं के अलावा भी बोली जाती हैं। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद यहां की संस्कृति और सभ्यता में कितनी एकता और तादात्म्य है। किन्तु कोरिया और भारत दोनों ने ही प्रजातन्त्री पद्धति को अपनाया है। इसी पद्धति से दोनों देश अपनी जनता को खुशहाल बनाने में जुटे हैं। यही दोनों का साम्य है।

प्रश्न : कोरिया ने हाल ही में जो अध्यात्म क्रान्ति अपनाई है, उसके पीछे क्या विचार हैं ?

उत्तर : मैंने मन्दिर व धार्मिक संस्थाएं कोरिया में देखीं और लगा कि धर्म और अध्यात्म के प्रभाव की दृष्टि से भी दोनों देशों में काफी साम्य है।

प्रश्न : नेतृत्व और आत्म निर्भरता के बारे में आपने क्या अनुभव किया ? इनका सामुदायिक विकास आन्दोलन में क्या महत्व है ?

उत्तर : **विकास में आत्मविश्वास और स्वावलम्बन** बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चाहे ये आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक

[शेष पृष्ठ 25 पर

युवा पीढ़ी की दृष्टि में पंचायती राज संस्थाएं

□ कुमारी अभिलाषा कुलश्रेष्ठ

इंग्लैंड में हुई 18वीं शताब्दी की गौरवपूर्ण क्रान्ति के बाद ही पाश्चात्य राष्ट्रों में निरंकुश शासक की तलवार की झंकार और राजा के रूप में ईश्वर की श्वांस लेती हुई मूर्तियों की प्रच्छन्न आराधना के पीछे शनैः शनैः एक नवीन जीवनदर्शन की उद्भावना होने लगी थी। जनसाधारण की स्फुरित होती हुई चेतना अपने अधिकारों की मांग करने लगी और राजाओं के अधिकार परिसीमित होते गए। 'व्यक्ति की पवित्रता अनुल्लंघनीय है' यह सिद्धान्त दबे रूप में उभरकर आने लगा था। व्यक्ति ने अपने महत्व को समझ लिया और धीरे-धीरे उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली शासन प्रणाली के रूप में लोकतन्त्र का जन्म हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कमेटी अविकसित राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास की विधियों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में कहती है कि मनुष्य ने प्रशासन उसके संचालन में भाग लेकर ही सीखा है इसलिए उन देशों में वे इसके अभ्यस्त अधिक शीघ्र हुए जिनमें स्थानीय स्वशासित संस्थाएं अधिक विस्तृत हैं। अतएव भारत के कर्णधारों ने भी स्वस्थ स्थानीय स्वशासन की स्थापना को प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया और गांवों में पंचायती राज की व्यवस्था की। पंचायती राज का यह विचार मूलरूप में भारत के अतीत से सम्बद्ध है जहां ग्राम प्राचीनकाल से ही एक पूर्ण स्वशासित इकाई के रूप में कार्य करते रहे हैं। सर चार्ल्स मेटकाफ के शब्दों में 'अनेक क्रान्तियों तथा परिवर्तनों के बीच राष्ट्र को एक बनाए रखने का सबसे अधिक श्रेय इन ग्राम सभाओं को है जिनमें प्रत्येक गांव अपने आप में एक छोटा राज्य होता था। ये छोटे ग्राम एक स्वतः गणतन्त्र होते थे।' ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत केन्द्रीकरण की नीति अपनाए जाने के कारण पुराकाल की परम्परा खण्डित हो गई। किन्तु वर्तमान रूप में पंचायती राज की स्थापना की योजना बनाने का श्रेय सन् 1957 में बलवन्त राय मेहता के नेतृत्व में गठित मेहता समिति को है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 'सरकार को कतिपय कर्त्तव्यों तथा दायित्वों से अपने आपको मुक्त कर लेना चाहिए और उन्हें किसी ऐसे निकाय को सौंप देना चाहिए जिन पर उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर सम्पूर्ण विकास कार्य का पूरा भार होगा और सरकार के पास केवल पर्यवेक्षण तथा उच्चतर आयोजन का काम रहना चाहिए।' उक्त सुझाव के अन्तर्गत मेहता समिति ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया जिसमें तीन प्रकार की ऐसी संस्थाएं स्थापित करने की सिफारिश की गई जो परस्पर सम्बन्धित हों :—

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, 2. विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और 3. जिला स्तर पर जिला परिषद।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज की स्थापना करके गांवों के सामुदायिक विकास की आयोजना की गई। इस व्यवस्था में शक्ति का वितरण नीचे से ऊपर किया गया है अर्थात् केन्द्र के पास (आपद्कालीन स्थिति के अतिरिक्त) सबसे कम शक्ति का विधान है। इसकी सबसे पहली इकाई गांव सभा है जिसके सदस्य 21 वर्ष की आयु व उससे अधिक के सभी स्त्री पुरुष होते हैं। गांव पंचायत गांव सभा की निर्वाचित कार्यकारिणी है और उसके प्रति उत्तरदायी है। वह स्थानीय जनता की सुविधा व उन्नति के लिए कार्यक्रम बनाती है तथा उसे कार्यान्वित करती है। गांव सभा व गांव पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि 'प्रधान' कहलाता है। कई गांवों को मिलाकर विकास खण्ड का नाम दिया जाता है और सम्पूर्ण विकास खण्ड के गांवों के प्रधानों को लेकर क्षेत्र समिति बनाई जाती है जिसके द्वारा विकास खण्ड की उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जिन्हें साधनों की कमी और अन्य कारणों से गांव स्तर पर पूरा करना कठिन हो। पंचायतों के प्रधानों के अतिरिक्त संसद व विधान सभा के सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, महिला व हरिजन प्रतिनिधि भी विभिन्न कारणों से 'क्षेत्र समिति' में रखे जाते हैं। यह क्षेत्र समिति भी अपना एक 'प्रमुख' चुनती हैं। जिले के सब प्रमुखों व कुछ और सदस्यों को मिलाकर 'जिला परिषद्' का निर्माण किया जाता है जो उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करती है, जिन्हें विकास खण्ड स्तर पर भी नहीं सुलझाया जा सकता।

लोकतन्त्र को जनता का शासन कहा जाता है। यह साधारण मनुष्य की प्रबुद्धता और विवेक में पूर्ण आस्था की घोषणा करता है। पश्चिम की भांति यह प्रणाली भारत के जीवनदर्शन में अवस्थित नहीं है। अतएव यहां लोकतन्त्र की सफलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ग्रामीण जनता में राष्ट्रव्यापी समस्याओं, सरकार के उद्देश्यों

और उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और अभिरुचि उत्पन्न करना। इसी उद्देश्य से हमारे कर्णधारों ने पंचायती राज की स्थापना की। जैसा कि स्वयं पं० नेहरू ने कहा था "आप मुझे एक स्वस्थ पंचायत, एक स्वस्थ सहकारिता और एक स्वस्थ ग्रामीण स्कूल दे दीजिए आपको प्रजातन्त्र और समाजवाद दोनों निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे।"

इसके अतिरिक्त, लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए ऐसे जन प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है जो अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं, अभ्यर्थनाओं, जीवन स्तर और सांस्कृतिक कलेवर का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हों। ऐसे जननेताओं का निर्माण व्यक्तियों की अपने क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करके और उन्हें अधिकार देकर ही किया जा सकता है।

पंचायती राज के कार्यक्रमों की सबसे विस्तृत रूपरेखा तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिलती है जिसमें गांवों की उन्नति में पंचायती राज कहां तक सफल हुआ है इसके दस अनिवार्य मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं :—

1. कृषि उपज को राष्ट्र के प्रयत्नों में सर्वोपरि स्थान।
2. ग्रामोद्योगों की उन्नति।
3. स्थानीय जनशक्ति और दूसरे साधनों का पूरा पूरा उपयोग।
4. सहकारी संस्थाओं का विकास।
5. शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि।
6. पंचायती राज के साधनों जैसे धन, कर्मचारी, शिल्पज्ञान और दूसरी सुविधाओं का समुचित उपयोग और इनको बढ़ाने के प्रयत्न।
7. गांव के गरीब लोगों की सहायता।
8. धीरे-धीरे अधिकार और काम करने के अवसर अधिकाधिक लोगों को देना और समाज सेवी संगठनों से अधिकाधिक काम कराना।
9. चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों में सहयोग तथा दोनों के लिए उचित कार्य विभाजन द्वारा दोनों वर्गों का विकास कार्य के लिए सदुपयोग।
10. गांवों की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक दूसरे के हित का ध्यान रखने की भावना का प्रसार।

पंचायती राज योजना के उद्देश्य व विस्तृत कार्यक्रम, जिनको लागू हुए आज 11 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, युवा वर्ग को वर्तमान सन्दर्भ में उसका पुनर्मूल्यांकन करने को बाध्य कर देते हैं। भारत में लोकतन्त्र यद्यपि असफल नहीं हुआ है फिर भी भारतीय जीवनतन्त्र और लोकतन्त्र के कुछ अन्तर्विरोधों के कारण पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर स्थापित हमारा लोकतन्त्र अपने उद्देश्य में उतना सफल नहीं हो सका जितनी उससे आशा की गई थी। यदि हम पंचायती राज लागू होने पर देश की स्थिति के विषय में अपने नेताओं द्वारा की गई कल्पना और आज उसके लागू होने पर उसकी वास्तविक स्थिति की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पाते हैं।

वास्तविकता तो यह है कि हमारे ग्रामों का रूप आज एक सामुदायिक इकाई का नहीं रह गया है। प्राचीनकाल की पंचायती व्यवस्था पर आधारित ग्रामों की परम्परा टूटे हुए एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है और वयस्क मताधिकार के कारण राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद, साम्प्रदायिकता और कतिपय छोटी-छोटी विभिन्नताओं को लेकर जनता की भावनाओं को भड़काने के कारण ग्रामीण जीवन विशृंखलित हो उठा है, जिसके परिणामस्वरूप गांवों में गुटबन्दी और दलबन्दी का इतना भीषण प्रकोप दिखाई पड़ता है कि निरपेक्ष रूप से गांव के हित में सामूहिक रूप से विचार करने की प्रवृत्ति विकसित ही नहीं हो पाती। पंचायत और क्षेत्र समितियों के चुनाव ग्राम की उन्नति के लिए बनाए गए विकासशील कार्यक्रमों के आधार पर नहीं अपितु केन्द्रीय और प्रान्तीय समस्याओं के विषय में जनमत को उभारकर लड़े जाते हैं जिसके कारण गांव की उन्नति का उद्देश्य गौण हो जाता है और परस्पर संघर्ष बढ़ता है। इतना ही नहीं, यदि गम्भीरता से देखा जाए तो हमारे गांव आर्थिक दृष्टि से निम्नांकित श्रेणियों में बंटे हुए हैं :—

1. अधिक जमीन वाले जो अपने हाथ से काम नहीं करते।
2. थोड़ी जमीन वाले जो अपने हाथ से भरपूर काम करते हैं।
3. भूमिहीन मजदूर जो अपना श्रम बेच कर पेट पालते हैं।

प्रशासन का कार्य अधिकांशतः उच्च वर्ग एवं धन सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ में रहता है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति उनके आदेश के अनुसार चलते रहते हैं परन्तु निम्न वर्ग जिसे वास्तव में हम अपने देश के 'सामान्यजन' की संज्ञा देते हैं और जिसके लिए दिल्ली में बैठे हमारे कर्णधारों ने इन योजनाओं का निर्माण किया था, आज भी 1 सेर चावल के बदले अथवा अपनी मजदूरी सुरक्षित रखने के लिए, कुछ नहीं तो मालिक को खुश करने के लिए ही अपना वोट बेच देता है और फिर दो जून भोजन की चिन्ता में घुलने लगता है। इस विचित्र विडम्बना का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध सर्वोदयवादी श्री राममूर्ति अपनी पुस्तक 'गांव का विद्रोह' में कहते हैं, 'आज गांव गांव में जो आपसी होड़, प्रतिद्वन्द्विता और गुटबन्दी दिखाई देती है वह बहुत कुछ संस्थाओं पर कब्जा जमाने के लिए होती है। पंचायत अपने हाथ में रहे, स्कूल में अपना बोलबाला हो, बी० डी० सी० कोआपरेटिव में अपना बहुमत रहे, अधिक से अधिक पद अपने और अपने लोगों के हाथ में रहें कुछ लोगों का यही शतरंजी खेल है। सामान्य जन का इस खेल में क्या स्थान है वह स्वयं नहीं जानता और न ही उसके पास फुर्सत है।' यही कारण है कि जिस स्वस्थ राजनैतिक प्रतियोगिता और शासनतन्त्र की कल्पना हमारे

[illegible] में साकार न हो सका।

अब प्रश्न यह उठता है कि इसका कारण क्या है। जहां तक मैं समझती हूं इसका सबसे प्रमुख कारण है युग के सन्दर्भ में तेजी से बदलते हुए गांव की स्थिति को ध्यान में रखकर योजनाओं के संशोधन और संवर्द्धन का अभाव। हमारे गांव तेजी से बदल रहे हैं। आज का गांव पिछली सदियों के गांवों की तरह निश्चल और बाह्य संसार से कटा हुआ नहीं है। डा० सम्पूर्णानन्द के शब्दों में, "संचार साधनों ने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया है एवं लोगों के बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षितिज के द्वार खोल दिए हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों ही में शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। सर्वसाधारण को मताधिकार की प्राप्ति ने और कृषि सम्बन्धी पुरानी पद्धतियों में से अधिकांश की समाप्ति ने लोगों में प्रतिष्ठा की नई भावना भर दी है। गांव अब आत्मसन्तुष्ट इकाई नहीं रह गए हैं। लोग अब नई आवश्यकताएं महसूस करने लग गए हैं जिन्हें कि महज गांव के स्रोतों से ही पूरा नहीं किया जा सकता।' वस्तुतः आज का युग ही सहअस्तित्व का युग है। आज हम जब पूर्ण आत्मनिर्भर राष्ट्र की कल्पना को ही साकार नहीं कर सकते तो पूर्ण आत्मनिर्भर गांव की कल्पना तो व्यर्थ ही है।

हमारा मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण जनता में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और स्थानीय समस्याओं पर विचार करने और उन्हें स्थानीय कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा देना। अतएव कोई आवश्यक नहीं कि ग्रामीणों के सम्मुख उनके ग्राम को एक पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करके उसके हित में कार्य करने की प्रेरणा उन्हें दी जाए। बल्कि यदि कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य अलगाव की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देगा तो भी अत्युक्तिपूर्ण न होगा। इसके स्थान पर सम्पूर्ण भारत को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करके और राष्ट्रीय हित के लिए 'ग्राम की उन्नति अनिवार्य है' इस दृष्टि से ग्रामीणों को कार्य करने की प्रेरणा दी जाए तो अधिक अच्छा होगा। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि ग्राम पंचायतों का निर्माण न किया जाए अथवा उन्हें अधिकार न दिए जाएं परन्तु 'उनका ग्राम एक पूर्ण इकाई है' यह कह कर ग्रामीणों की चेतना को उनकी ग्राम्य समस्याओं में ही संकेन्द्रित न किया जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति की दुनिया में भावनाओं का बहुत महत्व है। सामान्यतः मतदाता और वह भी भारत जैसे देश का, जहां सामान्य जन भोजन-वस्त्र की चिन्ता से ही आक्रान्त है, एक ऐसा ठोस आधार और ऐसी अजस्र भावना दूसरे शब्दों में उसे हम 'प्रेरणा' भी कह सकते हैं, चाहता है जिसे सामने रखकर और जिसके लिए वह कार्य करे और होता भी सदैव ऐसा ही है। वह कोई न कोई ऐसा आधार ढूंढ ही लेता है। यह आधार यदि गलत होता है तो शासक वर्ग की सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत में ऐसा ही हुआ है। सामान्य मतदाता को मताधिकार मिला ग्रामस्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। वह विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रभाव में रहा जिन्होंने गांव की विभिन्न समस्याओं की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया और सरकार से अधिकाधिक सहायता पाने की आशा तथा न मिलने पर विरोध करने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीयता गौण हो गई, क्षेत्रीयता मुख्य बन गई। चूंकि ग्रामीण के सामने राष्ट्र की कोई कल्पना प्रस्तुत नहीं की गई थी इसलिए वह अपने क्षेत्र को ही सब कुछ मान बैठा। सरकार का विचार था कि पंचायती राज की स्थापना से गांव के लोग अपनी समस्याओं पर स्वयं ही विचारेंगे और उनका समाधान करेंगे। परन्तु हुआ उल्टा। इस व्यवस्था से वे छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार का मुख देखने लगे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप करने के स्थान पर सरकारी कार्यालयों में प्रार्थना-पत्र दिए जाने लगे। राज्य कर्मचारियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। गांव के कुछ सम्पन्न व प्रबुद्धजनों के सहयोग से उनके घर भरने लगे। सरकार विदेशों से ऋण ले लेकर झोंकती गई और गांव का साधारण व्यक्ति शोषण की चक्की में पिसता हुआ उदासीन हो गया। अतएव जहां तक मैं समझती हूं ग्रामीणों में राष्ट्रीयता की भावना यदि जाग्रत की जाए, सम्पूर्ण राष्ट्र की कल्पना उनके सम्मुख मूर्तिमन्त की जाए तो वे अपनी पूरी शक्ति के साथ एक उद्देश्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ग्रामों में विद्यमान विभिन्न वर्गों में व्याप्त अलगाव की प्रवृत्ति को समाप्त करना। स्वतन्त्रता के पश्चात् यद्यपि जातिगत ऊंच-नीच को कम करने के बहुत अधिक प्रयत्न किए गए और शहरी क्षेत्रों से यह लगभग समाप्त सी है परन्तु ग्रामीण जीवन में यह आज भी गहराई से अवस्थित हैं। पर, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कानूनी अधिकार होते हुए भी परोक्ष रूप से नीची जाति के ग्रामीण ऊंची जाति के ग्रामीणों के आर्थिक शिकंजे में जकड़े हुए हैं। विनोबा भावे का भूदान आन्दोलन इस विषय में कोई विशेष परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सका। इधर कुछ समय से सरकार भूमि की 'निम्नतम सीमा' निर्धारित करने की योजना पर विचार कर रही है। यह एक उल्लेखनीय कदम कहा जा सकता है। यदि अत्यधिक सम्पन्न और अत्यधिक विपन्न की यह दीवार कम की जा सके तो यह राष्ट्रीय विकास के एक नए अध्याय का शुभारम्भ कहा जा सकेगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र और इस सारे नाटक का सूत्रधार 'सामान्य-जन' है जिसके ऊपर किसी भी योजना की सफलता या असफलता निर्भर करती है, चाहे कितनी भी कुशलता से वह योजना निर्मित क्यों न की गई हो। इससे भी अधिक आवश्यक है कार्यकर्त्ताओं का योजना के विषय में सकारात्मक मत और तदनुरूप उनका कार्य करने के लिए उत्साह। असल में किसी भी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जनसहयोग की भावना का जागरण अनिवार्य है। □

हिन्दी ही जोड़ने वाली भाषा

डा० निजामुद्दीन

हिन्दी की प्रान्तीय भाषाओं से कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं है। शब्दों के आधार पर हिन्दी का इनसे पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्टतः परिलक्षित है। जैसे हिन्दी में संस्कृत शब्दावलि का बाहुल्य है, वैसे ही अन्य क्षेत्रीय या प्रान्तीय भाषाओं में भी संस्कृत शब्दावलि का बाहुल्य है, यथा पंजाबी में 60 प्रतिशत, बंगला में 70 प्रतिशत, गुजराती में 50 प्रतिशत, मराठी में 75 प्रतिशत संस्कृत-शब्द व्यवहृत हैं। अतः हिन्दी न तो किसी एक प्रान्त की भाषा है और न ही उसका किसी वर्ग विशेष से कोई खास सम्बन्ध है। जिन महापुरुषों अथवा लेखकों ने हिन्दी को गौरवान्वित किया, उसे समृद्ध एवं सम्पन्न बनाया, वे अधिकांशतः हिन्दी-भाषी या केवल सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित नहीं थे, वरन वे अहिन्दी भाषी, विदेशी तथा अन्य व्यक्ति थे। अतएव राष्ट्रभाषा हिन्दी पर 'साम्प्रदायिक भाषा' का लेबल लगाना कुवृत्ति एवं संकीर्णता का द्योतक है। जिसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया, वह अहिन्दी भाषी महात्मा गांधी थे।

संस्कृत की 'स्' ध्वनि फारसी में 'ह्' उच्चरित होती है। राजस्थानी की कुछेक बोलियों में 'स' ध्वनि 'ह' के रूप में मिलती है। मध्य प्रदेश में (पश्चिमी भाग में) सौ रुपया को 'हौ रुपया' कहते हैं। फारसी भाषियों में सिन्धु देश को हिन्द और हिन्द के वासियों को हिन्दी तथा उनकी भाषा को हिन्दुई कहना प्रारम्भ किया होगा, डा. इकबाल ने ठीक ही तो कहा था—

'हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तान हमारा'। हिन्दी को खड़ी बोली का नाम देने का श्रेय भी अहिन्दी भाषी और 'प्रेमसागर' के रचयिता गुजराती लेखक लल्लू जी को दिया जा सकता है। उनका 'प्रेमसागर' खड़ी बोली में ही विरचित है। इस प्रकार हिन्दी भाषा (हिन्दुओं की न होकर) सकल भारत-वासियों की भाषा है।

हिन्दी-साहित्य में न तो एक वर्ग या समाज के जीवन की प्रतिच्छाया है और न उसमें किसी एक वर्ग या सम्प्रदाय की प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को रूपायित किया गया है। हिन्दी में ऐसी संकीर्णता नहीं है। उस में वर्ग वैशिष्ट्य न होकर समाज या समष्टि-वैशिष्ट्य है। क्या 'रामचरित मानस', 'कामायनी', 'गोदान' आदि किसी एक सम्प्रदाय की रचनाएं हैं? हम तो यह कहेंगे कि वे देश और काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं, वरन् विश्व की, सम्पूर्ण मानव समाज की अक्षुण्ण सम्पत्ति हैं। हिन्दी साहित्य के विशाल उद्यान को पुष्पित तथा पल्लवित करने में देश-विदेशी खाद-पानी ने सहयोग दिया है, फिर वह कैसे किसी एक वर्ग या सम्प्रदाय की निधि है। हिन्दी साहित्य के उन्नयन में सभी भारतीय साहित्यकारों ने समान योग दिया। अब्दुल रहमान प्रथम कवि थे, जिन्होंने अपभ्रंश में 'संदेशरासक' नामक उत्कृष्ट विप्रलम्भ-काव्य का प्रणयन किया। कुछेक विद्वान् उन्हें हिन्दी भाषा का आदि कवि मानते हैं। उन्होंने दूत-काव्य परम्परा का अभिनव विकास किया। अब्दुल रहमान से एक शताब्दी बाद अमीर खुसरो खड़ी बोली हिन्दी के कवि के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए। उनकी पहेलियां तो अद्यावधि लोकप्रिय हैं। भाषा की सरलता और सुबोधता, विचारों की सुगमता के लिए वह हिन्दी और उर्दू जगत् में लोकप्रिय कवि समझे गए। कबीर की महत्ता भी असन्दिग्ध है। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक वैमनस्य को नष्ट कर दोनों को मानवतावादी भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, बंगला आदि भाषाओं और बोलियों की शब्दावलि बिखरी पड़ी है। उनकी परम-कल्याणी वाणी में, किसी एक वर्ग के लिए सदुपदेशों का आग्रह नहीं, प्रत्युत सभी मनुष्यों की समान रूप में मंगलकामना सन्निहित है। वह मानवतावादी विचार धारा के प्रबल समर्थक हैं तथा विश्वबन्धुत्व की भावना-जाग्रत करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं—

> कह हिन्दू मोहि राम पिआरा,
> तुरुक कहे रहिमाना।
> आपस में दोऊ लरि-लरि मुए,
> मरम काहू न जाना॥

मुसलमान सूफियों का योग भी सदैव स्मरणीय है। यद्यपि सूफी लोग एक विशेष सम्प्रदाय के पक्षपाती अवश्य थे, तथापि उन्होंने हिन्दी-साहित्य की सुर-सरिता में स्नान कर महदनुष्ठान सम्पन्न करने का मूल संकल्प लिया था। उन्होंने अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा हिन्दू और मुसलमानों को जो ऐक्य भावना का पाठ सिखाया, वह स्वतः हिन्दी को असाम्प्रदायिक घोषित करता है। शुक्ल जी ने सूफी कवियों की महत्ता सिद्ध करते लिखा है—

"हिन्दू-हृदय को आमने-सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। उन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियां हिन्दुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से कह कर जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिया।" जीवन में एकता को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का पावन कर्म जायसी प्रभृति कवियों ने सम्पादित किया। जायसी की "पद्मावत" हिन्दी का एक अक्षय कीर्ति-स्तम्भ है। कुतुबन की 'मृगावती', 'मंझन,' 'मधुमालती', उसमान की 'चित्रावली आदि कृतियों द्वारा सूफी-कवियों ने भारत में सर्वप्रथम भावात्मक

एकता स्थापित करने का [illegible] कार्य किया।

यही नहीं, हिन्दी में ऐसे मुसलमान कवि भी थे, जिन्होंने भारत के परमाराध्य कृष्ण भगवान का संपूजन भी भावमय कविता-पुष्पों द्वारा किया है। रसखान का नाम यहां अनायास ही जिह्वा पर आ जाता है। उनकी उदारता पर विस्मय तथा विशालता पर श्रद्धा होती है। वह मुसलमान पठान होकर भी विट्ठल नाथ जी के शिष्य और कृष्ण के परम उपासक थे। 'मानुष हौं तो वही रसखान, बसौं बृज गोकुल गांव के ग्वारन' आदि रसाप्यायित सवैये सहज ही याद आ जाते हैं। रहीम ने कृष्ण को अपना सेव्य मान कर उनकी एकनिष्ठापूर्वक भक्ति की है। अब्दुर्रहीम खानखाना के दोहों में जीवन का व्यावहारिक पक्ष भी सम्यक् रूप में निखरा हुआ मिलता है। उनके दोहे, उक्तियां ऐसी सरस और लुभावनी हैं कि बिहारी आदि विख्यात कवियों पर भी इनकी स्पष्ट छाप है। मुसलमानों में पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी हिन्दी में कविता की है। शेख और ताज ऐसी ही कवयित्रियां रीतिकाल में थीं। दोनों कृष्ण की दीवानी एवं प्रेमिकाएं थीं।

मुसलमान साहित्यकारों ने हिन्दी गद्य को भी समृद्ध किया है। इंशा अल्ला खां की 'रानी केतकी की कहानी' एक ऐतिहासिक महत्व की रचना है। काव्य में जो स्थान अमीर खुसरो का है वही स्थान गद्य में इंशा का है। इंशा ने खड़ी बोली को चटकीली और मुहावरेदार बनाया है। उनकी प्यारी ठेठ घरेलू भाषा का प्रयोग बड़ा आकर्षक है। जहूरबख्श ने बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य की रचना की है। उनकी कहानियां बाल-जगत् में बड़ी लोकप्रिय हुईं। वह साभिमान कहा करते थे कि मैं मुसलिम होकर भी भारतीय हूं और अपने पर इस नाते गर्व करता हूं।" उनका गुलिस्तां-बोस्तां का हिन्दी अनुवाद एक प्रशंस्य उपलब्धि है। उनका 'उर्दू-हिन्दी-कोष' भी अच्छा है। सम्प्रति अनेक मुसलमान साहित्यकार हिन्दी की सम्पूर्ण निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। तमिलभाषी डा० मलिक मुहम्मद और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दी के डा० नजीर के शोधकार्य स्थायी महत्व के हैं। नज़ीर बनारसी, नईम, अलीशेर आदि भी हिन्दी सेवी कलाकार हैं।

अब अहिन्दी-भाषी साहित्यकारों की उदारता एवं सहृदयता की परख कीजिए, जिन्होंने प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना को त्याज्य समझ कर हिन्दी की निर्बाध सेवा की है। यद्यपि रांगेय राघव अहिन्दी भाषी थे तथापि हिन्दी में उन्होंने शोधग्रन्थ से लेकर कहानियां, उपन्यास, काव्य और आलोचना ग्रन्थ प्रस्तुत किए। मामा बरेरकर ने कथा साहित्य में अमर स्थान प्राप्त किया। मुक्तिबोध नई कविता के उन्नायकों में सदैव स्मरणीय रहेंगे। यद्यपि डा० प्रभाकर माचवे अहिन्दी-भाषी हैं, तथापि हिन्दी में आलोचक और कवि के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। मैसूर के मुनि श्री विद्यानन्द 'राष्ट्रमन्त' ने हिन्दी में लगभग 50 पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि 'सुन्दर भाषा, महती परम्परा और उच्च संस्कृति होने पर भी हम मानसिक रूप से दास बने हुए हैं। उर्दू और अंग्रेजी की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि "ये दोनों भारत की आत्मा के साथ एकाकार नहीं हो सकतीं। दूध में पानी तो मिल सकता है, परन्तु अम्लत्व नहीं। भाषा अपनी संस्कृति के साथ रहती है।" श्री आनन्द शंकर माधवन मद्रासी हैं जिन्होंने अंग्रेजी को त्याग कर हिन्दी का सबल समर्थन किया। 'हिन्दी-आन्दोलन' नामक पुस्तक उनके हिन्दी समर्थक व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है। वीर सावरकर ने मराठी-साहित्य का हिन्दी में भाषान्तर कर स्तुत्य कार्य किया। उनकी धारणा थी कि "जिस राष्ट्र में अपनी भाषा का सम्मान नहीं होता, उसकी संस्कृति एवं सभ्यता नष्ट हो जाती है। जो देश अपनी भाषा होते हुए भी दूसरे देश की भाषा पर आश्रित रहता है उसकी संस्कृति समृद्ध नहीं हो सकती।" उषा देवी मित्रा ने, जिनकी मातृभाषा बंगला थी, हिन्दी में बड़ी ही श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कहानियां प्रस्तुत की हैं। "नारी जीवन की समस्याओं का चित्र और बंगला साहित्य की संवेदनशीलता" उनकी कहानियों में मार्मिक रूप में परिलक्षित होते हैं।

अब एक झांकी उन विदेशी साहित्यकारों की भी अवलोकनीय है, जिन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य को उत्कृष्ट बनाने में योग दिया है। सर्वप्रथम डा० ग्रियर्सन और हार्नली के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने भारत की भाषाओं का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। महाकवि तुलसीदास की महत्ता का पाठ हमें ग्रियर्सन से ही प्राप्त हुआ है। हिन्दी-धातुओं का वैज्ञानिक अध्ययन हार्नली का एक विशेष योगदान है। बेलजियम के एक अन्य हिन्दी विद्वान् डा० फादर बुल्के जो सम्प्रति रांची के संत जेवियर्स कालेज में हिन्दी-संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, ने प्रयाग से हिन्दी में एम० ए० कर 1950 में 'रामकथा-उत्पत्ति और विकास' पर डाक्ट्रेट की डिग्री प्राप्त की। जर्मनी में जब उन्होंने 'रामचरितमानस' का जर्मन अनुवाद पढ़ा तभी उनके अन्तःकरण में तुलसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए आज भी वह रामकाव्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं।

इस समय रूस में सर्वाधिक हिन्दी प्रेम संवर्द्धित हो रहा है। भारत की राष्ट्रीयता के साथ भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति रूस की यह सम्मानगर्भित भावना अविस्मरणीय है। हिन्दी के सम्मान्य साहित्यकार वारान्निकोव ने 'मानस' का रूसी अनुवाद प्रस्तुत किया है। डा० बेस्क्रोवनीय ने हिन्दी-रूसी शब्दकोष की रचना की है। रूस में प्रेमचन्द्र के उपन्यास, यशपाल की कहानियां, डा० रामकुमार के नाटक लोकप्रियता तथा ख्याति अर्जित कर रहे हैं। ताशकन्द और लेनिनग्राद के स्कूलों में तो हिन्दी छात्रों की संख्या अहर्निश बढ़ती जा रही है, रूस में गेरसिम लेबिदेव, प्रो० चेलिशेव, डा० दीमशित्स

[शेष पृष्ठ 17 पर

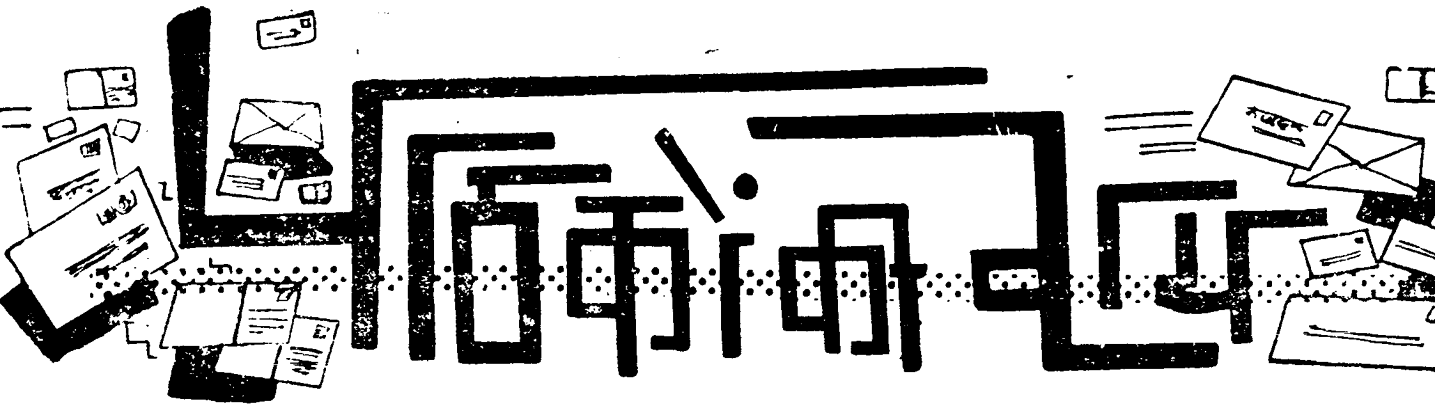

समाज की मीठी खाज : मटका जुआ

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल

कहने की आवश्यकता नहीं कि मटके का जुआ शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए एक जबर्दस्त अभिशाप बनता जा रहा है। दिन भर की कमाई का पैसा या तो दांव पर लगा कर गरीब आदमी मुंह लटकाए घर लौटता है या अगर संयोग से किस्मत अच्छी निकलती है तो फिर दारू की दुकान आबाद करने के बाद पूरी तरह लुटकर ही घर पहुंचता है। यह जुआ बड़े व्यवस्थित ढंग से वर्षों से चल रहा है। दांव लगाने के लिए कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर बस्ती में कहीं न कहीं परची काटने का अड्डा रहता ही है।

इस कारोबार में दस लाख आदमी ऐसे लगे हुए हैं कि जो मटके का केवल बुकिंग करते हैं। लगभग 2 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन मटके पर दांव लगाते हैं और प्रतिदिन यह रकम लगभग 13 करोड़ रु० बैठती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दांव लगाने वालों का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत 6½ रु० जाता है। जिस देश में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी भी 6½ रु० न हो वहां 13 करोड़ रु० प्रतिदिन का जुआ निश्चय ही चिन्ताजनक बात है।

मटका जुआ हर बड़े छोटे कस्बों और शहरों में बड़े सुनियोजित ढंग से चल रहा है। वर्ली बम्बई में एक दिन में दो बार सुनिर्धारित समय पर ताश के पत्ते निकाले जाते हैं और फिर निमिष मात्र में ही उसकी सूचना टेलीफोन द्वारा सब जगह पहुंच जाती है। संचालन केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उसको पुलिस कई बार पकड़ चुकी है और छोड़ चुकी है। 'मटका किंग' कहलाने वाले इन महाशय का कहना है कि किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मटका बन्द नहीं हो सकता, जब तक कि वह स्वयं इसे बन्द न करना चाहे। इस बात में भी कोई दो मत नहीं हैं कि यह धन्धा है बहुत ईमानदारी का। कोई विशेष लिखापढ़ी नहीं पर भुगतान तुरन्त होता है और वह भी बिना किसी हुज्जत के।

दांव केवल गरीब लोग ही लगाते हों ऐसी बात नहीं है। शहरों के व्यापारी बड़े सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी अपने भाग्य की आजमाइश करते हैं। कतिपय सरकारी दफ्तरों में तो कुछ चपरासियों एवं क्लर्कों का काम दिन भर भांति भांति की गणना करके सम्भावित नम्बर निकालना ही रहता है। कई पत्र पत्रिकाएं इसी के बल पर चलते हैं। कहीं 'हफ्ते का राजा' रहता है तो कहीं 'आज की धारणा'। आजकल नए नए ज्योतिषी भी प्रकट हो गए हैं जो सिर्फ सट्टे का नम्बर ही बताते हैं। भांति भांति से लोग सम्भावित नम्बरों का अन्दाजा लगाते हैं। एक घटना मेरे साथ भी घटी। एक सज्जन को मुझे कुछ रुपये देने थे। रुपये जेब से निकालते समय संयोगवश फुटकर पैसों से एक पांच का सिक्का जमीन पर गिर गया वह सज्जन उछल गए और तुरन्त बोले "साहब आज तो पांच लगा दो"। मैंने अचकचा कर पूछा, "क्या"? और वह सज्जन चुप हो गए। शाम को हो सकता है कि उन्होंने उसी नम्बर पर भाग्य आजमाया हो।

बड़े लोग तो हो सकता है कि अपना शौक पूरा करने या भविष्य का अनुमान लगाने मात्र के लिए ही नम्बर लगाते हों पर सबसे बुरी तरह वही वर्ग प्रभावित होता है जिसकी आमदनी 4-5 रु० प्रतिदिन से अधिक नहीं है। इतनी कम आमदनी में सट्टा तो दूर की बात बच्चों के लिए भरपेट भोजन जुटा पाना ही मुश्किल है। पर लत बुरी चीज है। सारे दायित्व पीछे ताक पर रखे रह जाते हैं। कर्ज के भार से दबे रहते हैं पर ये गरीब लोग लत पूरी करते हैं। सच पूछा जाए तो यह लत भी शराब से किसी भांति कम नहीं है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं कि जो हजारों रुपये के कर्जदार हैं। साधारण से बाबू हैं। ठाठबाट निराले हैं। पत्नी की बीमारी, बच्चे की गम्भीर हालत या अन्य किसी न किसी बहाने अपने मित्रों के दूर के परिचितों के पास

पहुंच कर दस-पांच रुपये उधार ले जाते हैं। दाव पर लगा देते हैं, उनका परिचित कोई उन्हें अब उधार देता नहीं है। घर फूंक चुके हैं। रास्ता चलना दूभर है। पर शौक अभी नहीं छूटा है।

न बन्द होने की लाचारी

अब प्रश्न यह उठता है कि गरीबों के लिए अभिशाप इस जुए को अब तक बन्द क्यों नहीं किया जा सका है? क्या कारण है कि महीने दो महीने बाद कहीं छुटपुट छापे पड़ने के समाचार मिल जाते हैं और कारोबार दिन दूना बढ़ता जाता है? लगता है प्रशासन और कानून दोनों ही मटके को पूरी तरह रोकने में असमर्थ से रहे हैं। जहां तक कानून की बात है जुआ निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत इस कार्य को कानून विरोधी ही सिद्ध नहीं किया जा सका है। जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं हो जाता तब तक प्रशासन कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यह मटका जुआ एक सामाजिक बुराई है। किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कानून से ज्यादा सामाजिक प्रयत्नों की जरूरत रहती है। समाज का जुआ न खेलने वाला वर्ग इस ओर से उदासीन है। समाजसेवी संस्थाओं ने अभी तक इसे अपने कार्यक्षेत्र में लिया नहीं है। मतलब यह है कि अभी इस बुराई को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है।

काफी समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि जब कानून और प्रशासन मटका जुआ रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं और चोरी छिपे इसके चलने के कारण गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा इधर उधर जेबों में जाता है तो इसको कानूनी रूप देकर इससे होने वाली आमदनी को सरकारी खजाने में ही क्यों न पहुंचने दिया जाए। बेहतर होगा कि इस कमाई से सरकार गरीबों के भले के लिए ही कुछ कार्य सम्पन्न करे। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर मध्यप्रदेश में भी कुछ समय पूर्व मटका जुआ को कानूनी रूप देने के लिए विचार चला था परन्तु, इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब शासन लाटरी राज्य स्तर पर चला सकता है, घुड़दौड़ जारी रह सकती है, पत्र पत्रिकाओं की सुगम पहेलियों के नाम से छोटे मोटे जुए चल सकते हैं तो फिर इस दस बारह करोड़ रुपये प्रतिदिन के जुए को कानूनी तौर पर चलवाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर विदेशों में भी तो सरकारी तौर पर बड़े-बड़े जुआघरों का संचालन किया ही जाता है।

तीसरा और सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि जब राज्य सरकारें शराब के ठेकों से भारी राजस्व वसूल करती हैं तो फिर मटके को ही कानूनी रूप क्यों नहीं दिया जा सकता। इससे भी भारी मात्रा में कर वसूली हो सकती है और चोरी छिपे चलने वाला व्यापार खुले रूप में चल सकता है। लोग अब भी खेल रहे हैं, फिर भी खेलेंगे। पर अब नाजायज रूप से जेबें भरी जा रही हैं।

बड़ा अजीब लगता है यह तर्क कि कानून और प्रशासन की कमजोरी को दबाने के लिए जुए के कानूनीकरण का पक्ष लिया जाए। सारे दण्डविधान और प्रयत्नों के बावजूद भी चोरी एवं अन्य अपराधों को नहीं रोका जा सका तो क्या कानूनीकरण की दलील देने वाले अब यह कहेंगे कि चोरों और अपराधियों को लाइसेंस दे दिए जाएं? उनसे निर्धारित फीस वसूल की जाए। क्या कोई उनके इस तर्क से सहमत हो सकेगा? कदापि नहीं। तो फिर यही बात मटका जुआ के लिए भी लागू होती है। कानून और प्रशासन को और अधिक सक्षम और सक्रिय बनाने के बजाए अपराध को कानूनी रूप देना समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानूनी रूप देने से समाज में जुएबाजों की भयंकर बाढ़ आ जाएगी क्योंकि अब तक दांव न लगाने वाले लोग भी फिर अपना भाग्य आजमाना शुरू कर देंगे। सवाल कुछ करोड़ रुपये की आमदनी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि चरित्र का ह्रास होने के साथ ही साथ राष्ट्र का पतन भी अवश्यम्भावी है। इस गरीब देश में, जहां लोगों को दो जून रोटी का ठिकाना नहीं है सरकारी तौर पर जुआ चलाने की राय देना कोरी मूर्खता ही होगी।

आखिर हल क्या हो ?

गरीब जुआरियों की तरफ से तो मटके के विरोध में कभी भी आवाज नहीं उठ पाएगी। इस जुल्म के विरुद्ध उन्हीं लोगों को काम करना होगा जो जुआ नहीं खेलते। सुझाव है कि इस कार्य के लिए समाजसेवी संस्थाएं अपना भरपूर योग दें। कर्मठ कार्यकर्त्ताओं के कुछ दस्ते तैयार किए जाएं जिनकी रिपोर्ट पर पुलिस तुरन्त व सक्षम कार्यवाही करें। यदि प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की ढील दिखाई जाए तो दोषी अधिकारियों को भी तुरन्त दण्डित करने की व्यवस्था हो। गरीब आदमी के साथ किया जाने वाला यह क्रूर व्यंग जितना शीघ्र हो बन्द किया ही जाना चाहिए। अधिनियम के ढांचे में परिवर्तन करके मटके को जुआ साबित करने में आने वाली परेशानियों को तुरन्त दूर किया जाए। केवल एक व्यक्ति जिसके इशारों पर समाज का गरीब वर्ग खोखला होता जा रहा है सरे आम दण्डित किया जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्पूर्ण दोषपूर्ण व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएं।

दो मत नहीं हो सकते कि मटका जुए का सवाल अब बड़ा टेढा हो चला है और गरीब की गरीबी से सीधा जुआ है। यदि शासन को 'गरीबी हटाओ' को सफल बनाना है तो गरीबों को इस जुए से छुटकारा दिलाने के लिए भी ठोस प्रयास करने होंगे। अन्यथा उनकी आमदनी बढ़ाने के सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा और वे दिन-ब-दिन और गरीब होते जाएंगे। शासकीय प्रयासों को वास्तविक सहयोग समाज के जुआ न खेलने वाले वर्ग को देना होगा। 'अपने को क्या करना' की भावना को त्यागना पड़ेगा, और समाज में लगी इस खाज को मिटाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। भय है कि यदि इसे समय रहते न दबाया गया तो यह खाज कहीं भयंकर कोढ़ का रूप न धारण कर ले।

अपने खेतों से अधिक उपज लेने के लिए कम्पोस्ट खाद का प्रयोग कीजिये। इस खाद में फसल की बढ़ोतरी के लिए सभी जरूरी तत्व हैं। इसे आप स्वयं आसानी से बना सकते हैं।

कम्पोस्ट खाद से पैदावार बढ़ाइये

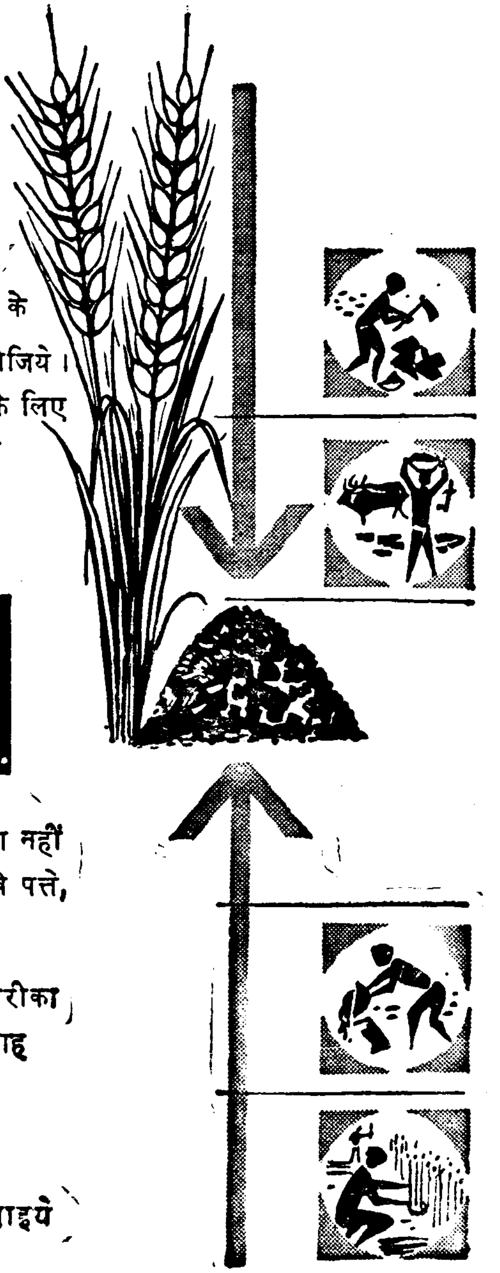

कम्पोस्ट तैयार करने में कोई पैसा नहीं लगता क्योंकि यह कूड़े-कचरे, सूखे पत्ते, छिलके, गोबर आदि से बनती है।

अच्छी कम्पोस्ट बनाने का तरीका जानने के लिए ग्राम सेवक से सलाह लीजिये।

कम्पोस्ट डालिये अधिक कमाइये

davp 73/677

घाटियों के घुमन्तू

डा० श्यामसिंह शशि

हरमन गोयट्ज ने लिखा है "यद्यपि हिमालय के बाह्य आकार से सभी परिचित हैं तथापि इस ओर अनुसन्धान कार्य नहीं के बराबर ही हुआ है और इसके लिए यहां व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। अन्य विशाल पर्वत श्रेणियों की भांति हिमालय विभिन्न प्रजातियों, संस्कृतियों, धर्मों तथा कलाओं का आश्रय-स्थल रहा है। दूसरे पहाड़ी इलाकों में या तो इन सबको भुला दिया गया है अथवा समूल नष्ट कर दिया गया है; वे अन्य सामाजिक एककों में इस तरह घुल-मिल गई हैं कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता; दूसरी सभ्यताओं ने उन्हें पूर्णतया आत्मसात् कर लिया है। लेकिन क्या हिमालय में भी ऐसा ही हुआ है? इन्हीं घाटिनों में मानव-जीवन की अनेक समस्याएं भरी पड़ी हैं जो अपने समाधान के लिए नृजाति-वैज्ञानिकों, इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेत्ताओं की प्रतीक्षा कर रही है।"

हिमाचल प्रदेश की गद्दी आदिम जाति पर अपने शोध कार्य के लिए घर से निकला और हिमालय की उपत्यकाओं में पहुंचा तो वहां जीवन के विविध रूप देखने में आए। भरमौर का दुर्गम-पथ तथा हिमालय की भयानक घाटियां जहां एक ओर प्राकृतिक सौन्दर्य का दिग्दर्शन कराती थीं, वहां दूसरी ओर वे यमदूत की तरह काल का कलेवा बनाने का भी संकेत करती थीं। एक ओर वहां का वातावरण शहरों के कोलाहल तथा भीड़-भाड़ से दूर जितना शान्त प्रतीत होता था तो दूसरी ओर वहां का जन-जीवन उतना ही दूभर तथा कठिन देखने में आता था। एक ओर जीवन की स्वच्छन्दता थी तो दूसरी ओर थी आर्थिक परतन्त्रता।

गद्दियों पर जो कुछ साहित्य यदा-कदा पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता है, वह या तो किसी सैलानी की कलम का चित्रण-सा प्रतीत होता है अथवा जनजातीय जीवन का एकपक्षीय वर्णन मात्र होता है। वे या तो उनके घुमक्कड़ जीवन की स्वच्छन्दता की प्रशंसा करने लगते हैं या वहां की रूपसी गद्दी सुन्दरियों के सौन्दर्य पर लट्टू हो जाते हैं। वस्तुतः गद्दी सुन्दरियों के रूप लावण्य पर जब कांगड़ा का राजा संसारचन्द तक मुग्ध हो गया तो फिर सामान्य जनों का तो कहना ही क्या? कहते हैं यह राजा एक गद्दी स्त्री को अपनी रानी बना कर ही माना था। यहां के लोक-गीतों मे उसे गद्दिन रानी के रूप में याद किया जाता है।

गद्दी जनजाति एक अर्द्ध यायावर, अर्द्धकृषक तथा अर्द्ध पशुपालक समाज है। वे वर्ष के छः महीने प्रवास में बिताते हैं तथा शेष छह मास घर पर रहकर खेती करते हैं। भेड़-बकरी पालना उनका दूसरा मुख्य धन्धा है। प्रायः सभी खेती करने के साथ-साथ भेड़-बकरी भी रखते हैं। जहां तक भरमौर (चम्बा) इलाके का सम्बन्ध है वहां दूध बहुत कम देखने को मिलता है। बिना दूध की चाय भी लोग बड़े चाव से पीते हैं।

गद्दियों में अनेक आश्चर्यजनक रिवाज भी देखने को मिलते हैं। आटा-साटा या विनिमय विवाह एक सामान्य प्रथा है। प्रेम विवाह होते हैं तो अपहरण विवाह भी इक्के-दुक्के देखे जा सकते हैं।

गद्दियों का रस्सा बड़ा आकर्षक होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष; बालक हो या वृद्ध—सभी को ऊनी रस्सा कमर पर बांधना पड़ता है। इसकी लम्बाई 200 फुट तक होती है। छोटे बच्चों का रस्सा कम लम्बा होता है। गद्दियों का कहना है कि वे यदि इस रस्से को पहनना बन्द करदें तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा।

'गद्दी' शब्द का अर्थ होता है भेड़ पालन करने वाला। वास्तव में यह एक व्यवसाय है, जाति नहीं। उनके यहां हिन्दू समाज की भांति ब्राह्मण, राजपूत तथा अन्य जातियां भी होती हैं हालांकि बाहरी लोगों के लिए वे आदिवासी गद्दी हैं।

गद्दियों में बलिप्रथा का बड़ा बोल-बाला है। आइए हम यहां इनके ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब रिवाजों का परिचय प्राप्त करें।

बलि-प्रथा का जन्म जब भी हुआ हो लेकिन इन लोगों का कहना है कि सच्चा गद्दी अपने जन्म से लेकर मरण तक इन बलियों के पुनीत कार्य से अलग नहीं हो सकता। यदि वह इनकी उपेक्षा करता है तो वह अपने धर्म और समाज के प्रति विश्वासघात करता है। इनके धर्म की यह हमेशा सबसे बड़ी विशेषता रही है। पशुओं को बलि के लिए काटने का तरीका भी कुछ कम आकर्षक नहीं है जिस पशु की भेंट दी जाती है, उसे सबसे पहले नहलाया जाता है। फुलस्त (फूल और चावल) उसके सिर पर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात् कुशा के द्वारा उस पर पानी छिड़का जाता है तथा भक्त अपने एक हाथ में तांबे का सिक्का लिए रहता है। यदि पशु कांपने लगता है तो यह समझ लिया जाता है कि देवता या देवी उसे स्वीकार चुकी है। तदुपरान्त एक तीसरा व्यक्ति उक्त पशु का वध करता है। पुजारी या चेला कुछ मन्त्र पढ़ता है और पशु की खाल, सिर और एक टांग दक्षिणा में प्राप्त करता है। उसका बाकी हिस्सा वधिक को मिल जाता है। यह वधिक गांव का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जिस प्रकार जौनसार बाबर में माघ के त्यौहार पर घर-घर बकरे काटे जाते हैं उसी प्रकार यहां प्रायः सभी पवित्र अवसरों पर भेड़-बकरियां या उनके बच्चों को बलि का शिकार बनना पड़ता है।

बलियों के इस देश में हमें कुछ और

धार्मिक विचित्रताएं भी देखने को मिलीं। जहां एक ओर शिव यहां के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार है वहां दूसरी ओर न तो लक्ष्मी नारायण का कोई मन्दिर देखने को मिला और न ही कृष्ण या राम का कोई देवालय। सनातन धर्म सभा, आर्य समाज, जैन या बुद्ध मन्दिर भी देखने को नहीं मिले; अलबत्ता इक्के-दुक्के गुरुद्वारों में गुरुवाणी अवश्य सुनाई पड़ी। चम्बा में इस प्रकार की कुछ संस्थाएं भले ही देखी जा सकें लेकिन गद्दियों की यह शिवभूमि अभी तक अपने 'कबीला-धर्म' को अपरिवर्तित रूप से संजोए हुए है।

एक रोचक घटना मुझे याद आ रही है। मैं जब भरमौर पहुंचा तो रास्ते में बुढाल नदी के किनारे ताजे खून के छींटे दिखाई दिए। एक गद्दी भरमौर की तरफ से आ रहा था। पूछने पर उसने बताया कि दो दिन पहले एक वृद्ध गद्दी यहां नदी में गिर कर मर गया था; जब उसके लड़के को पता चला तो वे सारा काम छोड़कर आज सुबह ही यहां आए और अपने साथ लाए दो बकरों को मृतक के नाम पर काट गए ताकि उसकी आत्मा इधर उधर भटकती न फिरे और उनका स्वर्गीय पिता अपने बच्चों पर कृपालु बना रहे।

मैं सोचने लगा कि वृद्ध की जान गई तो गई लेकिन वे बेचारे बलि के दो बकरे क्यों अपनी जान गवां बैठे। वास्तव में गद्दियों की जहां अन्य बातें विचित्रताओं से भरी हुई हैं, वहां इनका धार्मिक जीवन भी कुछ कम अनोखा नहीं है। परम्परागत रूढ़ियों में फंसा हुआ मानव न तो उनको तोड़ ही सकता है और न ही उनसे बाहर निकल सकता है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरण करने वाला यह आधा-खानाबदोश इंसान उन्मुक्त होते हुए भी धार्मिक बन्धनों से मुक्त नहीं है। उसे यदि जीना है तो उसे अपने देवी-देवताओं को मनाना पड़ेगा; चेलों तथा पुजारियों को खुश करना पड़ेगा और इन सबकी खुशियों के लिए उसे अपनी भेड़ों-बकरियों तथा उनके मेमनों की बलियां भी चढ़ानी ही पड़ेंगी। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि इस क्षेत्र को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की धरती कहा जाए या पशुबलियों की शिवभूमि— या कुछ और—।

सम्पादक, 'सैनिक समाचार'
रक्षा मत्रालय एल-1 ब्लाक,
चर्च रोड़ हटमेन्टस
नई दिल्ली-110001

मक्खी मारने का लेप

कानपुर-स्थित रक्षा अनुसन्धान प्रयोग-शाला ने मक्खी मारने का एक सफेद लेप तैयार किया है। मक्खी मारने के लिए कई ठोस व तरल कीटनाशक औषधियों को मिलाकर लेप के कई फार्मूले तैयार किए गए तथा एक मानक कीटनाशक परियोजना के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। एक ही प्रकार की ठोस या तरल कीटनाशक औषधि प्रभावशाली नहीं पाई गई। हां, दो कीटनाशक औषधियों के मिश्रण को कई महीनों तक कीड़े मारने में शत-प्रतिशत प्राभावशाली पाया गया।

अस्पतालों और कैंटीनों में मक्खियों को मारने के लिए इस लेप का उपयोग किया जा सकता है। इसको ब्रुश से या छिड़काव मे दोनों प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस स्थान पर यह लेप लगाया जाए वह स्वच्छ होना चाहिए तथा उन पर और कोई रोगन न किया हो।

हो रहीं साकार सारी कल्पनाएं

डा० रामसेवक दीपक

साधना ने दीप थाली में सजाए
वन्दना ने गीत मन से गुनगुनाए
ले किरण नैवेद्य ऊषा आ रही है
ज्योति की गंगा धरा पर ला रही है।
हर तरफ उल्लास का वातावरण है
चल पड़ा निर्माण का पावन-चरण है
ले रहे अंगड़ाइयां बिश्वास जागे
सर्जना-श्रम के जुड़े हैं प्रेम-धागे
स्वर्ग धरती पर उतरता आ रहा है
रूप गांवों का संवरता जा रहा है
योजनाएं चल रहीं कल्याणकारी
हो रही है चौमुखी उन्नति हमारी
ज्ञान का विज्ञान का लेकर सहारा
ढंग खेती का सजाया है संवारा
स्वेद रूपी बीज सीखे आज बोना
क्यों न उगलेंगे बताओ खेत सोना
अब नहीं ये भूख-बेकारी रहेगी
आंख कोई भी नहीं अब नम रहेगी
हो रहीं साकार सारी कल्पनाएं
जुट गया है श्रम सजाने अल्पनाएं।

साहित्य कुटीर : घास मण्डी
ग्वालियर-3

बहुगुणा काम चाहते हैं और निर्णयों पर तुरन्त कार्यवाही

उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्य मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने कहा है कि मन्त्रिमण्डल का पहला काम खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का अभाव दूर करना होगा। जैसा कि हर एक व्यक्ति को मालूम है, अनाज का संकट केवल उसके उत्पादन में कमी का नहीं वरन् बहुत हद तक उसके वितरण की अव्यवस्था का है। इसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए गेहूं के थोक व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में लिया था। यह कार्यवाही इसलिए सफल नहीं हो सकी कि संग्रह और वितरण दोनों कामों के लिए जिस कुशल मशीनरी की जरूरत थी वह उपलब्ध नहीं हो सकी। श्री बहुगुणा के शासन सम्भालने के बाद संग्रह और वितरण दोनों में चुस्ती लाने का प्रयत्न हुआ। इसके फलस्वरूप प्रदेश में चावल की वसूली का जो लक्ष्य था उससे अधिक मात्रा में चावल का संग्रह किया जा सका। श्री बहुगुणा ने कहा कि उनके कार्यकाल में खाद्यान्न और पूर्ति विभागों के अधिकारियों के खिलाफ जितनी कार्यवाही की गई उतनी पहले नहीं की गई थी। इससे वितरण में सुव्यवस्था का संकेत मिलता है।

खाद्यान्न के संग्रह और वितरण के साथ ही खेती, उद्योग धन्धे और हर क्षेत्र में उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने का काम है। श्री बहुगुणा ने पहले ही संकेत किया था कि वे प्रान्त में बिजली की कमी को दूर करने को बहुत ऊंची प्राथमिकता देंगे। बिजली की कमी से न केवल प्रदेश के कल-कारखाने पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं वरन् खेती में भी सिंचाई यथेष्ठ मात्रा में नहीं हो पा रही है। बिजली की कमी से ही प्रदेश के उर्वरक कारखानों में उत्पादन कम हुआ जिसके कारण खेती की पैदावार बढ़ाने में बाधा पड़ी है। इसलिए बिजली उत्पादन को उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जितनी अनाज और वनस्पति तेल आदि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के अभाव को दूर करने को। प्रान्त का सबसे बड़ा पनबिजली केन्द्र रिहन्द वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए कोयले से चलने वाले संयन्त्रों को बिठाने की बड़ी सख्त जरूरत है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हिमालय की बारहमासी नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा करने की जो योजनाएं हैं उनकी पूर्ति में विलम्ब न होने पाए। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ यह अत्यन्त आवश्यक है कि बिजली को दूर तक लेजाने में जो छीजन होती है और बिजली की जो चोरी होती है उसे रोका जाए। देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले अपने प्रदेश में बिजली की छीजन और चोरी बहुत अधिक है। अनुमान है कि 25 से 30 प्रतिशत तक बिजली इस प्रकार बरबाद होती है। बिजली की इस छीजन को रोकने के लिए यह सुझाव भी विचारणीय है कि देहातों में तथा नगरों मे मीटर लगाने और उसके हिसाब से बिजली का दाम लेने के बजाए फ्लैट रेट से औसत खपत के आधार पर चार्ज किया जाए।

अशोक जी

प्रदेश की नई सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों की वेतन भत्ता तथा नौकरी सम्बन्धी समस्याओं को लेकर आन्दोलन और असन्तोष की है। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मागे हैं। डाक्टरों की समस्याओं का आंशिक समाधान उनकी निजी प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबन्ध को हटाकर किया गया है। परन्तु उनकी अन्य शिकायतें अभी भी कायम हैं। प्रान्त के प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में भी असन्तोष और कुण्ठा है। असन्तोष का एक मुख्य कारण केन्द्रीय या अखिल भारतीय सेवाओं से वेतन, भत्ता, उन्नति आदि के मामले में असमानता है। प्रान्त में भी विभिन्न सेवाओं में परस्पर असमानता, एक के साथ अधिक अच्छा व्यवहार और दूसरे की उपेक्षा की शिकायत है। टैक्निकल और प्रशासनिक सेवाओं की खींचतान की समस्या भी है। प्रदेश सरकार को इन सब समस्याओं पर अलग-अलग निर्णय लेने के बजाए इस पर समग्र रूप से विचार करना होगा और इसके साथ ही एक बात की व्यवस्था करनी होगी कि एक ओर उनकी उचित मांगों को माना जाए तो दूसरी ओर कार्यकुशलता पर भी उतना ही जोर दिया जाए और किसी भी प्रकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाए।

वेतन, भत्ता, लाभ में अंश आदि का सम्बन्ध अधिक और अच्छे काम से जोड़ कर ही इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

प्रान्त में छात्रों की समस्या भी अत्यन्त गम्भीर है। माध्यमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्रों में किसी न किसी बात को लेकर आन्दोलन और उपद्रव होते रहते हैं। यह सारे उपद्रव केवल यूनियन की पालिटिक्स से सम्बन्ध नहीं रखते। छात्रों की छात्रावास, प्रयोगशाला, पढ़ाई की सुविधा, परीक्षा प्रणाली आदि वास्तविक शिकायतें हैं और सबसे बड़ा प्रश्न—पढ़न के बाद क्या करें—इस अनिश्चय का है। यह समस्या एक दिन में हल नहीं की जा सकती किन्तु इसे हल करने की दिशा में ठोस कदम जरूर उठाए जा सकते हैं और उठाए जाने चाहिए। प्रदेश में टैक्निकल संस्थाओं और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं, तथा कालेजों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इनकी संख्या में

[शेष पृष्ठ 19 पर

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता परिषदें

नई अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता सबसे ज्यादा उपेक्षित व्यक्ति है। आजकल की आर्थिक विचारधारा और कार्य-पद्धति उत्पादन पर ही अधिक जोर देने की है। सरकार की सफलता और लोगों में खुशहाली का मापदण्ड कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि ही है। मतलब यह कि राष्ट्रीय उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि होनी ही चाहिए। इसके साथ ही एक अवधि विशेष के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि-दर के लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस तरह आयोजन का लाभ यह है कि देश के संसाधनों का सही प्रयोग होता है तथा धन के अपव्यय और बेमतलब की प्रतियोगिता को रोका जा सकता है। पर तो भी इसमें कई दोष हैं। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि योजना सदा भविष्य के लिए बनाई जाती है और इसके लिए वर्तमान में त्याग करना पड़ता है। यह सब एक ऐसे सुखद स्वर्ग के लिए किया जाता है जो सदा कल्पना लोक में ही रहता है, हाथ में नहीं आता। दूसरे अधिक उत्पादन के लक्ष्य पूर्वनिर्धारित होते हैं जिससे अधिकतम आर्थिक लाभ को ही अन्तिम लक्ष्य और सर्वोपरि मान लिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मानवीय पहलुओं को योजना में कतई भुला दिया जाता है, वरन इतना जरूर है कि योजना निर्माताओं के दिमाग में अब वे पहलु अहम नहीं रहे।

उपभोक्ता की उपेक्षा

अब यह जरूरी हो जाता है कि विकास के इस सिद्धान्त और इसके साथ-साथ आयोजन की क्रिया को ध्यान से जांच की जाए तथा योजना के कल्याण सम्बन्धी पहलुओं को महत्व दिया जाए। हमारे जैसे घनी जनसंख्या वाले विकासशील देश के लिए, जहां लोगों में सम्पत्ति का अधिकाधिक बंटवारा करने और अधिकाधिक रोजगार पैदा करने को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है, यह विशेष रूप से आवश्यक है। रोजगार पैदा करने वाले को अभी योजना में महत्व नहीं दिया गया है। इसके लिए योजना में कृषि को दिए गए महत्व को उदाहरणार्थ लिया जा सकता है। कृषि के महत्व पर और जनता के लिए अन्न-उत्पादन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाले के रूप में किसान की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। यहां किसान को एक साधन और माध्यम समझा जाता है, उसको लाभ पहुंचाने और खुशहाल करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे सारे प्रयास कृषि की उन्नत तकनीकों, अच्छे बीजों, सिंचाई सुविधाओं तथा उर्वरकों की सप्लाई पर केन्द्रित होते हैं। पूरा ध्यान खेती पर होता है, न कि किसान पर। असल उद्देश्य है उस व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना जो अन्नादि पैदा करता है। भूमि से उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति का वास्तविक अधिकारी तो वही है, जो उस पर जी-तोड़ मेहनत करता है। हमारे नियोजन में इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को भुला दिया गया है।

एस० वाई० कृष्णास्वामी

इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति पहले उपभोक्ता होता है और बाद में उत्पादक। कोई भी व्यक्ति कुछ गिनी-चुनी वस्तुओं का ही उत्पादन कर सकता है, जबकि उसे अन्य लोगों द्वारा पैदा की गई अनेकों दूसरी वस्तुओं की रोजमर्रा जरूरत होती है। दूसरे यह कि हर आदमी उत्पादन कार्य इसलिए करता है कि उसे इतनी आमदनी हो सके जिससे यह और उसका परिवार सुख से रह सके। साथ ही, अपने भविष्य के लिए वह कुल बचत भी करना चाहता है। इस तरह हर व्यक्ति की नजर में भी उपभोग ही वास्तविक उद्देश्य है, उत्पादन नहीं। अतः किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, मनुष्य उपभोक्ता के नाते ही अधिक महत्वपूर्ण है, उत्पादक के नाते नहीं। इस बात की ओर अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

अभी हाल में कुछ विकसित देशों में उपभोक्ता सिद्धान्त के महत्व को स्वीकारा गया है। अमेरिका में श्री राल्फ नाडेर ने एक उपभोक्ता आन्दोलन चलाया था और इस आन्दोलन को इतनी सफलता और सहयोग मिला कि यहां की अर्थ-व्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया और यह इतना शक्तिशाली संगठन हो गया कि उत्पादकों पर इसका दबदबा ट्रेड यूनियनों से भी ज्यादा हो गया है।

भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की आवश्यकता अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वास्तव में अन्य देशों में उपभोक्ताओं की जो भी विभिन्न समस्याएं हैं वे सभी हमारे देश में उपभोक्ताओं के सामने एक साथ मौजूद हैं। इनमें से तीन दोषों की ओर जो मुख्य हैं ध्यान देना जरूरी है। ये दोष हैं—(1) मूल्य वृद्धि; (2) मिलावट और (3) जान बूझ कर कम तोलना। ये तीनों ही देश भर में पूरी तरह व्याप्त हैं और हमारी प्रगति में घुन की तरह लगे हुए हैं।

बेतहाशा बढ़ती कीमतों की समस्या सबसे विकट है और पिछले दो सालों में तो इस समस्या से हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना प्रभाव पड़ा है कि इस ओर सरकार और जनता को पूरा-पूरा ध्यान देना जरूरी हो गया है। "लन्दन इकनामिस्ट" में हाल में ही छपे एक लेख में कहा गया है कि जिस देश में थोड़े-से समय में मुद्रा-प्रसार 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है वहां लोकतन्त्र को खतरा हो जाता है, लोग बिना सोचे समझे साम्यवाद का अनुसरण करने लगते हैं या सैनिक तानाशाही आ जाती है। लेख में कई देशों के उदाहरण है, विशेषकर लेटिन अमेरिकन देशों के। महाराष्ट्र

और गुजरात के हालात को देखकर लगता है कि जनतान्त्रिक प्रतिवाद से हिंसा और तोड़-फोड़ को प्रश्रय मिलता है, जो लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। अतः कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा। मैं किसी भी ऐसे काम को सही नहीं मानता जो लोकतन्त्र के खिलाफ हो, क्योंकि ऐसे काम आगे चलकर राजनीति पर उल्टा असर डालते हैं और हिंसा आदि को बढ़ावा देते हैं।

उपभोक्ता परिषदें

अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि देश के हर भाग में उपभोक्ता परिषदें बनाए और हर क्षेत्र में व्याप्त गलत तरीकों को रोकने में उन्हें सहायता दे। ये परिषदें गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में काम करेंगी और इन्हें जो दोष दिखाई देंगे उनकी जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचाएंगी। किसी अकेले उपभोक्ता की शिकायत को कम महत्व दिया जाएगा और अनेक उपभोक्ताओं की सम्मिलित शिकायत पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उपभोक्ता संगठन बनाने होंगे। इससे झूठी शिकायतें भी नहीं होंगी। सरकार को उपभोक्ताओं के लिए बनाए कानूनों की जानकारी उपभोक्ता परिषदों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचानी चाहिए। हां, सरकार को उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देकर कार्रवाई करनी होगी। शिकायतों को फाइलों में बन्द करने या इधर-उधर दौड़ाने से शिकायतों की सही जांच समय पर नहीं हो सकती और वे बेकार हो जाती हैं। सरकार को शिकायतें नोट करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक 'सैल' की स्थापना करनी होगी, तभी यह सिद्ध होगा कि सरकार इन परिषदों को सही सहायता दे रही है और गलत कार्यों को रोकने की ओर प्रयत्नशील है। इंग्लैण्ड में इस काम के लिए अलग से एक मन्त्री की नियुक्ति की गई है।

सही संगठन

लोगों को भी भारी संख्या में इस संगठन में शामिल होकर इसे मजबूत बनाना चाहिए, वर्ना असन्तोष और अराजकता की स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। अखिल भारतीय परिषद, राज्य शाखाएं, जिला शाखाएं आदि की स्थापना करके केवल कागजों पर ही विशाल योजनाएं बनाने की पुरानी चली आ रही पद्धति को अपनाने की बजाए हर बाजार-क्षेत्र में एक परिषद बनाना भी उचित होगा। उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई करनी होगी। हर क्षेत्र की समस्याएं अलग-अलग होती हैं, अतः इन परिषदों को अपने सीमित क्षेत्र में ही काम करना चाहिए। हां, उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा कोई ऊपरी दबाव या दखल नहीं होना चाहिए। उन्हें अखिल भारतीय स्तर से सोचने और काम करने से बचाना चाहिए, क्योंकि वह तरीका गलत साबित हो चुका है। इसी छोटे स्तर पर ही कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और फैसला भी स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। उनकी संरचना और कार्य पद्धति को एक-सा बनाने की कोई जरूरत नहीं। यदि उपभोक्ता स्वयं इस परिषद में दिलचस्पी नहीं लेंगे और यह सरकार की ओर से थोपी जाएगी, तो इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं होगी और यह बेकार ही होगी।

उपभोक्ता परिषदें किसी दल विशेष या वर्ग विशेष से प्रभावित न हों, राजनीतिक प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हों और इनमें महिलाएं भी काफी संख्या में आगे आएं तो ये अधिक सफल होंगी। बम्बई में इस प्रकार की उपभोक्ता परिषदों को मिली सफलता इसका अच्छा उदाहरण है।

अन्ततः मैं यही कहूंगा कि देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में ये परिषदें हों, ये अपने-अपने ढंग से काम करें और इनको जनता और सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो, तो निस्सन्देह उपभोक्ता की स्थिति पूर्णतया सुरक्षित हो जाएगी। □

हिन्दी ही जोड़ने वाली भाषा...... [पृष्ठ 9 का शेषांश]

आदि अन्य हिन्दी विद्वान हैं। अफ्रीका, चीन, अमेरिका, लंका आदि अन्य देशों में भी हिन्दी का पठनपाठन प्रारम्भ किया जा रहा है। अब असंदिग्ध रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिन्दी सर्वथा असाम्प्रदायिक भाषा है। यदि उसमें साम्प्रदायिकता की लेशमात्र भी गन्ध होती तो देशी-विदेशी, हिन्दू-मुसलमान, अहिन्दी भाषी विद्वान् उसकी प्रगति में सहयोग प्रदान न करते।

हिन्दी में संकीर्णता नहीं व्यापकता है, वैमनस्य नहीं उदारता है, घृणा नहीं प्रेम है। वह जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं। उसके सामने मनुष्य, जाति, प्रान्त, देश और विश्व तक अपने हैं, वह सभी की भाषा है। मेहरुनिस्सा परवेज की कहानियां, नईम की कविताओं, डा० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर के लेखों, डा० संसार चन्द्र के हास्य-व्यंग्य प्रधान निबन्धों, राष्ट्र-संत मुनि श्री विद्यानन्द का मानवतावादी प्रेम तथा राष्ट्रीय भावात्मक एकता की प्रेरणा देने वाली पुस्तकों को पढ़कर कोई विपक्षी भी राष्ट्र-भाषा हिन्दी को किसी एक सम्प्रदाय की भाषा घोषित नहीं कर सकता, उसे संकीर्ण भाषा नहीं कह सकता। बीस करोड़ व्यक्तियों की भाषा क्या संकीर्ण हो सकती है? संकीर्ण व्यक्ति की भाषा ही संकीर्ण हो सकती है। भारत संकीर्ण बुद्धि या व्यक्तियों का देश नहीं है, वह समन्वयवादी है, उदार है, अतः उसकी राष्ट्र भाषा भी समन्वयवादी है, व्यापक है, उदार है। □

('जागृति' से साभार)

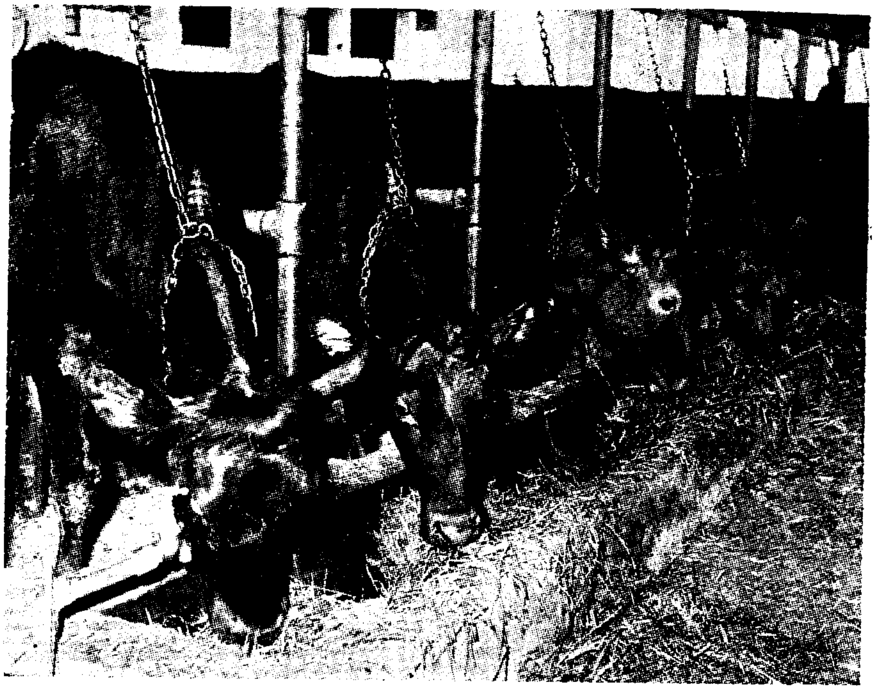

राजकीय पशुप्रजनन एवं वृषभ पालन केन्द्र

उन्हेल में, निर्माणाधीन जैन मन्दिर को देखकर सड़क-सड़क आ रहे थे। क्रैश योजना के अन्तर्गत, निर्माण विभाग सड़क बनाने का कार्य कर रहा था। दिनभर आकाश में बादल उमड़ते रहे, धूप की चिल्की यदाकदा दिखाई पड़ जाती थी, दिन छुपने को था, ऊनी कपड़ों से शरीर को ढके रहने पर भी सर्दी गजब की लग रही थी। जंगल में डग के समीप सड़क के किनारे दुमंजली पक्की बनी इमारत ने बरबस आकृष्ट किया। रुकने पर पता चला कि यह इमारत डग स्थित पशु प्रजनन केन्द्र है। केन्द्र पर नियुक्त इंचार्ज, पशु चिकित्सक डाक्टर वहां नहीं थे। कड़कड़ाती सर्दी में वे फार्म के आन्तरिक प्रांगण में देखभाल के लिए गए हुए थे। बुलवाने पर करीब 20-25 मिनिट बाद जंगल से तशरीफ लाए। यही उनका कार्यक्षेत्र था। चारों तरफ उजाड़। नीचे अस्पताल व दफ्तर, ऊपर सपरिवार रह रहे थे। उस सर्दी में उनके द्वारा गरम काफी का आफर मिलने पर हम सब लोग पीने का लोभ संवरण न कर सके। इधर काफी आई, उधर बातचीत का सिलसिला चालू हुआ।

उत्साही मैसूरियन डाक्टर नारायण प्रसाद ने, अपने केन्द्र के बारे में जानकारी का पिटारा सा खोल दिया। मानव जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पशुओं की उपयोगिता और उपादेयता आदि काल से चली आ रही है। यही मुख्य कारण रहा है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गांव वाले पशुओं को धन की संज्ञा देते हैं। गरीब गांव वालों के पास, सोना-चांदी नहीं है। खेत है, खलियान है और है पशुधन। गांव में रहने वाले खेती करने वाले ग्रामीण मेहनतकश लोग प्राचीनकाल से ही अपने परिवारों के सदस्य के रूप में पशुओं का पालन करते आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन ही पशुपालन हो गया है।

झालावाड़ जिले की जनसंख्या से लगभग डेढ़ गुनी अधिक 8,51,941 पशु संख्या है। राजस्थान में पाए जाने वाले श्रेष्ठ पशुवंशों में मालवी वंश का अपना विशिष्ट स्थान है। भारवाहक क्षमता की दृष्टि से भी इस नस्ल की बड़ी उपादेयता है। पठारी भाग में भार ढोने में यह अपना सानी नहीं रखती। जिले में मालवी नस्ल की गायें अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में मालवी नस्ल के बैल समस्त राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बम्बई के खान देश तक खरीद कर ले जाए जाते हैं।

यशदेव शर्मा

1969 में 21 पशुओं से इस राजकीय प्रजनन केन्द्र एवं वृषभ पालन केन्द्र की स्थापना की गई थी। दस गायें, दस बच्चे व एक सांड, 15 गायें और 9 बच्चे बाद में खरीदे गए। इस समय कुल 106 पशु हैं। इनमें 36 गायें, 7 लाटे, 38 बछड़िया, 28 बछड़े, 5 सांड व दो बैल हैं।

इस केन्द्र पर मालवी नस्ल के सांडों को तैयार कर, पशुनस्ल सुधार कार्य हेतु प्रतिवर्ष 5 सांड पंचायत समितियों और ग्राम आधार योजनाओं को निःशुल्क वितरित करने का लक्ष्य है। केन्द्र द्वारा सन् 1970-71 से अब तक 20 सांड वितरित किए जा चुके हैं।

चारे की व्यवस्था

उत्साही डाक्टर ने बताया कि इस केन्द्र के पशुओं के लिए उन्होंने चारे की व्यवस्था केन्द्र में ही कर रखी है। 22 हैक्टर चरागाह है जिसमें 16 हैक्टर भूमि में घास-चारा काटा जाता है तथा 6 हैक्टर भूमि में चराई की जाती है। बाहर से चारा नहीं मंगाना पड़ता। प्रारम्भ में 1969 में 500 रु० का चारा खरीदा गया था किन्तु पिछले तीन वर्षों में बाहर से चारा नहीं मंगवाया गया। 1971-72 में "की विलेज स्कीम" (ग्राम आधार योजना) झालावाड़ को भी, इस चारा केन्द्र पर उत्पादित चारा उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त 37.80 हैक्टर में फसल

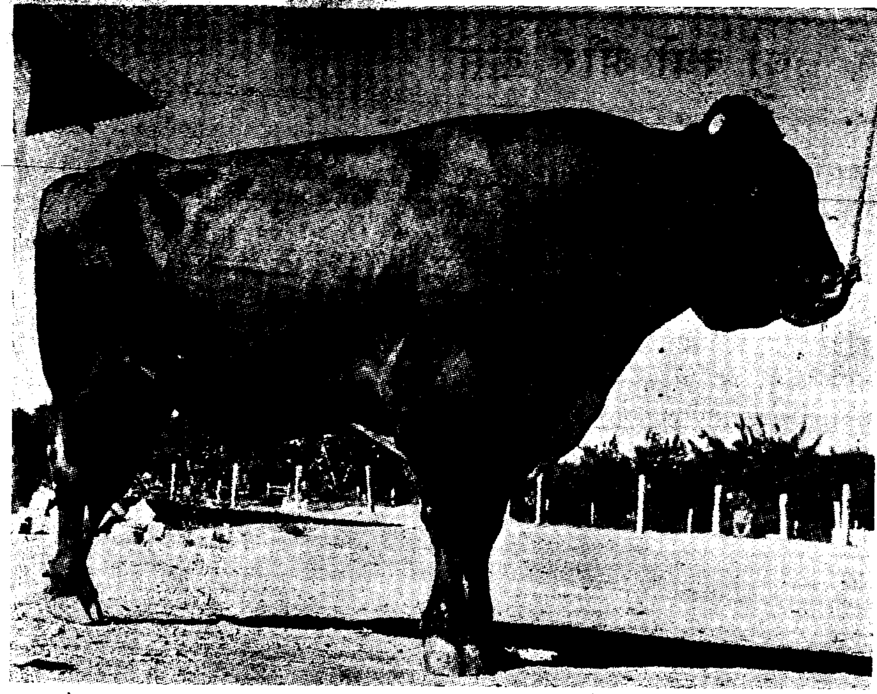

ली जाती है। इसमें 2.03 हैक्टर सिंचित क्षेत्र है जिसमें सुनियोजित प्रणाली द्वारा नेपीयर घास उगाई जाती है। केन्द्र के पशुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए चालीस प्रतिशत दाना यहीं तैयार कर लिया जाता है।

1968-69 में 28,250 रु० व्यय किया गया था। आय मद में 3,152 रु० दूध बेचकर व 14,821 रु० कृषि से प्राप्त हुए। इस वर्ष 2 लाख 4 हजार सात सौ रु० व्यय का अनुमान है। चौदह हजार तीन सौ रु० दूध की बिक्री के और पचास हजार रु० कृषि उपज से आय होने का भी अनुमान है। यदि जानवरों की "बुक वेल्यू" को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह फार्म "नो लोस नो प्रोफ़िट" के आधार पर चल रहा प्रमाणित होता है। अभी 70 प्रतिशत आय है। इनमें जानवरों से होने वाली आय सम्मिलित नहीं है। अच्छी किस्म व नस्ल के जो जानवर पंचायत समितियों को इस केन्द्र द्वारा दिए गए उनकी कीमत ऊपर बताई गई केन्द्र की आय में सम्मिलित नहीं है।

फार्म पर किए जा रहे वैज्ञानिक परीक्षण से यह पाया गया कि यदि मालवी वंश की गायों का चुनाव किया जाए तो दूध देने की क्षमता हरियाणा नस्ल की गायों से श्रेष्ठ हो सकती है। यहां की गायें इस समय भी तेरह किलो प्रतिदिन तक औसत दूध दे रही हैं। औसत दूध देने की क्षमता प्रति पशु 3.5 किलोग्राम है।

पशु आहार में दूध की मात्रा कम होती है। केन्द्र का उद्देश्य दूध सप्लाई करने का नहीं है। ध्येय है अच्छे जानवर पैदा करना। शरीर सौष्ठव व पशुधन की आवश्यकता से बचा हुआ दूध ही बाजार में बेचने को दिया जाता है।

फार्म पर प्रारम्भिक काल में ही 500 आम के पौधे लगाए गए हैं जो कि आगामी 5-6 वर्षों में पनप कर बड़े पेड़ हो जाएंगे और फल देने लगेंगे जो आय के साधन के अतिरिक्त फार्म की अमूल्य सम्पत्ति होंगे। केन्द्र पर जितने भी मजदूर या कर्मचारी कार्यरत हैं उनका इन पौधों से व्यक्तिगत लगाव है, निजी ममत्व है और इसी का परिणाम है कि समस्त पौधे बढ़ रहे हैं। □

खादी और ग्रामोद्योग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों के लिए पांचवीं योजना में 180 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन कारीगरों को लाभ पहुंचाना है जिन्हें अब तक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके लिए गांवों में अधिक रोजगार की व्यवस्था करने तथा उन्हें पूरे समय का काम देने की व्यवस्था की जाएगी। पांचवीं योजना के कार्यक्रमों में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास कार्य में तेजी लाना, पुराने ढंग के चरखे के बदले नए नमूने के चरखे का प्रयोग करके खादी के लिए नई टेक्नोलाजी को अपनाना तथा 6 और 12 तकुए वाले नए नमूनों के चरखों को इस्तेमाल में लाना शामिल है। सूती खादी में मलमल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

[बहुगुणा काम...पृष्ठ 15 का शेषांश]

वृद्धि अगले दस पन्द्रह वर्ष में कितने इस प्रकार के कर्मचारियों की प्रदेश को आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाकर ही की जानी चाहिए, अन्यथा इससे बेकारी और असन्तोष बढ़ने के साथ-साथ राज्य के धन और साधन की भी बरबादी होगी।

सारांश रूप में जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है शासन के प्रत्येक स्तर में शिथिलता को दूर करके चुस्ती लाना और यही नए मन्त्रिमण्डल का सबसे बड़ा और बुनियादी काम है। मुख्य मन्त्री श्री बहुगुणा की ख्याति, संकल्प शक्ति, शीघ्र निर्णय और अथक परिश्रम के लिए है। उन्होंने अपने स्वल्प कार्यकाल में ही इन गुणों का परिचय दिया और ढीले-ढाले शासन यन्त्र को झकझोरने में वे सफल हुए हैं। प्रशासन क्षेत्रों में यह धारणा फैल रही है कि श्री बहुगुणा काम चाहते हैं और निर्णयों पर तुरन्त कार्यवाही पर जोर देते हैं। □

कृत्रिम वर्षा क्यों और कैसे ?

मेघ संकुल आकाश। घनघोर घटा छाई हुई है। अपने सूखे खेतों में खड़े प्यासे कृषक उत्सुक नेत्रों से बादलों की ओर देखते हुए मन ही मन इन्द्र देवता से तरह-तरह की मनोतियां मना रहे हैं। स्त्री-पुरुष, बालवृद्ध, सभी की नजर इन भाग्य-विधाता मेघदूतों पर लगी है। इस पर भी पत्थर दिल बादल द्रवित नहीं होते। वर्षा की एक बूंद भी आकाश से नहीं टपकती। लगता है कि ये बादल बिना बरसे ही इस गांव से चले जाएंगे।

लेकिन यह क्या! अचानक ही आकाश में द्रुतगति से उड़ता हुआ एक वायुयान प्रकट होता है और मेघ-समूह पर एक श्वेत पदार्थ के अनेक सूक्ष्म कणों को बिखेरकर उसी तीव्रता से दृष्टि से ओझल हो जाता है। अब इस छिड़काव का चमत्कार देखिए कि पांच मिनट के अल्प समय में ही आकाश बादलों की गर्जन से कम्पित हो उठता है। थोड़ी ही देर बाद जोरों की वर्षा आरम्भ हो जाती है और किसानों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर खिल उठते हैं।

यह न तो जूल्स बर्न के किसी वैज्ञानिक उपन्यास का दृश्य है और न ही किसी पौराणिक देवता द्वारा किए गए करिश्मों की काल्पनिक कहानी बल्कि ऋतु विज्ञान के उस चमत्कारी आविष्कार का वर्णन है जो विश्व की क्षुधापीड़ित जनता के लिए आशा का एक नया सन्देश लेकर आया है। जी हां, इसे एक चमत्कार ही कहिए कि इन्द्र देवता के एकाधिकार को समाप्त कर वैज्ञानिकों ने अनेक जटिल यन्त्रों की सहायता से पानी बरसाना सीख लिया है। बांध बनाकर अतिवृष्टि का सामना तो मनुष्य सदियों से करता आया है, अब अपनी आवश्यकतानुसार पानी स्वयं बरसा कर उसने अनावृष्टि से लोहा लेना भी आरम्भ कर दिया है।

वर्षा कैसे होती है ?

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि दूर गगन में विहार कर रहे बादलों से वैज्ञानिक कैसे पानी बरसा लेते हैं? कृत्रिम वर्षा की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने से पूर्व बादलों और वर्षा से सम्बन्धित कुछ आवश्यक बातों को जान लेना वांछनीय है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आकाश में जल के अत्यन्त सूक्ष्म कण बड़ी मात्रा में एकत्र होकर बादल बनाते हैं। इन कणों की सूक्ष्मता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक सामान्य कण का व्यास 20 माईक्रोन होता है। ऐसे अनेक कण परस्पर मिल कर वर्षा की एक बूंद का निर्माण करते हैं जिसका व्यास सामान्य तौर पर लगभग 2,000 माईक्रोन होता है। वर्षा होने के लिए आवश्यक है कि इन कणों के समाचयन की प्रक्रिया अत्यन्त द्रुत गति से हो ताकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वर्षा की बूंदों को अपनी ओर खींच सके।

भारत भूषण डोगरा

यह तो है वर्षा की सीधी-सरल प्राकृतिक व्यवस्था जो आदिकाल से चली आ रही है। कृत्रिम वर्षा इससे कहीं अधिक पेचीदी प्रक्रिया है। बादल मूलतः ठण्डे और गर्म दो प्रकार के होते हैं तथा इनसे कृत्रिम वर्षा करने की विधि भी पृथक-पृथक है। ठण्डे बादलों से सम्बन्धित प्रथम प्रयोग सन् 1946 में संयुक्त राज्य अमरीका में किए गए। इन प्रयोगों के अन्तर्गत घनीभूत कार्बन डायाक्साईड को एक बिन्दु के चारों ओर संयोजित कर कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया। नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डा० इरविंग लैंगमूर और उनके प्रतिभाशाली सहायक डा० विन्सेण्ट स्केफर ने वायुयान से सुबह खुश्क बर्फ (जो ठोस रूप में कार्बन डायाक्साईड ही होती है) की अनेक छोटी-छोटी गोलियों का छिड़काव बादलों पर किया। इस छिड़काव से बादलों से निकट की वायु का तापक्रम 40 सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर गया जिसके फलस्वरूप वायु में बर्फ के अनेक सूक्ष्म स्फटिक (क्रिस्टल) उत्पन्न हुए। ये क्रिस्टल बादलों में फैल गए और उन्हें धरती की प्यास बुझाने के लिए मजबूर किया। इसी तरह के अनेक अन्य सफल प्रयोग अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका आदि राष्ट्रों में किए गए जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि ठण्डे बादलों को उचित समय और स्थिति में खुश्क बर्फ द्वारा संसेचित या उर्वरीकृत किया जाए तो उनसे पानी बरसाया जा सकता है।

खुश्क बर्फ के प्रयोग से वायुमण्डलीय प्रदूषण का कोई भय नहीं है और आर्थिक दृष्टि से भी यह बहुत सस्ती पड़ती है। फिर भी वैज्ञानिकों ने बादलों के संसेचन के लिए नए और अधिक उपयोगी पदार्थों की खोज जारी रखी। पर्याप्त खोजबीन के बाद डा० बरनार्ड वानगट ने "सिल्वर आयोडाईड" नामक यौगिक को कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ घोषित किया। सिल्वर आयोडाईड की एक विशेषता यह है कि इसके कण बहुत देर तक वायु में घूमते रहते हैं। यदि सूर्य की गर्मी से उनका प्रभाव नष्ट न हो तो वे अपनी दिशा में जाने वाले किसी भी उपयुक्त बादल से वर्षा करवा सकते हैं।

ठण्डे बादलों से सफलतापूर्वक जल बरसाने के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान उष्ण कटिबन्धीय जलवायु के क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म बादलों की ओर आकर्षित हुआ। प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक गर्म बादल में कुछ असामान्य रूप से विशाल जलबिन्दु होते हैं। इन असामान्य कणों का व्यास

50 माईक्रोन तक हो सकता है। इन विशाल कणों से छोटे-छोटे कण टकराते रहते हैं और समाचयन की विधि द्वारा ये वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। डा० लैंगमूर ने सन् 1948 में पर्याप्त अनुसन्धान कर पता लगाया कि यदि इन बादलों पर शीतल जल अथवा साधारण बर्फ का छिड़काव कर इनमें कृत्रिम ढंग से अनेक विशाल जलबिन्दु उत्पन्न कर दिए जाएं तो इनसे पानी बरसाया जा सकता है। बाद में पता चला कि अपने आर्द्रताग्राही गुणों के कारण सामान्य लवण (नमक) भी गर्म बादलों के संसेचन के लिए बहुत उपयुक्त है।

इन विभिन्न पदार्थों से बादलों को संसेचित करने के लिए अनेक तरह की विधियां अपनाई जाती हैं। अनेक प्रयोगों में वायुयान के साथ खुश्क बर्फ पीसने का एक यन्त्र लगा रहता है जो बर्फ की छोटी-छोटी गोलियां तैयार करता है। इन गोलियों को विमान से लगे जैनरेटरों की सहायता से बादलों पर छोड़ दिया जाता है। सोवियत संघ में अपनाई जाने वाली एक विधि के अनुसार वायुयान के साथ खुश्क बर्फ टुकड़ों से भरे एक पिंजरे को लटका दिया जाता है। अब इस वायुयान को बादलों के बीच में से उड़ाया जाता है। वायु में ठण्डक उत्पन्न होती है तो उसमें बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं जो बादलों में फैलकर कृत्रिम वर्षा करवाते हैं।

संसेचन के लिए सिल्वर आयोडाईड का प्रयोग करने से पूर्व इसे "एक्टाईत" नामक जलनशील द्रव्य में जलाया जाता है। इसके बाद इसे भूतल स्थित जैनरेटरों से भी छिड़का जा सकता है और विमान से लगे जैनरेटरों से भी। भूतल स्थित जैनरेटरों का प्रयोग सस्ता तो पड़ता है, लेकिन इसके लिए वायु प्रवाह का अनुकूल रहना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, यदि भूतल स्थिति जैनरेटरों द्वारा छिड़काव हो तो यह निश्चित नहीं रहता कि संसेचित पदार्थ बादलों को उचित मात्रा में और अनुकूल तापक्रम पर उर्वरीकृत करेगा, जैसा कि कृत्रिम वर्षा की सफलता के लिए आवश्यक है।

इस क्षेत्र में हुई प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एशिया और अफ्रीका के वैज्ञानिक दृष्टि से पिछड़े अनेक अल्प-विकसित और विकासशील राष्ट्र भी इस दिशा में सफल प्रयोग कर चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने आरम्भ से ही कृत्रिम वर्षा में विशेष रुचि ली है। कारण स्पष्ट है। भारत का अधिकतर कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। हमारे देश में वर्षा कुछ कम नहीं होती। औसतन तौर पर 42 इंच की वार्षिक वर्षा यहां होती है, लेकिन इस वर्षा का देश के विभिन्न भागों में बंटवारा बहुत असमान है। जहां चेरापूंजी में औसतन 450 इंच वार्षिक वर्षा होती है, वहां राजस्थान के कुछ इलाकों में 5 इंच से भी कम पानी बरसता है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कितने ही इलाके ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष 15 इंच से कम वर्षा होती है। इतना ही नहीं, वर्षा कब, कितनी और कहां होगी, इसकी निर्णायक तो मानसून हवाएं हैं और इन हवाओं की कोप दृष्टि ऐसी है कि वर्षा का समय और स्थान बिल्कुल अनिश्चित रहता है। अतः कृत्रिम वर्षा भारतीय कृषि के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। भारत में कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी प्रयोग उष्ण-कटिबन्धीय ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी भारतीय संस्थान द्वारा किए जाते हैं। इस संस्थान के अध्यक्ष प्रसिद्ध ऋतु वैज्ञानिक डा० पाचेती कोटेश्वरम् भारत में कृत्रिम वर्षा के भविष्य के विषय में आशावान हैं। कुछ समय पूर्व एक भेंटवार्त्ता के दौरान भारत में कृत्रिम वर्षा के नए प्रयोगों के विषय में बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से फ्लोरिडा में प्रयोग में लाई जा रही एक विधि हमारे देश में सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। "गतिशील अग्र-संसेचन" अथवा "डयनामिकल क्लाऊड सीडिंग" के नाम से जाने वाली इस विधि के अन्तर्गत बादलों को पहले विकसित होने दिया जाता है और उसके बाद जलसिक्त कर दिया जाता है। डा० कोटेश्वरम् ने बताया कि इस **विधि का प्रयोग कर भारत में कम व्यय पर पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम वर्षा की जा सकती है।**

सन् 1955 से सन् 1965 तक भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की वर्षा अनुसन्धान शाखा ने आगरा-जयपुर-दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में भूतल स्थित जैनरेटरों की सहायता से सामान्य लवण तथा कुछ अन्य पदार्थों द्वारा संसेचन सम्बन्धी प्रयोग किए। इन प्रयोगों का परिणाम आशाजनक रहा है। प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा एकत्र आंकड़ों से पता चलता है कि वे वर्षा में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि करने में सफल रहे। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर दक्षिण भारत में तथा पश्चिमी घाट के पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्र में इसी तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर भूतल स्थित जैनरेटरों से सामान्य लवण द्वारा बादलों को संसेचित करने के प्रयोग किए गए।

कृत्रिम वर्षा में इतनी उन्नति कर लेने के बावजूद मनुष्य जब चाहे वर्षा करने में अभी असमर्थ है। "पुशबटन" कृत्रिम वर्षा से अभी हम बहुत दूर हैं। यदि बादल न हों तो कृत्रिम वर्षा नहीं की जा सकती है। केवल बादलों की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, उनका तापक्रम भी कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

अनेक वैज्ञानिकों ने यह विचार भी प्रकट किया है कि मनुष्य मौसम को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसमें जो कृत्रिम परिवर्तन कर रहा है, उससे मानव-जाति के लिए अनेक अल्प और दीर्घकालीन संकट उत्पन्न हो सकते हैं। वायु मण्डल की नमी बढ़ जाने से अनेक रोग फैलाने वाले कीटाणुओं और फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट-पतंगों को पनपने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। वायु मण्डल के तापक्रम में परिवर्तन होने से पौधों, पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों की अनेक कोमल जातियों की समाप्ति की आशंका भी प्रकट की गई है। सबसे बुरी बात तो यह है कि

यदि बादलों के संसेचन में असावधानी के कारण आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो बड़े पैमाने पर भू-क्षरण हो सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। इसी प्रकार युद्ध के दौरान कृत्रिम अति-वृष्टि द्वारा शत्रु राष्ट्र की फसलों को नष्ट कर वहां खाद्य-संकट उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन इन सम्भावित खतरों के डर से कृत्रिम वर्षा के प्रयोगों को रोकना उचित नहीं होगा। जहां मनुष्य बादलों से पानी बरसाने के असम्भव प्रतीत होने वाले कार्य में सफल हुआ है, वहां वह वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा इन खतरों को दूर करने के उपाय भी खोज सकता है।

सावन आए या न आए

आज ऋतु वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में अनेक लतीफे सुनाए जाते हैं। प्रायः कहा जाता है कि वे जिस मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वास्तविक मौसम उसके ठीक विपरीत होता है। लेकिन आज ऋतु विज्ञान इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि ये लतीफे निकट भविष्य में ही बीते दिनों की बात बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

विश्व भर में आज मौसम को मनुष्य के अनुकूल बनाने के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा रहे हैं। कृत्रिम वर्षा तो इन विश्वव्यापी प्रयत्नों का केवल एक पक्ष है। आज वैज्ञानिकों ने कृषि को हानि पहुंचाने वाले ओलों को स्वच्छ जल में परिवर्तित करना सीख लिया है। वायुयानों की सुरक्षा के लिए धुन्ध आच्छादित आकाश को साफ करने का तरीका भी खोज निकाला गया है।

अब सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने कवियों की "बिन बादल बरसात" की कल्पना को एक यथार्थ रूप देने के लिए भी प्रयत्न आरम्भ कर दिए हैं। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो फिर सावन आए या न आए, हम और आप सावन का आनन्द अवश्य लूट सकेंगे। सबसे अधिक लाभ तो हिन्दी फिल्मों के निर्देशकों को होगा। ग्रीष्म ऋतु हो या शिशिर, बसन्त बहार हो या पतझड़ किसी भी समय वे नायक-नायिका को वर्षा में घूमते हुए दिखा सकेंगे। यदि आलोचकों ने इस बेमौसमी बरसात पर आपत्ति की तो वे झट से बेझिझक उत्तर देंगे, "जनाब, असली वर्षा नहीं है, बनावटी बादलों से की गई बनावटी बरसात है।" □

सहयोगियों की राय

गांधीजी कहा करते थे—गांवों की जिन्दगी में रोजाना इस्तेमाल की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वे पहले बनाते या पैदा न करते रहे हों, लेकिन उनकी इस क्षमता को किसने देखा परखा है ? आज गांवों की हालत बहुत दयनीय है। हर चीज पैदा करते हुए भी वे दैनिक जरूरत की हर चीज के लिए शहरों का मुंह जोहते हैं।

यदि सरकार गांवों के विकास का पूरी तरह निश्चय कर ले तो कोई वजह नहीं कि गांवों का विकास रुका रह जाए। गांवों के विकास का मुख्य आधार खेती और कृषि उद्योगों का विकास है। ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरह इन जरूरतों को पूरा करने का जरिया बनाया जाना चाहिए। गांव का पढ़ा-लिखा खेती से दूर भागने के बजाए उसमें जीवन खपाना सीख जाए तो न सिर्फ वह आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो जाएगा, गांवों में एक नई चमक पैदा कर देगा।

गांव शहरों के पूरक न होकर शहर गांवों के पूरक बनेंगे, तभी ग्रामीण भारत का विकास होगा। **सेवाग्राम**

इसमें संशय नहीं है कि छात्रों के सामने अनेक समस्याएं हैं। बेकारी है, मंहगाई है, एक संकीर्ण, अनुदार और देश की आवश्यकताओं के प्रतिकूल दकियानूसी शिक्षा प्रणाली लागू है, सार्वजनिक जीवन से नैतिकता मूल्यों का ह्रास है। और आज नहीं तो कल, नई पीढ़ी को ही इन समस्याओं से जूझना है, उन्हें हल करना है। यह बात इस पीढ़ी को सोचनी-समझनी है कि इस गुरुतर भार को वहन करने के लिए अपने को किस तरह तैयार कर रही है। समस्याओं को हल करने के लिए आन्दोलन ठीक हो सकता है, पर उस आन्दोलन का ढंग हमेशा ऐसा होना चाहिए कि समस्याएं हल हों, और अधिक जटिल और दुरूह न हो जाएं।

छात्र शक्ति शुभ हो, सात्विक हो, कल्याणकारी हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसकी खोट पहले दूर हो, राजनीतिक दलों की कठपुतली बनना, गुण्डागर्दी की धमकी से दब्बू बन कर चुप बैठ रहना, अपना नेतृत्व समाजविरोधी तत्वों को सौंप देना शक्ति नहीं, दुर्बलता का द्योतक है। **नवजीवन**

सरकार गरीबी हटाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाती है और उन पर जितना भी रुपया खर्च करती है उससे मुद्रास्फीती ही बढ़ती है तथा देश में उत्पन्न दुश्चक्र की गति तीव्र होती जाती है। सच तो यह है कि हमने नियोजन को तो अपनाया, किन्तु अपने यहां सम्पत्ति एवं अर्थव्यवस्था के ढांचों को उसके अनुकूल बनाने की कोई चेष्टा ही नहीं की। फलस्वरूप विगत बीस वर्षों में देश की विपरीत अर्थव्यवस्था ने नियोजन के मूल आधार को ही ध्वस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में आज भारत के सामने मूल बात यह है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर संसार के सम्मुख अपना नया आदर्श प्रस्तुत कर स्वयं को सर्वांगीण दृष्टि से समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाए।

मिरगी का दौरा और उसका उपचार

यह एक प्रसिद्ध रोग है। आयुर्वेद में इसे अपस्मार के नाम से जाना जाता है। यह रोग प्रायः बचपन में ही शुरु हो जाता है। तेज बुखार के बाद या अनायास ही बच्चा बेहोश हो गया तो पता चला कि बच्चे को मिरगी का दौरा पड़ गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह दौरे कम हो जाते हैं व जवान होते होते यह दौरे ठीक हो जाते हैं। अगर यह युवावस्था में ठीक न हों तो यह बराबर ही चलते रहते हैं वृद्धावस्था तक।

इन दौरों के बीच का समय प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न होता है, किसी को साल में एक दौरा पड़ता है, किसी को तीन माह में, किसी को महींने में एक बार और किसी को दिन में एक बार या एक बार से अधिक दौरे पड़ते हैं।

जब यह दौरा पड़ता है तो बच्चा चीख मार कर गिर पड़ता है व बेहोश हो जाता है, हाथ पांव ऐंठने लगते हैं। आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, चेहरा भयानक व नीला पड़ जाता है। मुंह से फेन आने लगता है। कई बार जीभ दांतों के बीच आ जाती है व कट जाती है। जब दौरे तीव्र प्रकार के होते हैं तो मलमूत्र तक निकल जाता है। प्रायः रोगी एक ही तरफ से गिरता है यानि जब भी दौरा आता है वह एक तरफ प्रायः गिरता है बायें से या दायें से। थोड़ी देर बाद रोगी स्वयं ही होश में आ जाता है।

यह रोग बड़ी कठिनाई से ठीक होता है, प्रायः इसमें दौरे ठीक हो जाने के बाद भी निरन्तर तीन वर्ष तक औषधी खाते रहना पड़ता है और अगर इन तीन वर्षों में एक बार भी दौरा पड़ जाए तो फिर निरन्तर तीन वर्ष तक औषधि देनी पड़ती है। कठिनाइयों से बचने के लिए हमें बच्चे की देखभाल करनी चाहिए कि दौरा पड़ते समय वह इधर उधर न गिर जाए। बच्चों को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। आग, पानी से दूर रखना चाहिए। कुएँ व नदी के पास नहीं जाने देना चाहिए, ऊंचे स्थान पर नहीं चढ़ने देना चाहिए।

रोगी को जब दौरा पड़े उसे साफ व हवादार स्थान पर लिटा देना चाहिए। शरीर पर के कसे हुए कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए, सिर के नीचे तकिया रख कर मुंह में कोई साफ कपड़ा इस तरह दबा कर रख देना चाहिए कि जीभ कटने से बच जाए। हाथ पैरों की ऐंठन दूर करने के लिए तिल तेल से मालिश करनी चाहिए।

ललितेश कश्यप

बेहोशी जल्दी दूर करने के लिए कुछ निम्न प्रयोग किए जा सकते हैं।

(1) नोशादर, काली मिर्च, आक का फूल तीनों समभाग का चूर्ण बना कर रखें। जब मिरगी का दौरा पड़े तो उसे नाक में सुंघा दें, रोगी जल्दी होश में आ जाता है और दौरों को भी रोकता है।

(2) छोटी कटेरी के फल को थोड़ा पानी में पीस कर नाक में टपकाएं तो इससे भी रोगी होश में आ जाता है।

दौरा ठीक होने के बाद ध्यान रखें कि रोगी का पेट ठीक रहे, कब्ज न हो। सदा ही हलका, शक्तिवर्धक व जल्दी पच जाने वाला भोजन रोगी को देना चाहिए।

औषधी

(1) वचदूधिया, स्वर्णगैरिक, पलाश के बीज (1 छटांक, 3 तोला, 3 तोला क्रमशः) लेकर कूट कर चूर्ण बनाकर रखें 2 या 3 माशे दिन में 2 या तीन मात्राओं में बांटकर शहद व ब्राह्मी के स्वरस में दें।

(2) ब्राह्मी स्वरस का निरन्तर मधु के साथ प्रयोग करने व ऊपर कहे नस्य को निरन्तर तीन वर्षों तक लेने से इसमें लाभ होता है।

आयुर्वेद में कुछ विशेष योगों का विधान है।

(3) महाचैतस घृत आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है। यह बुद्धि वर्धक व बलवर्धक है। यह एक दो चम्मच दूध के साथ सेवन करवाएं।

(4) ब्राह्मी घृत—इसमें मुख्य ब्राह्मी है। एक-दो चमच शक्कर के साथ प्रतिदिन दें। यह दिमागी कमजोरी को दूर कर मिरगी को हटाता है व शक्ति देता है।

(5) अधिक तेज दौरों में बृहद्-बात चिन्तामणि रस (1 रत्ती) को स्वर्णगैरिक 2 रत्ती, पलाश बीज चूर्ण 4 रत्ती, वच चूर्ण 2 रत्ती के साथ मिलाकर मधु व ब्राह्मी के रस के साथ सुबह शाम दें व खाने के बाद उशीरासव का प्रयोग 2 तोले जल मिलाकर करें।

(6) वातकुलान्तक मिरगी की महान औषधि है। यह 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा में वच चूर्ण 2 रत्ती व मधु के साथ मिलाकर तीन वर्ष तक बराबर सेवन करना चाहिए।

(7) शंख का सूखा हुआ कीड़ा एक तोला, पलाश पापड़ा एक तोला, केशर 6 माशे, कायफल 2 तोले, नक छिकनी 1 तोला, कपूर 1 तोला को कूट पीस कर शीशी में बंद कर के रखो और मिरगी के दौरों के समय व उपरान्त नसवार का प्रयोग करें तो यह दौरे रोक देता है व मस्तिष्क को बल देता है।

मोतीझला की रोकथाम व उपचार ❋ हकीम चुन्नी लाल

मोतीझला एक भयंकर बीमारी है। इस का प्रकोप अधिकतर गर्मियों के दिनों में होता है। वैसे तो इस रोग के अनेक कारण हो सकते हैं पर यह घी तेल आदि की तली हुई चीजों के सेवन, धूप में चलने-फिरने तथा मिथ्या आहार-विहार से लोगों को अपना शिकार बनाता है। डाक्टर लोग इसके प्रकोप का कारण एक प्रकार के कीड़ों को मानते हैं जो किसी तरह मनुष्य की आंतों में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में फुंसियां पैदा कर देते हैं। वैद्य लोग इसका कारण धृत का सेवन और पसीने का न आना ठहराते हैं।

मोतीझला का प्रकोप होने पर पहले बुखार आता है। प्यास ज्यादा होती है। मुंह का जायका बदल जाता है। भूख नहीं लगती, मुंह और जीभ का अग्र भाग और मुख लाल हो जाते हैं। दस्त-कै होने लगते हैं, रोगी को नींद नहीं आती और तालु और जीभ में खुश्की पैदा हो जाती है। एक डेढ़ सप्ताह बाद गर्दन और छाती पर मोती सरीखे दाने निकल आते हैं। इस मर्ज की खास विशेषता यह है कि पहले सप्ताह में बुखार मन्द होता है और दूसरे सप्ताह में चार से पांच डिग्री हो जाता है और यदि कोई उपद्रव न हो तो तीसरे सप्ताह में जाकर शमन होने लगता है। किसी किसी मरीज को यह रोग 40 दिन तक भी सताता है। यदि मोतीझले के दाने दब जाएं और दस्त व कै शुरू हो जाएं तो यह रोगी के लिए खतरनाक स्थिति है।

इलाज

दाना निकलने से पूर्व रोगी को मुनक्का के नौ दाने, उन्नाव के पांच दाने, अंजीर के पांच दाने, खूबकला सात माशे को रात को गरम पानी में भिगो देवें। सुबह इन्हें पकाकर मसल छान कर दो तोला मिश्री मिलाकर पिलावें। इसके सेवन से धीरे-धीरे मोतीझला का बुखार उतरेगा और कोई उपद्रव नहीं हो पाएगा। चूंकि मोतीझला के रोगी को प्यास अधिक लगती है अतः पानी में खूबकला डालकर औटा हुआ पानी पिलावें। अगर बेचैनी ज्यादा हो तो गाजवां का अर्क दिया करें। मोती की सीप या मोती भस्म एक रत्ती शहद में मिलाकर रोगी को चटाते रहें। इससे मोतीझला का रोग शान्त हो जाएगा और आसानी से मरीज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेगा।

आंख के रोग और उनका इलाज ❋ डा० युद्धवीर सिंह

फेरमफास 6× :—मामूली आंख दुखने में यह दवा देने से रोग शुरू में ही ठीक हो जाता है।

बेलाडोना :—आंखों में दर्द, आंखों का लाल होना और रोशनी व धूप की गर्मी बरदाश्त न होना।

एकोनाइट :—सर्दी के कारण आंख दुखना।

मर्ककोर :—आंखें चिपक जाना, आंख से बहुत पीप निकलना।

एपिसमेल :—सुई गड़ने की तरह आंखों में दर्द, पलकें फूली हुई, जलन, खुजली, पीप।

युफ्रेसिया :—नाक आंख से बहुत पानी गिरना, दर्द अधिक, आंखें लाल होना, रोशनी बर्दाश्त न होना।

इन दवाओं के अतिरिक्त लक्षणानुसार **पल्सटीला, सल्फर** आदि भी काम में आते हैं। थोड़ी बोरिक एसिड गर्म पानी में डाल कर रुई से सेकना और युफ्रेसिया मदरटिंचर गुलाब जल में एक व 10 के अनुपात में मिला कर आंख में डालना लाभकारी है। पीली मिट्टी को भिगो कर कनपटी पर लगाना या रात को सोते वक्त आंख पर लगाकर पट्टी बांध कर सो जाना भी लाभकारी है।

रतौंधी और दिनौंधी

फाइजोइस्टिग्मा :—सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिल्कुल न देख सकना। यह इस रोग की खास दवा है। वैसे **नक्सवोमिका** और **फास्फोरिक एसिड** भी इस रोग में काम आते हैं। यह रोग विटामिन ए और बी की कमी के कारण होता है। इस लिए हरे साग, मक्खन आदि खाने से अधिक लाभ होता है। रतौंधी के विपरीत बहुत से लोगों को दिन की तेज रोशनी में दिखाई नहीं देता। **बाथ्रापस** इस रोग की प्रधान दवा है।

आंशिक अंधापन

औरममेंट :—किसी चीज का केवल ऊपरी भाग ही दिखाई दे, नीचे का भाग न दिखाई दे।

लिथियम कार्ब या लाइकोपोडियम :—किसी चीज का केवल दाहिने भाग के नीचे का भाग दिखाई दे।

नीचे या ऊपर का आधा भाग दिखाई न देने में **कैलकेरिया कार्ब, नैट्रम म्योर, सीपीया** आदि भी काम में आते हैं।

अंजनहारी

आंख की पलकों के ऊपर या नीचे फुंसी होने को अंजनहारी या गोहारी कहते हैं।

पल्सटीला, हीपर सल्फर, स्टेफिसेग्रिया, मरकूरियस, सल्फर, कास्टिकम, एलुमिना ऊपर की पलक पर गोहारी में फायदा करती हैं।

[illegible], [illegible] और [illegible] :—नीचे की पलक पर फुंसी होने पर काम में आती हैं।

लाइको या स्टैनम :—कोने में फुंसी होने पर दिया जाता है।

हीपर :—पीप बहने पर दिया जाता है।

मार्कसाल :— बार बार अंजनहारी के निकलने पर दिया जाता है। इससे बार बार अंजनहारी का निकलना बन्द हो जाता है।

मोतियाबिन्द

इस रोग में प्रारम्भ से ही होमियोपैथिक दवा दी जावे तो रुक जाता है और ठीक हो जाता है।

कैलकेरिया फ्लोर 6× :—दिन में दो दफा काफी दिनों तक लें।

सिनेरिरिया मेरिटिमा सक्कस :—यह दवा आंखों में डाली जाती है। एक एक बूंद दिन में 3-4 दफा डालनी चाहिए। 5-6 महीने तक डालने पर शुरू के मोतिया ठीक हो जाते हैं। **कैलकेरिया फ्लोर** 6× साथ-साथ खाना भी चाहिए।

बुढ़ापे के कारण मोतिया होने पर शुरू में ही **आयडोफार्म** 3 **विचूर्ण** दिन में दो बार खाने से प्रायः मोतिया रुक जाता है। दाहिनी आंख में शुरू होने पर **कैलकेरिया-फास** 6× लाभकारी है।

फ्लोरिक एसिड, कैनाबिसइण्डिका, फासफोरस, कास्टीकम, सीपीया आदि दवाएं भी लक्षणानुसार मोतिया में लाभकारी सिद्ध हुई हैं।

आर्सेनिकएलबम :– आंख में जलन अधिक, लाली थोड़ी। आंख से जो पानी निकले वह भी जलन करे और गाल पर गिर कर वहां सफेदी हो जावे।

आलू :—आंख में जलन होने पर आलू का गूदा बांधने से लाभ होता है। पीली मिट्टी भी गीली गीली बांधी जाए तो लाभ पहुंचाती है।

एकोनाइट :—बिना किसी कारण एकाएक दिखना बन्द हो जाना।

अर्जेण्टम नाइट्रीकम :—आंखें चिपकना, पीप जाना, आंखों के सामने सांप से घूमते हुए नजर आना।

एपिस :—आंखें सूज जाना—पपोटे भारी, फूले हुए।

फ्लोरिक एसिड :—ऐसा लगे कि आंखों में ठण्डी हवा लग रही है।

रुटा :—अधिक पढ़ने से, सीने पिरोने से आंख कमजोर हो जाना। रोशनी के चारों तरफ हरे रंग का घेरा सा लगना।

आरममेट :— किसी चीज को देखने पर ऊपर का हिस्सा न दिखाई दे केवल नीचे का दिखे।

लिथियमकार्ब :— किसी चीज का दाहिना आधा न दिखाई दे।

लाइकोपोडीयम :—सिर्फ बायां आधा दिखाई दे।

फासफोरस :—आंख के सामने लाल परकोटा सा दिखना।

साइकुटा :—पढ़ने के समय अक्षर गायब हो जाना।

नैट्रम म्यूर :— पढ़ने में अक्षर सट जाना।

जैबोरेण्डी :— पढ़ते समय आंखें शीघ्र थक जाना।

उपर्युक्त दवाएं 6 या 30 शक्ति की इस्तेमाल करें। बहुत पुरानी बीमारी में 200 या 1000 शक्ति का सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार लें।

सामुदायिक विकास से ही समाज में चेतना का उदय............[पृष्ठ 4 का शेषांश]

कोई भी क्यों न हों यही सामुदायिक विकास का उद्देश्य भी है। यदि एक बार यह आंदोलन स्वावलम्बी हो जाता है तो यह विकास पथ पर तेजी से दौड़ने लगेगा और राष्ट्र के समूचे नक्शे को तुरन्त बदल देगा।

प्रश्न : आपने यह बड़ी व्यावहारिक बात कही है। मगर भारत में हम इसे सही तरीके से नहीं अपना पा रहे है। आपका क्या विचार है, इस बारे में।

उत्तर : आरम्भ से ही हमारा यह प्रयास रहा है कि हम समुदाय को स्वावलम्बी और आत्मविश्वासी बनाएं और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्रश्न : लोगों में ऐसी धारणा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा है, इस सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

उत्तर : सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है ग्रामीण जनजीवन में चेतना पैदा करना। हमारे ग्रामीण सदियों से रूढ़ियों और दकियानूसी विचारों से ग्रस्त रहे हैं। संसार में विज्ञान और टैक्नालाजी के विकासस्वरूप एक नया परिवर्तन आया पर, हमारे ग्रामीण इस परिवर्तन से कतराते रहे। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही है जिसने गांव के लोगों में चेतना पैदा की। इस कार्यक्रम की बदौलत ही जहां एक ओर समाज में से छूतछात जैसी बुराइयां दूर होती जा रही हैं वहां दूसरी ओर हरित क्रान्ति भी इसी का परिणाम है। यदि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस दिशा में उचित कदम न बढ़ाता तो किसान खेती की नई तकनीकें भी नहीं अपनाते। अतः यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल रहा है। □

कहानी

श्रम की सफलता

तारादत्त निर्विरोध

अभी-अभी पलकें झपकीं, अभी-अभी आंखें लगीं और अभी-अभी सपना टूट गया। बस, यही हुआ उसके साथ।

रघुनाथ ने शुरू जवानी में एक के बाद एक तीन फसलों को खराब होते देखा तो उसका मन बैठ गया। कठोर मेहनत के ऐसे बुरे नतीजे भी देखने होंगे, उसने कल्पना तक न की थी। शायद तीन-चार सालों में कोई दिन आया हो जब वह निष्काम रहा हो या उसने काम से जी चुराया हो। ताबड़तोड़ कोशिश करना और काम में लगन बनाए रखना उसकी आदत बन गई थी।

वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में चला जाता, जलती दोपहरी में भी काम करता और बड़ी देर तक खेत से लौटता। पर उसकी बूढ़ी मां गुनिया की आंखों के सपने उसके देखते-देखते टूट जाते, उसकी पत्नी गोरा सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए अच्छी तरह तन भी न ढांप पाती, सुहाग के गहनों की बात आए दिन होती, योजना बनती और गृहस्थी के जोड़-तोड़ों में बात बिरानी हो जाती। बच्चे बिलख कर रह जाते।

इन सब बातों का ध्यान आने पर रघुनाथ का मन भीतर ही भीतर घुटने लगा। कभी वह स्त्री की सोचता, कभी बच्चों की, कभी अपनी बूढ़ी मां की, कभी खेत-खलिहान की और हर बार उनका ध्यान उसे झकझोर देता। गांव छोड़कर शहर चले जाने का उसका इरादा मजबूत होता जाता, पर बाहर का स्वरूप उसे कुछ न करने को विवश करता। कोई बात उसके मन को कुरेदती तो तन की सीमाएं उसे निश्चित फैसले तक पहुंचने न देतीं। फिर भी "शहर का सपना" उसे रुच रहा था और उसके विचारों का केन्द्र था शहर।

रघुनाथ सोचता शहर में आराम का ही दूसरा नाम है काम। अपने पेट जितना तो हर कोई कमा खाता है जबकि गांव में मेहनत के बाद भी पेट खाली रहता है। अच्छी फसल खड़ी करो तब भी कमाई का आधे से अधिक दूसरों में बंट जाता है।

उसने मन ही मन मानसिक गुत्थी को सुलझाते हुए कोई फैसला किया तो भीतरी तहों से कोई बोला—"अरे गांव हो या शहर, जहां काम नहीं, वहां जीवन नहीं। और शहर में तो भटकाव ही भटकाव है, लाखों में भी कोई किसी का नहीं। ईमानदारी और हमदर्दी शहर में कहां? वहां तो एक दूसरे के पेट में चाकू मारता है। गांव में अधिक कुछ नहीं, जीवन तो सादा और आसान है।

रघुनाथ के भीतर का आदमी बोला—"देखा नहीं जग्गू को, उसने श्रम, स्वेद और लगन से पहली फसल में ही सरकार का ध्यान खींच लिया। राज्य के कृषि मन्त्री ने भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। थोड़ी-सी जमीन पर इतनी अच्छी फसल गांव में क्या कोई दूसरा उगा सका! तभी तो सरकार ने उसे जागरूक और श्रमजीवी किसान का इनाम दिया। इसे कहते हैं श्रम और स्वेद की कमाई।" वह जग्गू के बारे में सोचने लगा।

पच्चीस साल से अधिक होने आए, जग्गू तब बच्चा था। उसके पिता दामोदर प्रसाद गांव के जमींदार ठाकुर नरपतसिंह के कामगार थे। गांव में उनकी ठाकुर से अधिक इज्जत थी। वह जब कहीं से गुजरते तो लोग खड़े हो जाते, सादर अभिवादन करते, पर उनकी शालीनता और सादगी को देख सबको अपने हड़बड़ाने पर पछतावा भी होता। दामोदर प्रसाद बड़े मिलनसार, सहृदय और गुणी थे। हालांकि दो-चार जमात ही पढ़े थे, पर उन जैसी बुद्धिमत्ता रखने वाला गांव में चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलता। बड़े सीधे और सज्जन थे वह।

पर ठाकुर प्रसन्न न था। उसे दामोदर प्रसाद का यह व्यक्तित्व प्रभावित नहीं कर सका। ठाकुर या तो शराब के नशे में धुत्त रहता या शोषण की प्रवृत्ति में। लोगों को लगता ठाकुर घना अंधियारा है और दामोदर प्रसाद उस अंधियारे में ज्योतिकिरण। कभी-कभी रोशनी की एक किरण ही घने अंधियारे को चीर देती है।

ठाकुर और दामोदर धीरे-धीरे विचारों में पूरब-पश्चिम हो गए। ठाकुर के अत्याचारों, व्यभिचारों और शक्ति के दुरुपयोग से दामोदर प्रसाद ने इस्तीफा देना चाहा, तब ठाकुर ने उन्हें गांव छोड़ देने की धमकी दी। ऐसा न करने पर उसकी सात पीढ़ियां बर्बाद करने की बात कही और अपने नौकरों से दामोदर प्रसाद को धक्के देकर बाहर निकाल देने को कहा। फिर भी दामोदर प्रसाद खून की घूट गले उतार गए। वह गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गए।

ठाकुर अपनी जीत पर मुस्कुराने और डींगें मारने लगा। जाने से पहले दामोदर प्रसाद ठाकुर को अन्तिम अभिवादन करने, गांव से निकाले जाने का कारण जानने और क्षमा प्रार्थना के लिए ठाकुर के पास गए।

ठाकुर देवी पूजा से उठा था। बाहर आया तो मुंह फेर कर पूछा—"तुम अभी गांव में ही हो? गए नहीं?"

"जा रहा हूं अन्नदाता," दामोदर प्रसाद ने विनम्र स्वर में कहा। "सोचा जाने से पहले......।"

"बोलो, क्या कहना चाहते हो?" ठाकुर ने पीठ फेर ली।

"यही कि आखिर क्या कारण है

तो आप मुझे गांव [illegible] मजबूर कर रहे हैं ?"

"कारण ?" ठाकुर आंखें चढ़ाते बोला—"कारण पूछना चाहते हो तो सुनो। कारण हमारी मर्जी। आदेश न मानने पर शायद···।"

"आप कोई और कदम उठाएंगे ?"

"कदम ही नहीं, इससे भी कुछ अधिक।" ठाकुर भीतर जाने लगा। दामोदर प्रसाद ने समय का फायदा उठाकर कहा—"तो ठाकुर। आप भी सुन लें, मैंने आपका अन्न खाया है, पर आज आपका अन्न ही बगावत करने को कह रहा है, अगर इजाजत हो तो...।"

ठाकुर के माथे पर बल पड़ गए बोला—"कहो, पर नतीजे की भी सोच लेना।"

"नतीजे की अब मुझे नहीं सोचनी, ठाकुर आज के बाद तेरे गांव में शरणागत होकर नहीं आऊंगा। पर, सौगन्ध है मुझे शीतला मैया की जो तेरा दर्प चूर न कर दूं।"

"हूं हूं।" और ठाकुर अन्दर चला गया। दामोदर प्रसाद भी घर लौट आया। रात पूरी होते-होते सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही दामोदर प्रसाद अपनी स्त्री और बच्चे जग्गू को साथ ले बाहर निकल गए।

समय की परतें एक पर एक चढ़ती गईं। मौसम आए, बदले और हवा की पालकी में बैठ कर लौट गए। एक समय ऐसा आया जब कागजों की धूल की झाड़ दी गई, पर भीतर की परतों पर जमी धूल तब भी न बुहर सकी। पचपन वर्ष के आते-आते दामोदर ने शहर भी छोड़ दिया और मरते दम ठाकुर के गांव की ओर पीठ करके सोए।

जग्गू बड़ा हो गया था। अधिक नहीं, पर उसने इण्टर पास कर ली थी और सरकारी नौकरी की तलाश में था। तभी समय ने नई करवट ली। सरकार ने गांवों में जमींदारी उन्मूलन किया और किसानों को उनके हक दिलवा दिए। साथ ही वह जमीन जिस पर वे सालों से काश्तकारी करते आए थे, जमींदारों से लेकर उन्हें दे दी गई।

इस तब्दीली का जग्गू के जीवन पर बड़ा असर पड़ा। उसे मामा की जमीन का वह बड़ा टुकड़ा मिला जिसे सालों से ठाकुर दबाए था। जग्गू सालों के बाद फिर गांव लौटा। उसकी मां भी साथ थी। अपनी बूढ़ी मां के सपनों को साकार करने के लिए वह खेती करना चाहता था। मामा की जमीन के बड़े टुकड़े में दो कुएं भी थे। जग्गू ने खेत के दोनों कुओं की सफाई करके सरकार द्वारा दिए अच्छी किस्म के बीज ले बुवाई और सिंचाई के काम शुरू कर दिए।

पहली फसल की बुवाई के साथ जग्गू की मां ने बेटे की सगाई एक काश्तकार की बेटी से कर दी और फसल की कटाई तक बेटे का ब्याह कर वह भी चल बसी।

जग्गू की पत्नी का नाम ज्योति था। अब परिवार में तीन सदस्य थे। जग्गू, ज्योति और उनका खेत। रोज बड़े सवेरे जग्गू खेत में चला जाता और घर के काम काज को समेट कर ज्योति अपने पति का भोजन लेकर खेत में जाती। दोनों दिन भर खेत में जुटे रहते और शाम को साथ साथ घर लौटते। यह क्रम नियमित था।

फसल हुई। अनाज गांव की मण्डियों में भेजा गया। बात सरकार तक पहुंची और अच्छी फसल के लिए पंचवर्षीय योजना के प्रचार विभाग ने जग्गू और ज्योति को इनाम दिया। जग्गू और ज्योति की बड़ाई की बात बेतार के तार की तरह सारे गांव में फैल गई।

पहली योजना पूरी होते होते जग्गू और ज्योति दस फसलें तैयार कर चुके थे। दोनों के श्रम और लगन की यह कहानी किसी की अनसुनी नहीं थी। कोई ज्योति के भाग्य को सराहता तो कोई जग्गू के श्रम की।

रघुनाथ ने जैसे किसी सपने को साकार होते देखा हो। वह उठा और खेत की ओर चल दिया। उसे लगा उसके भीतर का आदमी कोई दूसरा नहीं, जग्गू ही है। अब वह बाहर के रघुनाथ और भीतर के जग्गू में दूरी रखना नहीं चाहता था।

एम-7 डाकतार कालोनी
सी-स्कीम,
जयपुर (राजस्थान)

बन्धु आओ

प्रदीप शुक्ल

तुम धरा पर खड़े होकर
शीश को नभ तक उठाओ।
दृष्टि को अपनी उठाकर और ऊपर
दूर हिमगिरि के शिखर से
हिन्दसागर के तटों तक
हर दिशा में
क्या कहां है
किस जगह हैं रंग बिखरे
कहां पर संगीत के स्वर
कहां फसलें झूमती हैं
कहां मरुथल की तृषा है
झर रहे हैं कहां निर्झर
देख आओ।
अभी अनदेखा बहुत है
ताज से लेकर अजन्ता तक
खड़ी इन मूर्तियों में
रंग के आयोजनों में
सब जगह यह देश
भारत जी रहा है।
कहीं वस्त्रों की विविधता,
अतुल पर्वों की खुशी है
थाप ढोलक पर कहीं तो
कहीं पर पौरुष मचलता,
विविध रंगों और रूपों में विचरता,
देश भारत, देश अपना है।
सबल अपनी बाहुओं से देश का
कण-कण सजाओ।
बन्धु आओ।

साहित्य समीक्षा

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह—लेखक : श्री राजेन्द्र पाल सिंह; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार; मूल्य : 4 रुपया; पृष्ठ संख्या 168।

आलोच्य पुस्तक "हमारे देश के राज्य" माला के अन्तर्गत प्रकाशित आठवीं पुस्तिका है। इस माला के अन्तर्गत सात पुस्तिकाएं पहले ही केरल, आन्ध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा व पंजाब पर प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रकाशक के अनुसार पुस्तक माला का उद्देश्य देश के विभिन्नि क्षेत्रों में अधिकाधिक जागरूकता तथा पारस्परिक सद्भाव पैदा करना है।

वस्तुतः इस प्रकार की पुस्तकों की अतीव आवश्यकता है, जिनके द्वारा सभी राज्यों के निवासी एक-दूसरे के जीवन, रहन-सहन, संस्कृति, परम्पराओं, जलवायु, आर्थिक अवस्था व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकें।

कथित पुस्तक माला हिन्दी भाषी क्षेत्रों की इस आवश्यकता को बखूबी पूर्ण कर रही है, यह सन्तोष का विषय है। अच्छा हो इस प्रकार की पुस्तिकाएं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जाएं। राष्ट्रीय एकता की दिशा में यह वांच्छित कदम होगा। भारत एक विशाल देश है, यहां भिन्नताएं भी हैं। अतः सभी राज्यों के निवासियों के बारे में पूरी जानकारी पुस्तिकाओं द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तिका बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में काफी लम्बे-चौड़े क्षेत्र में फैले 550 से अधिक द्वीपों व चट्टानों के समूह के, जिसको अन्दमान निकोबार, स्वर्णद्वीप, शहीद व स्वराज्य द्वीप कहा जाता है, बारे में विशेष सामग्री प्रस्तुत करती है। पुस्तिका तीन खण्डों में विभक्त है। प्रथम व द्वितीय खण्डों में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहां के लोग, उनकी संस्कृति, रहन-सहन, धर्म, जातियों, जनजीवन, जलवायु, वन-सम्पदा, अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग धन्धे, वेशभूषा और खानपान आदि बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

तृतीय खण्ड में द्वीपसमूह के प्रशासन, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा की गई प्रगति की दिशा, सामाजिक सेवाओं, यातायात के साधनों तथा नई बस्ती योजना का विवेचन किया गया है।

पुस्तक का अनुशीलन करते हुए लगता है कि पाठक द्वीपों की सैर कर रहा है। पाठक के मन में अनायास ही अन्दमान निकोबार निवासियों के प्रति, जिन्होंने अनेक कठिनाइयां झेली हैं, श्रद्धा और दया उमड़ पड़ती है और सहानुभूति का भाव जाग्रत हो जाता है। लेखक का यह कथन कि "इस प्रकार कल तक जो कालापानी साम्राज्यवादी दमन का प्रतीक था, वही आज स्वतन्त्रता संग्राम की आहुतियों का स्मारक बन गया है," बहुत सटीक व उचित है। स्वतन्त्रता संग्राम के महान् व पूजनीय नेता सुभाषचन्द्र बोस ने इसको शहीद और स्वराज्य द्वीप का नाम देकर स्वतन्त्रता सेनानियों का अपेक्षित सम्मान किया है।

पुस्तक की भाषा सरल है। शैली स्पष्ट व सुबोध। कम हिन्दी जानने वाले भी पुस्तक को आसानी से समझ सकते हैं और ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। छपाई साफ-सुथरी है। प्रूफ की त्रुटियां नगण्य हैं। चित्रों व मानचित्रों द्वारा पुस्तक को रोचक बनाया गया है। अतः पुस्तक काफी उपयोगी है।

शिशुपाल सिंह त्यागी
सूचना केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग कमीशन,
के-ब्लाक, चौधरी भवन, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001

नियति के पुतले—लेखक : पिनिशोट्टि श्री राममूर्ति; प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली; मूल्य : छः रुपए; पृष्ठ संख्या : 169।

भावात्मक एकता के विचार से सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन ने हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में से कुछ उत्कृष्ट उपन्यासों को चुना और उनका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है। उसी शृंखला में यह कृति पाठकों को प्रस्तुत की गई है। यह उपन्यास मौलिक रूप से 'दत्तता' के नाम से तेलुगु में प्रकाशित हुआ है। इसे हिन्दी के जाने माने लेखक श्री बाल शौरि रेड्डी ने हिन्दी में रूपान्तरित किया है।

प्रस्तुत उपन्यास सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोक चेतना जाग्रत करने का सुन्दर प्रयास है। हिन्दू समाज में अब भी विधवा का जीवन वृक्ष से टूटी डाली सा है। वह निराश्रित यदि साहस बटोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो सगे सम्बन्धियों का दुर्व्यवहार एवं दुश्चरित्रों की कटी जली बातें चैन नहीं लेने देतीं। शातम्भा का जीवन इन्हीं विषम परिस्थितियों का शिकार बन गया है। देवरानी के कटु व्यवहार के कारण वह राम और रवि दो पुत्रों समेत घर छोड़ एकमात्र सम्बन्धी फूफी, वह भी रोग-ग्रस्त, की शरण लेती है। यह आश्रय अधिक देर न टिक पाया। फूफी के कहने पर शातम्भा अपने

[शेष पृष्ठ 31 पर

रूपक

छोटा काम : बड़ा काम

मोहनसिंह भाटी

[कालेज के होस्टल का अहाता। प्रमोद तथा राजेश बैठे हैं। राजेश के पास सूटकेस है, वह कहीं जाने को तैयार लगता है। सुबह का समय, लोग आ जा रहे हैं। नौकर दो कप चाय लाता है]

दृश्य प्रथम

प्रमोद : (नौकर से) गधे—सारी उम्र निकाल दी इस होस्टल में पर तमीज नहीं सीख पाया। बुद्धू कहीं का, एक वर्ष लगा दिया दो कप चाय लाने में।

नौकर : (घिघियाते हुए) सा—ब—वो—।

प्रमोद : वो – वो—क्या करता है। चल हट भाग जा यहां से। (नौकर चला जाता है, प्रमोद राजेश से मुखातिब हो कर)

प्रमोद : वैल राजेश, वाट् इज य्योर नेक्स्ट स्टेप? आई मीन तुमने डिग्री तो ले ली अब क्या करोगे?

राजेश : (कुछ गम्भीर हो जाता है, चाय सिप करते हुए) हां बन्धु—मैं भी यही सोच रहा था। जिन्दगी का एक अध्याय तो समाप्त कर दिया परन्तु असली परीक्षा तो अब होगी। बस—यही सोचता हूं अब क्या करूंगा।

प्रमोद : (बीच में ही तपाक से) वाह—भई वाह—इसमें भी कोई सोचने विचारने की बात है। करना क्या है—नौकरी—सरकार के मेहमान बन जाओ, बस फिर तो मजे ही मजे हैं—।

राजेश : (एक उसांस खींचते हुए) बहुत मुश्किल है प्रमोद—तुम जिसे आसान समझ रहे हो, वह बहुत मुश्किल है। न सिफारिश है और ···

प्रमोद : हिश—कितने नाउम्मीद आदमी हो।

राजेश : प्रमोद तुमने भी कुछ सोचा है (वह प्रमोद के चेहरे में आंखें गड़ाए उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता है)

प्रमोद : (एक निश्चयात्मक लहजे में) अपना तो सब कुछ तय है बन्धु। आखिर तो कुछ कम नहीं बी० एस० सी० एजी हैं। तिकड़म लगा कर कहीं भी सरकारी गजेटेड पोस्ट हथिया लेंगे।

(कुछ सोच कर बात को जारी रखते हुए)—अरे हां, याद आया वैसे मेरे चचेरे भाई के दोस्त प्रसाद जी जिला प्रमुख भी हैं उनका इन्फ्लुएंस अच्छा है—। (प्रमोद चाय खत्म कर कप आगे को सरका देता है।)

(इस बार राजेश काफी गम्भीर हो जाता है। वह टेबल पर चाय रख कर खड़ा हो जाता है और टहलता हुआ अहाते के दूसरे छोर पर चला जाता है। उसकी दृष्टि दूर पहाड़ियों की ढलानों में बिछे खेतों में डूब जाती है। वह भावुक हो उठता है।)

प्रमोद : बहुत दार्शनिक हो उठे हो राजेश, क्या इरादा है?

राजेश : (रूखी मुद्रा में बिना प्रमोद की ओर देखे) क्या बताऊं प्रमोद, जब भी इस जगह खड़े हो कर मैंने इन खेतों को देखा है तो—

प्रमोद : (बीच में ही) एकदम बकवास—जब देखो तब खेत—खेत—खेत—। यह केवल भावनाएं हैं, व्यावहारिकता नहीं प्यारे।

राजेश : (इस बार वापिस लौट कर कुर्सी पर बैठ जाता है, वह वैसा ही गम्भीर है) नहीं प्रमोद भावनाएं नहीं—व्यथित हृदय की पुकार है। दोस्त हम युवा शिक्षित छात्रों को खेतों से दूर नहीं भागना चाहिए। इन्हीं में हमारा, हमारे देश का जीवन है—भाग्य है—।

प्रमोद : (जोर देते हुए) अगर तुम इसी दकियानूसी निर्णय पर पहुंचे हो, तो तुम्हारा निर्णय गलत है। एकदम बेवकूफी से उठाया गया कदम है। (कुछ संयत होकर) भला सोचो, तुम्हारे मां बाप ने अपनी धन दौलत, इज्जत आबरू सब कुछ गिरवी रख कर तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम आदमी बन सको पर अफसोस है दोस्त तुम्हारे जैसे भोन्दू छोकरों पर जिन्हें अपनी डिग्री का जरा भी गरूर नहीं—।

राजेश : प्रमोद तुम डिग्री को क्या समझते हो।

प्रमोद : और तुम क्या समझते हो—?

राजेश : दिखने में एक कागज का टुकड़ा किन्तु समझने व करने में बहुत गहरा और जिस दिन मेरे दोस्त इस भौतिकवाद की चमक से परे हट कर तुम इसका सही प्रेक्टिकल उपयोग जान जाओगे, उसी दिन इसकी सार्थकता समझ पाओगे—।

(प्रमोद सिगरेट सुलगाता है और लम्बा कश खेंच कर धुंआ फेंक देता है)

(इस बीच दोनों के बीच कुछ क्षण के लिए खामोशी छा जाती है)

राजेश : (खामोशी को तोड़ते हुए पुनः कहता है) जानते हो दोस्त हम ग्रेज्युएट हैं, हमने कालेज की एज्युकेशन की है—एज्युकेशन भी किस की—खेती की—और नतीजा? —नतीजा यह हुआ कि इस डिग्री की तालीम ने हमें खेती की मुहब्बत के बजाए उससे नफरत करना सिखाया है—काश—प्रमोद हमें कालेजों में सूटेड बूटेड आने के बजाए शुरू से ही अपनी गांवों की पोशाकों में ही आना सिखाया जाता, पाठ्य पुस्तकों पर अधिक ध्यान न देकर रात दिन खेतों में प्रैक्टिकल के लिए जोर दिया जाता तो कितना अच्छा होता —खैर—

प्रमोद : मे—बी—बट वेरी सारी राजेश, तुम्हारे ये दकियानूसी ख्यालात मुझे जरा भी इम्प्रैस नहीं कर सकते। खैर—छोड़ो यार इस बोरिंग मेटर को। अच्छा यार बताओ कि वर्षों हम साथ रह लिए हैं। यही होस्टल और हम दोनों—कभी-कभी इस नाचीज को याद तो कर लिया करोगे ना—।

राजेश : बेशक—(और दोनों साथी गले मिलते हैं)
(एक भर्राटे सी आवाज आती है। अहाते के आगे टैक्सी आकर रुक जाती है)

राजेश : (टैक्सीवाले से) क्या लोगे स्टेशन के ?

टैक्सीवाला : जो वाजिब समझो दे देना बाबू जी।

राजेश : (प्रमोद से हाथ मिलाते हुए) अच्छा यार—विश यू गुड लक—

प्रमोद : (चेहरे पर मुस्कान लाकर) सेम टु यू—
(राजेश टैक्सी में अटेची रख कर बैठ जाता है, टैक्सी रवाना हो जाती है)

राजेश : राजेश टैक्सी से हाथ निकाल कर हिलाते हुए) बा—बाय—बाय—बाय—
(प्रमोद बोलता नहीं सिर्फ हाथ हिला हिला कर उत्तर देता है। वह वहीं खड़ा तब तक टैक्सी को देखता रहता है जब तक वह आंखों से ओझल नही हो जाती)

दृश्य दो

(तीन साल बाद)
(खेतों के बीच एक काटेज में स्थित एक शानदार दफ्तर का सजा हुआ कमरा)
(प्रमोद इन्टरव्यू के लिए आए हुए उम्मीदवारों की पंक्ति में खड़ा है, उसका नाम पुकारा जाता है)

चपरासी : (ऊंची आवाज में) प्रमोद खन्ना—
(प्रमोद भीड़ में अपना हाथ खड़ा करके अपनी उपस्थिति जाहिर करता है और अपने को व्यवस्थित करते हुए पर्दा हटा कर कमरे में प्रवेश करता है)

प्रमोद : (हाथ जोड कर) नमस्कार—
(सामने कुर्सी पर बैठा आदमी इस फार्म का मालिक, उसकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा है। कटी और बड़ी खूबसूरती से संवारी हुई काली दाढ़ी और उससे मिली मूछें। वह नजर नीचे झुकाए प्रमोद के नमस्कार का सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देता है।

मालिक : (गर्दन उठाकर प्रमोद को सिर से पांव तक देखते हुए) आपका शुभ नाम ?

प्रमोद : प्रमोद खन्ना सर। (एक संक्षिप्त सा उत्तर)

मालिक : योग्यता ?

प्रमोद : बी० एस० सी० एजी सर। (और बड़ी ललक के साथ शीशे में मढ़ी डिग्री आगे को सरका देता है)

मालिक : (डिग्री पर एक सरसरी नजर डालते हुए) मिस्टर खन्ना, मुझे तुम्हारी डिग्री नहीं तुम्हारी योग्यता से मतलब है।

प्रमोद : वह यूनिवर्सिटी की है सर। (उसके चेहरे पर मायूसी खिंच जाती है)

मालिक : भई, मैं कब कह रहा हूं कि यह यूनिवर्सिटी की नहीं है, पर मुझे तो इस बात का प्रमाण चाहिए कि तुम खेतों में हल चलाने की भी डिग्री रखते हो। हमें थ्यौरी नहीं, एक्शन चाहिए। आपने जो पढ़ा है अगर वह आप करके नहीं दिखा सकते तो उसका क्या फायदा ?

प्रमोद : लेकिन सर—हम लोग—

मालिक : हाथ मैले नहीं कर सकते, कीचड़ में पांव नहीं रख सकते, जमीन पर बैठ नहीं सकते, श्रम नहीं कर सकते—काम नहीं कर सकते क्यों ? है न ? क्योंकि यह घटिया दर्जे का काम है नो यंगमैन—कोई काम छोटा नहीं होता—यदि इस तरह पढ़ाई लिखाई तुम्हें अपने हाथ से काम करने की नफरत पैदा कर दे तो यह दुर्भाग्य है देश का। भाई तुम ताज्जुब करोगे—हमारे यहां तो सब मेहनत करते हैं मैं खुद ग्रेज्युएट हूं पर खुद अपने हाथ से काम करता हूं—बैलों की तरह मेहनत करता हूं और अगर तुम हमारे साथ इसी भावना से काम करना चाहो तो तुम्हें भी—

प्रमोद : (चीख कर)—नही नहीं यह सब नहीं हो सकता। मैं बी० एस० सी० एजी० हूं—मुझे यहां मैनेजरी के लिए बुलाया गया है—मजदूरी के लिए नहीं। मैं—मैं—(वह हांफता है)

मालिक : (एक आदेशात्मक आवाज में) फिर ठीक है—तुम जा सकते हो—हमारे यहां ऐसे डिग्रीधारियों की जरूरत नहीं जो खुद अपने हाथ कोई भी काम नहीं कर सकते—समझे—

(प्रमोद [illegible] मुड़ता है, उसके पांव लड़खड़ाते हैं। आंखों में अन्धेरा तैर उठता है) तभी पीछे से ऊंचे स्वर में एक पुकार ध्वनित होती है-- प्रमोद—(प्रमोद सम्भल कर पीछे को मुड़ता है)

प्रमोद : रा—जे—श—तु—म।

(उसकी आंखें फटी फटी सी रह जाती हैं। इस बार मालिक की आंखों पर काला चश्मा नहीं है, मूछें और दाढ़ी नहीं है प्रमोद पहचान जाता है)

प्रमोद : (पुनः दोहराते हुए) तो राजेश तुम—और इस फार्म के मालिक— ? ?

राजेश : (उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए) हां प्रमोद—तुम्हारा वही—दोस्त—राजेश—

राजेश (कुछ रुक कर पुनः) प्रमोद तुम्हें याद है एक दिन मैंने कहा था मैं अपनी डिग्री को इन्हीं खेतों में खपाऊंगा—बस वही किया—

(राजेश टेबल पर लगा बटन पुश करता है घंटी घनघना उठती है। चपरासी अन्दर आता है)

राजेश : गधे—उम्र गुजार दी नौकरी करते पर तुम में अभी तक तमीज नहीं आई। बुद्धू कहीं का—(फिर प्रमोद की ओर इशारा करते हुए) —तुम्हारे—ये—नए—साहब हैं—नमस्कार करो और फुर्ती से चाय लाओ।

(नौकर सलाम कर चला जाता है पर प्रमोद यह सुनकर पुलकित हो उठता है)

प्रमोद : राजेश—क्या वाकई तुम मुझे—नहीं नहीं—तुम मजाक कर रहे हो—मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ—क्या वाकई मुझे—यहां नौकरी मिल गई है ?

(आगे वह कुछ नहीं बोल पाता उसके अधर थरथरा जाते हैं)

राजेश : हां, क्योंकि तुम्हें अपनी भूल का अहसास हो गया है।

प्रमोद : मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार। टेल मी—आर यू सिरियस ?

राजेश : इसमें भी कोई शक है ?

(और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए) कांग्रेच्युलेशन एन्ड गुड लक फार यौर न्यू लाइफ—

और दोनों साथी एक बार फिर आलिंगन में बंध जाते हैं, दोनों के अधर कांपने लगते हैं, आंखें भीग जाती हैं और कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ सिसकियां चलती हैं। तभी कहीं से किसी ट्रांजिस्टर की मन्द आवाज उन्हें छू जाती है—धरती कहे पुकार के—और उनके आलिंगन का कसाव और दृढ़ हो जाता है)।

साहित्य समीक्षा .... [पृष्ठ 28 का शेषांश]

बड़े पुत्र राम को, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए दत्तक पुत्र बना लेना स्वीकार करती है।

जमींदार श्री गंगाधर राव, जिन्होंने राम के सहज सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया, निपट स्वार्थी और ढोंगी व्यक्ति है। शातम्भा को वहां भी आश्रय प्राप्त न हुआ। वह तो पुत्र का मुख देखने को भी तरसने लगी।

आश्रयहीन, और ठौरहीन शातम्भा पुत्र रवि समेत अब कहां जाए ? भला हो सीधे सादे, कर्त्तव्यपरायण और कर्मठ प्राथमिक स्कूल के अध्यापक धर्मय्या का जो आश्रयहीन का आश्रय बना। किन्तु ऐसे आदर्शवादी की क्या दशा हुई ? वही जो स्वार्थी, दम्भी और लोभी समाज में ऐसे लोगों की होती है अर्थात् निज पर और सन्तान पर विपत्तियों की बौछार। वस्तुतः जमींदार श्रीगंगाधर राव ऐसे ही समाज का प्रतीक है। उसे अभिमान है अपने ऐश्वर्य पर और ढोंग रचाता है दान का। वह निपट स्वार्थी जीव है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के प्राणों की बलि चढ़ा सकता है। किन्तु ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के जीवन का अन्त सामाजिक विषमताओं की कटुता का निरन्तर पान करके प्रतिशोध की भावना को लिए हुए रवि सरीखे विद्रोही मन वाले व्यक्ति के द्वारा करा कर लेखक ने निश्चित ही एक सन्मार्ग दिखाया है। पुत्र के उज्ज्वल भविष्य की स्वार्थता में विवश हो मातृप्रेम की कोमल भावनाओं के परित्याग का दुष्परिणाम भी शातम्भा को खूब मिला। उसे उसी जमींदार की गोली का निशाना बनना पड़ा।

उपन्यास में राम और रवि दो भाइयों की मानसिक स्थितियों का परिचय मिलता है जो भाग्यवश दो भिन्न परिस्थितियों में पले। शातम्भा की गाथा में मां के वात्सल्य तथा सामाजिक वैषम्य से पीड़ित परिवारों के संघर्ष की मार्मिक कहानी छिपी है। धर्मय्या आदर्शवादिता का शिकार है। ऐसे व्यक्तियों को समाज की वेदी पर तिल तिल जल कर प्राण देने में ही शायद आनन्द का अनुभव होता है। जमींदार गंगाधर राव है निस्सन्तान, दम्भी और लोभी धनी।

उपन्यास की कथा में रोचकता है। उपन्यास के अन्त में घटनाएं इतने वेग से घटी हैं कि पाठक अवाक् रह जाता है। उपन्यास की रचना के लिए जहां लेखक को श्रेय है वहां श्री बालशौरि रेड्डी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने उपन्यास को हिन्दी में रूपान्तरित कर हिन्दी साहित्य की वृद्धि की है। पुस्तक की छपाई साफ सुथरी है। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं।

राममूर्ति कालिया

केन्द्र के समाचार

गेहूं की वसूली

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 1974-75 के लिए गेहूं की वसूली और मूल्य-नीति के सम्बन्ध में कहा कि वर्तमान खाद्य स्थिति के सन्दर्भ में गेहूं की वसूली और मूल्य सम्बन्धी नीति का बहुत महत्व हो गया है। अच्छी खरीफ फसल के बावजूद अभाव की मनोवृत्ति के कारण दुर्भाग्यवश हर स्तर पर जमाखोरी बढ़ी है। राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद्, संसदीय सलाहकार समिति और मुख्यमंत्री-सम्मेलन में 1974 की नीति के सभी पहलुओं पर विचार हुआ था।

उन्होंने कहा कि पूरी तरह विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि सभी राज्यों में सार्वजनिक एजेंसियों के जरिए वसूली जारी रखी जाए और इसके अलावा निजी और सहकारी समितियों, दोनों तरह के थोक विक्रेताओं को लाइसेंस और नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत, काम करने दिया जाए। इस समय एक-एक राज्य का जो क्षेत्र है वह जारी रखा जाएगा। व्यापार के लिए राज्य के अन्दर गेहूं लाने लेजाने पर कोई नियन्त्रण नहीं होगा।

पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में जहां अतिरिक्त उपज होती है, सहकारी समितियों समेत खाद्य व्यापारियों पर 50 प्रतिशत लेवी, मण्डियों और बिक्री केन्द्रों में उनकी दैनिक खरीद पर लगेगी, जो सरकार को 105 रु० प्रति क्विण्टल के निर्धारित मूल्य पर बेची जाएगी। व्यापारी लेवी मुक्त गेहूं राज्य में या राज्य से बाहर परमिट के आधार पर बेच सकेंगे। अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में ग्रेडेड लेवी के जरिए वसूली की जा सकती है।

सभी किस्मों के गेहूं के लिए 1974-75 में बिक्री के दिनों में सरकारी खरीद का मूल्य 105 रु० प्रति क्विण्टल तय किया गया है। खरीद मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप गेहूं का केन्द्रीय जारी मूल्य सभी किस्मों के गेहूं के लिए 125 रु० प्रति क्विण्टल होगा।

अपने वक्तव्य के अन्त में उन्होंने कहा कि व्यापार कड़े नियन्त्रण और नियमों के अधीन चलाया जाएगा। नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गैरसरकारी समितियां भी बनाई जाएंगी।

गन्ना उत्पादन कार्यक्रम

भारतीय गन्ना विकास परिषद ने 1974-75 के दौरान विभिन्न राज्यों में गन्ना विकास के लिए सालाना कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। गन्ना उत्पादन का अखिल भारतीय लक्ष्य 14 करोड़ 18 लाख टन रखा गया है।

परिषद् की बैठक में अनुसन्धान केन्द्रों द्वारा निकाले गए नए तरीकों का इस्तेमाल करके गन्ने की खेती की लागत को कम करने पर जोर दिया गया। परिषद ने यह महसूस किया कि कारखाने में होने वाले नुकसान को कम करके चीनी की उत्पादन लागत में कमी करनी चाहिए। इससे चीनी के दामों में कमी लाई जा सकती है।

परिषद् यह समझती है कि अगर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए तो उनको खेती के नए तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

परिषद् ने पांचवीं योजना में शुरू होने वाले गन्ना और चुकन्दर कार्यक्रम पर भी विचार किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जहां से बड़े पैमाने पर खेती के लिए अच्छे किस्म के गन्ने के बीज प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में पौधों के संरक्षण, राज्य स्तर पर गन्ना विकास कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की भी व्यवस्था की जाएगी। पांचवीं योजना के दौरान चुकन्दर की व्यापारिक स्तर पर खेती करने का प्रस्ताव है।

उर्वरक की बचत

उर्वरक की बचत के लिए केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय द्वारा खरपतवार की रोकथाम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आयोजन किया जा रहा है। यह सूचना कृषि मंत्रालय में उर्वरक आयुक्त डा० एस० आर० बरुआ ने खरपतवारनाशक दवाई बनाने वाले उद्योगों के प्रतिनिधियों को बैठक में भाषण देते हुए दी।

इस वर्ष यह कार्यक्रम लगभग 20 लाख हैक्टेयर उस भूमि में लागू किया जाएगा जहां अधिक उपज वाली फसलें उगाई जाती हैं।

डा० बरुआ ने कहा कि लगभग 6 करोड़ रु० के मूल्य की लगभग 2,400 टन खरपतवारनाशी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे 60 हजार टन उर्वरक अर्थात् लगभग 12 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। डा० बरुआ ने आगे कहा कि खरपतवारनाशी दवाई का प्रयोग करने से हुई उर्वरक की बचत द्वारा 60 करोड़ रुपए के मूल्य का 6 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया जा सकेगा।

खरपतवारनाशी दवाई के महत्व पर बल देते हुए डा० बरुआ ने इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पांचवी योजना के दौरान अधिक उपज वाली फसलों

के क्षेत्र के कम से कम 20 प्रतिशत भाग में यह कार्यक्रम लागू किया जाए।

डा० बरुआ ने कहा कि किसानों में खरपतवारनाशी दवाइयों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कृषि मंत्रालय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है।

बचत-खातों का नवीकरण

डाकघरों में जिन व्यक्तियों के बचत खाते हैं और खाते में 200 रु० या इससे अधिक पड़ा हुआ है, उन्हे तुरन्त अपने खातों को फिर से चालू करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे पुरस्कार पाने के लिए पहली 'ड्रा' में शामिल किए जा सकें।

वे खाते जिनमें पिछले 6 वर्षों में न कुछ राशि जमा की गई है और न ही कुछ राशि निकाली गई है, वे खाते डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 की धारा 50 के अनुसार 'ड्रा' में शामिल नहीं किए जाएंगे। परन्तु जो व्यक्ति सम्बद्ध डाकघर में आवेदन देकर अपने खाते फिर से चालू करा लेंगे, उन्हें 'ड्रा' में शामिल किया जा सकेगा।

पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत डाकघरों के जिन बचत खातों में के बीच ब्याज-योग्य 200 रु० या इससे अधिक हैं, इस 'ड्रा' में भाग ले सकते हैं।

पुरस्कार पाने वाले खातों को निम्नलिखित पुरस्कार मिलेंगे।

प्रथम पुरस्कार	एक	2,50,000	रु०
द्वितीय पुरस्कार	पांच	1,00,000	रु०
तृतीय पुरस्कार	दस	50,000	रु०
चतुर्थ पुरस्कार	एक सौ	10,000	रु०
पांचवा पुरस्कार	एक हजार	500	रु०
छठा पुरस्कार	दस हजार	50	रु०

फलों का निर्यात

भारतीय उद्यान विकास परिषद् फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श करेगी। यह परिषद् फलों और सब्जियों की बिक्री, डिब्बाबन्द करने और उन्हें भण्डार में रखने के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करेगी। इस सिलसिले में निर्यात किए जाने फलों और सब्जियों की खेती के लिए 5 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं।

केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने केले का निर्यात बढ़ाने के लिए केला विकास निगम की स्थापना की है। अन्य फलों के लिए ऐसे निगम की स्थापना विचाराधीन है। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से सेबों की बिक्री के लिए एक समन्वित परियोजना शुरू की गई है। सेब उगाने वाले अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जाएगा।

सड़ने वाले फलों को डिब्बों में बन्द करने का काम देश में पहली बार शुरू किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक टैकनोलाजी इस्तेमाल की जाएगी।

उद्यान विकास परिषद् की स्थापना जून, 1969 में की गई। यह परिषद् केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और उनके विकास की सिफारिशें करती है।

लघु उद्योग निगम

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किश्तों पर खरीद के आधार पर मशीनें सप्लाई करने की शर्तों में 1 अप्रैल से परिवर्तन कर दिए हैं।

नई शर्तों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों और प्रौद्योगिकीविदों को दूसरे उद्योगों के मुकाबले रियायतें दी जाएंगी। पिछड़े क्षेत्र के उद्योगों और प्रौद्योगिकीविदों से पहली किश्त में कुल मूल्य का 10 प्रतिशत और दूसरों से 15 प्रतिशत लिया जाएगा। इसी प्रकार ब्याज की दर भी क्रमश: 9 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत होगी। इसके अलावा, किश्तों में खरीद की किश्तों की समय पर अदायगी के लिए 2 प्रतिशत छूट दी जाएगी। आयातित मशीनों की जांच आदि के लिए दर 4 प्रतिशत और स्वदेशी मशीनों के लिए 2 प्रतिशत होगी।

भेड़ों की उन्नत नस्ल

सोवियत संघ और भारत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अन्तर्गत भेड़ों की नस्ल सुधारने के दो फार्म, बकरियों की उन्नत नस्ल के लिए एक फार्म और चुकन्दर की उन्नतिशील खेती के लिए एक अन्य फार्म रूसी सहयोग से खोले जाएंगे।

इस समझौते पर सोवियत संघ की ओर से कृषि मंत्रालय के विभागाध्यक्ष डाक्टर एल० स्टेफनियोव और भारत के कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ई० जी० नायडू ने हस्ताक्षर किए।

डाक्टर स्टेफनियोव के नेतृत्व में आए रूसी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा की समाप्ति पर उक्त समझौता दोनों देशों के मध्य हुआ है। इसके अधीन भारतीय वैज्ञानिकों एवं स्नातकोत्तर छात्रों को अनुसन्धान कार्यों का प्रशिक्षण रूसी विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा।

दस और योजनाएं

नई आवास योजनाओं के अन्तर्गत आगरा, भोपाल, हुबली और लखनऊ में विशेष रूप से पिछड़े लोगों को रियायती दरों पर मकान उपलब्ध किए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए आवास और नगर विकास निगम ने ऋण स्वीकृत किए हैं।

आगरा में फ्लैट 1,700 रु० की रियायती दर पर मिल सकेगा। भोपाल, हुबली और लखनऊ में फ्लैटों और मकानों का मूल्य लागत से भी कम होगा। प्रत्येक मकान पर 867 से 1,200 रु० की रियायत दी जाएगी।

निर्माण और आवास मंत्रालय के अन्तर्गत एक सरकारी प्रतिष्ठान, आवास और नगर विकास की हाल में हुई एक बैठक में सस्ते मकान की दस नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके अन्तर्गत चार करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जाएंगे।

आगामी तीन वर्षों में देश के 61 शहरों में 70 हजार से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा और लगभग 19 हजार प्लाटों का विकास किया जाएगा। ये मकान और प्लाट आर्थिक रूप से पिछड़े और निम्न आय वर्ग के लोगों को बेचे जाएंगे। □

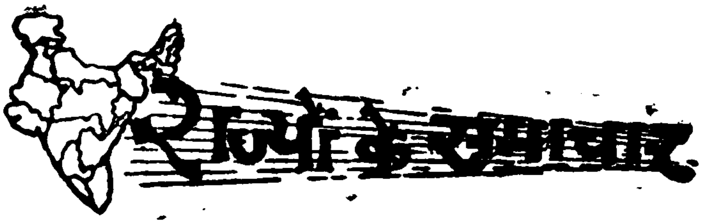

उत्तर प्रदेश

किसानों को ऋण

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक पंचम पांच वर्षीय योजना काल में राज्य के कृषकों को 200 करोड़ रुपये की सहायता दीर्घकालीन ऋण के रूप में देगा। इस धनराशि में से 160 करोड़ रुपये अल्प सिंचाई कार्यों के लिए जैसे नलकूप, पम्पसेट, रहट व पक्के कुएं आदि के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष धनराशि कृषि यन्त्रीकरण, बागवानी, भूमि संरक्षण आदि कार्यों के लिए निश्चित की गई है।

चतुर्थ योजनाकाल में बैंक ने लगभग 122 करोड़ रुपया कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण के रूप में वितरित किया है। इससे लगभग 3.50 लाख कृषक लाभान्वित हुए।

पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1974-75) में बैंक का लक्ष्य 35 करोड़ रुपये वितरित करने का है।

अनाज की वसूली

अनाज की वसूली और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।

मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली में क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रकों की नियुक्ति की जाएगी। यह खासकर इसलिए किया गया है कि सीमावर्ती इलाकों से पड़ोसी राज्यों में अनाज की तस्करी न हो। ये अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के होंगे।

राज्य में खाद्य क्षेत्रों की संख्या 7 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। नए क्षेत्र हैं झांसी, फैजाबाद और कुमायूं जिनका मुख्यालय हलद्वानी में होगा और चौथा क्षेत्र गढ़वाल होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने, वसूली बढ़ाने तथा तस्करी रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेटों (नागरिक आपूर्ति) के नए पद बनाए हैं।

ये अधिकारी प्रान्तीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी होंगे जो अपने जिलों में सभी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे तथा पूरा नागरिक आपूर्ति विभाग उनके नियन्त्रण में होगा। राज्य सरकार में भी खाद्य आयुक्त श्री बी० बी० टण्डन को सचिव का दर्जा दिया गया है।

इस वर्ष राज्य में 4.01 लाख टन चावल की वसूली हो चुकी है, जबकि संशोधित लक्ष्य 5 लाख टन का है। मोटे अनाजों की वसूली 76,126 टन है जबकि लक्ष्य डेढ़ लाख टन वसूली का है।

सौ नए भण्डारगृह

राज्य भण्डारागार निगम ने किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को वैज्ञानिक भण्डारण की अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 1974-75 में 10 नए भण्डारगृह बनवाने का निर्णय लिया है, जिनकी भण्डारण-क्षमता लगभग 20 हजार टन होगी। इनके निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

निगम ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सारे प्रदेश में 100 नए भण्डार गृह बनवाने का लक्ष्य रखा है।

यह अनुमान लगाया गया है कि देश में कृषि उपज का लगभग 10 प्रतिशत भाग भलीभांति भण्डारण न हो सकने के कारण कीड़े-मकोड़ों, चूहों तथा सीलन आदि से नष्ट हो जाता है, इस हानि को रोकने में भण्डारगृह बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

सिंचाई परियोजनाएं

योजना आयोग ने प्रदेश के लिए दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें लखीमपुर खीरी जिले में अलीगंज सिंचाई परियोजना तथा सहारनपुर जिले में खारा नहर परियोजना का नाम है।

अलीगंज सिंचाई परियोजना 3.81 करोड़ रुपये तथा खारा नहर परियोजना 2.65 करोड़ रुपये लागत की हैं।

अलीगंज सिंचाई परियोजना द्वारा 84,400 हैक्टेयर तथा खारा नहर परियोजना द्वारा 16,100 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है।

गुजरात

उर्वरक कारखाने

अहमदाबाद में यान्त्रिक तरीके से कम्पोस्ट खाद बनाने का एक कारखाना इस वर्ष के अन्त तक लग जाएगा। इस कारखाने के निर्माण पर 50 लाख रुपये खर्च होंगे।

इस सम्बन्ध में गुजरात कृषि उद्योग निगम ने कच्चे माल की आवश्यक सप्लाई के लिए नगरपालिका से एक लम्बी अवधि का समझौता किया है। इस प्रकार के अन्य कारखाने बाद में सूरत व राजकोट में भी खोले जाएंगे।

मध्य प्रदेश

कृषि के लिए धन

राज्य सरकार ने वार्षिक विकास योजना 1974-75 के लिए 80 करोड़ रु० के प्रावधान में से जिलों को धनराशियों का आबण्टन किया है। इसमें से कृषि के लिए 1,116.57 लाख रु० आबण्टित किए गए हैं।

अन्य आबण्टित राशियां (लाख रुपये में) इस प्रकार हैं—पशु पालन 89.37, दुग्ध व्यावसाय 60.83, मत्स्योद्योग 50.74, भूमि सुधार 76.02, सामुदायिक विकास 56.001, पंचायतें 51.000, सड़कें 293.98, महाविद्यालयीन शिक्षा 48.69, समाज शिक्षा 8.00, युवक कल्याण 10.00, तकनीकी शिक्षा 55.00, स्वास्थ्य 259.85, ग्राम जल प्रदाय 373.58, नगर जल प्रदाय 251.34, नगर भूमि विकास 67.50, पिछड़े वर्गों का कल्याण 245.61, तथा समाज कल्याण 18.97। राज्य की वार्षिक योजना 1974-75 की व्यय राशि 162 करोड़ रु० है।

कृषि उत्पादन

धार जिले के कृषि विभाग द्वारा किसानों में रासायनिक खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। इस वर्ष कुक्षी तहसील में बाजरा की फसल के 40 प्रदर्शन प्लाट डाले गए जिनमें एक एकड़ में प्रदर्शन तथा एक एकड़ में कन्ट्रोल प्लाट रखा गया था। प्रदर्शन प्लाट में रासायनिक खाद तथा पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग किया गया। कन्ट्रोल प्लाट में रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया।

फसल कटाई के परिणामों के आधार पर प्रदर्शन प्लाट का उत्पादन 394 किलो प्रति एकड़ रहा जबकि कन्ट्रोल प्लाट का उत्पादन केवल 185 किलो प्रति एकड़ रहा। इस प्रकार रासायनिक खाद एवं पौध संरक्षण औषधियों के प्रयोग से 210 किलो प्रति एकड़ अतिरिक्त उत्पादन हुआ। जिले के कृषकों में इस प्रयोग का अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब जिले के कृषकों में रासायनिक खाद एवं संरक्षण औषधियों के अधिकाधिक प्रयोग की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं।

राजस्थान

त्वरित रोजगार योजना

सिरोही जिले में चल रही त्वरित रोजगार योजना के अधीन, अब तक 44 किलोमीटर लम्बी सड़क पूरी की जा चुकी है।

चालू वर्ष के दौरान 5.30 लाख रुपये की स्वीकृति से 13 विभिन्न स्थलों पर कार्य चलाए गए थे जिनमें से 9 स्थानों पर कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा शेष 4 पर कार्य युद्धस्तर पर प्रगति कर रहे हैं। अब तक साढ़े चार लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है तथा औसतन 2 हजार श्रमिकों को रोजगार भी सुलभ हो रहा है।

पेयजल की व्यवस्था

राजस्थान की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल 3,836 गांवों को पीने का पानी विभिन्न योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

पांचवीं योजना के अन्त तक प्राथमिक अनुमानों के अनुसार 8,330 ग्राम ऐसे रह जाएंगे जिनमें पीने का पानी या तो उपलब्ध नहीं होगा अथवा खारा होगा।

राज्य के समस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1971 की मूल्य सूची के अनुसार 201 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। आपने बताया कि चौथी योजना में पीने का पानी उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनाओं के लिए 34 करोड़ रु० का प्रावधान था जबकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 58 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है।

सहकारी प्रयास

अजमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को गत सहकार वर्ष में अजमेर नगर में दूध वितरण से लगभग 13 हजार रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है।

यह दुग्ध उत्पादक संघ प्रतिदिन जिले में 65 गांवों की 30 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से पांच हजार लिटर दूध प्राप्त कर अजमेर नगर में उपभोक्ताओं को 1.45 रुपया प्रति लिटर के हिसाब से 4 प्रतिशत चिकनाईयुक्त दूध उपलब्ध करवाता है। इसके लिए नगर में उसने 26 दुग्ध बूथ स्थापित कर रखे हैं।

इस दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा ठण्डा करके हर दूसरे दिन पांच हजार पांच सौ लिटर दूध जयपुर डेयरी को भी उपलब्ध कराया जाता है।

एक प्रवक्ता के अनुसार दूध ठण्डा करने वाले संयन्त्र द्वारा कार्य प्रारम्भ कर देने के पश्चात् यह दुग्ध उत्पादक संघ प्रतिदिन 25 हजार लिटर दूध उपलब्ध करा सकने में समर्थ हो सकेगा।

बहुफसली कार्यक्रम, क्यों और कैसे

कुसुम बाजपेयी

कृषि के क्षेत्र में नई क्रान्ति लाने में जिन कार्यक्रमों का योग रहा है, उनमें बहुफसली कार्यक्रम भी एक है। अपर्याप्त सिंचाई-व्यवस्था जैसे कारणों से यह कार्यक्रम पूरे देश में बड़े पैमाने पर नहीं चलाया जा सका है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक या दो फसल ही उगाई जाती हैं। वैसे, एक साल में दो से अधिक फसल उगाने पर बहुफसली खेती की संज्ञा दी जाती है।

उष्ण-कटिबन्धीय क्षेत्र होने के कारण भारत भू-भाग की जलवायु भौगोलिक दृष्टि से तो सालों तक खेती के उपयुक्त है। साथ ही, भारत जैसे देश की कृषि-अर्थव्यवस्था के लिए बहुफसली कार्यक्रम एक आवश्यकता है। हमारे देश के अधिकांश किसानों के पास पांच हैक्टेयर से कम जमीन है। इन कारणों से गांवों में बड़े पैमाने पर बेकारी है, जिसे दूर करने के लिए जरूरी है कि वहां सालों भर खेती की व्यवस्था हो। इसके लिए बहुफसली कार्यक्रम ही एकमात्र विकल्प है।

बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि की उत्पादन क्षमता को हानि पहुंचाए बगैर उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों का क्रम वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किया जाता है। इसके बावजूद बहुफसली कार्यक्रम की सफलता सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से हमारा देश इस कार्यक्रम को लागू करने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहां सिंचित भूमि का प्रतिशत बहुत कम है।

हमारे देश में कुल 14 करोड़ हैक्टेयर भूमि में खेती होती है जिसमें सिंचित भूमि केवल सवा तीन करोड़ हैक्टेयर है। इसी प्रकार लगभग ढाई करोड़ हैक्टेयर भूमि में एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं। इसमें सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है।

हमारे यहां बहुफसली कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य 1966 में भारतीय भूमि अनुसन्धान परिषद ने किया था। वैसे साल डेढ़ साल बाद जब नई कृषि नीति अपनाई गई तो यह कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

चौथी योजना में 1 करोड़ 60 लाख हैक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम लागू करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि चार वर्ष में ही 1 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर भूमि में यह कार्यक्रम लागू किया जा चुका था। पांचवीं योजना का कार्यक्रम इसी सफलता के आधार पर तय किया गया है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बहुफसली कार्यक्रम के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अत्यन्त जरूरी है। सबसे पहला है क्षेत्र का चुनाव। बहुफसली खेती के लिए क्षेत्र का चुनाव करते समय यह देखना होगा कि वहां सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं। साथ ही, उस क्षेत्र में बीज, खाद, कीड़ामार दवाइयां आदि की सप्लाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभिन्न फसलें उगाई जाएं, उनमें एक जरूर फलीदार हो। इसके अलावा, विभिन्न फसलों के जड़ की रचना भी अलग-अलग ढंग की होनी चाहिए। इससे पौधों को मिलने वाला पोषक तत्व मिट्टी के विभिन्न स्तरों से प्राप्त होता है।

इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनेक फसलों में से कुछेक ऐसी हों जो बहुत ही कम समय में तैयार हो सकें। जो फसलें उगाई जाएं वे सभी एक ही तरह के रोगों व कीटाणुओं से ग्रस्त होने वाली न हों।

कृषि क्रान्ति के क्षेत्र में बहुफसली कार्यक्रम का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इससे कृषि उत्पादन की धारणा व विचारधारा में आमूल परिवर्तन हुआ है। अब तक उत्पादकता का मापदण्ड खेती की भूमि का क्षेत्रफल होता था। अब यह भी देखा जाने लगा है कि फसल कितने समय में तैयार हुई। कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में वार्षिक कृषि उत्पादन का मूल्यांकन अब प्रति हैक्टेयर, प्रति दिन और प्रति क्युसेक (घनसेंटीमीटर प्रति सैकेण्ड) के हिसाब से होता है।

□

सी-20 रमेश नगर,
(डबल स्टोरी)
नई दिल्ली-15

[सामुदायिक विकास के कर्णधार ... आवरण II का शेषांश]

कि वे वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनकर समाज सेवा और देशसेवा करना चाहते थे। उधर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, अतः ग्रामसेवक की परीक्षा दी और फिर इसी क्षेत्र में आ गए। वे इस कार्य से भी पूर्णतः सन्तुष्ट हैं। इनका कथन है कि यह भी तो सेवाकार्य ही है।

अपने क्षेत्र की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने 34 कृषि प्रदर्शन आयोजित किए और 58 हैक्टेयर भूमि पर पहली बार सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। 250 हैक्टेयर भूमि पर दो या तीन फसलें भी ली गईं। खरीफ के मौसम में 1,310 हैक्टेयर पर अधिक उपज देने वाले बीज बोए गए और रबी में 7.5 हैक्टेयर पर बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में बोई गईं। पांच व्यक्तियों को प्रोत्साहित करके मुर्गीपालन के धन्धे में लगाया। पांच युवक क्लब और दो महिला मण्डल भी गठित किए।

सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेविका का प्रथम पुरस्कार जीता है 33 वर्षीय श्रीमती अजित कौर ने। ये 10 वर्ष से ग्रामसेविका का काम कर रही हैं और पिछले 4 वर्षों से पंजाब के नूरमहल विकास-खण्ड में नियुक्त हैं। इनके कार्यक्षेत्र में तीन गांव आते हैं जिनकी जनसंख्या 1,471 है।

श्रीमती कौर का मत है कि पुरुष खेतों पर काम करें और महिलाएं भी परिवार की आय बढ़ाने में योग दे सकती हैं। इसके लिए उनको बीजों को सुरक्षित रखना, कम्पोस्ट तैयार करना और अनाज का भण्डारण आदि सीखना होगा। उनका काम करने का समय वैसे तो सवेरे 9 बजे से सायं 5 बजे तक है पर वे अतिरिक्त समय में भी उसी लगन और निष्ठा से कार्य करती है। उनके क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ी है, महिलाएं परिवार नियोजन को समझी हैं और लोगों की खाने की आदतों में सुधार आया है।

उन्होंने पोषाहार सम्बन्धी 119 प्रदर्शन आयोजित किए तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी 112 गोष्ठियां आयोजित कीं। उन्होंने खाना पकाने की तीन नई विधियां समझाईं जिन्हें 344 [illegible]रिवारों ने अपनाया है। 18 महिलाओं को कपड़े सीने का [illegible]शिक्षण दिया। उन्होंने बालवाड़ी का भी गठन किया और [illegible]हिला मण्डल के अन्तर्गत महिलाओं को एक दौरे पर भी ले गईं।

सर्वश्रेष्ठ ग्रामसेवक का द्वितीय पुरस्कार पूरन दास रतन [illegible] मिला। 44 वर्षीय श्री रतन 20 वर्ष से ग्रामसेवक का काम [illegible] रहे हैं। लगभग साढ़े चार वर्ष से वे हिमाचल प्रदेश के [illegible]ा साहिब खण्ड में हैं। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में अधिकांश कृषक अनपढ़ हैं, अतः उन्हें समझाने का सबसे अच्छा तरीका प्रदर्शनों का आयोजन करना ही है। वे किसानों को सफल कृषकों के उन्नत फार्मों पर ले जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि उन्नत बीज, खाद आदि का प्रयोग करने से कितना लाभ होता है। श्री रतन ने किसानों को सब्जियां उगाने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया और उन्हें भण्डारण के तरीकों की जानकारी दी। फलों और सब्जियों की डिब्बाबन्दी के बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए वे किसानों को हिमाचल प्रदेश फ्रूट कैनिंग यूनिट, घौलाकुंआ, जिला सिरमौर पर ले गए। उन्होंने छोटे-मोटे घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

कुमारी वाई० बिमोला देवी ने ग्रामसेविका का द्वितीय पुरस्कार जीता। वे मणिपुर के इम्फाल पश्चिम-1 खण्ड में काम कर रही हैं। वे अभी केवल 29 वर्ष की हैं और उन्हें इस काम को करते हुए कुल 6 वर्ष हुए हैं। उनके कार्यक्षेत्र में 47 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 21,103 है। जब मैंने उनसे उनके क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पोषाहार कार्यक्रमों से सम्बन्धित 100 प्रदर्शन आयोजित किए और खाना पकाने के पांच नए तरीके समझाए जिन्हें 379 परिवारों ने अपनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र और बच्चों के लिए 16 बालवाड़ी केन्द्रों का विकास कराया। उन्होंने 225 युवतियों को साक्षर बनने में मदद की। महिला मण्डल के अन्तर्गत वे महिलाओं को थानबल खण्ड और चूराचान-पुर खाड में घुमाने के लिए भी ले गईं। अल्प बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्होंने अपने क्षेत्र में 15 सहकारियों में 350 महिला सदस्य बनाए तथा 10,500 रु० का शेयर पूंजी जुटाई।

दिल्ली के महरौली विकास खण्ड के छत्तरपुर गांव के ग्रामसेवक श्री समरसिंह मान को केन्द्र-शासित प्रदेश स्तर पर प्रथम चुना गया। वे तीन साल से इसी खण्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भूमिहीन श्रमिकों को डेयरीपालन और मुर्गीपालन जैसे धन्धे शुरू कराने के लिए मैंने ऋण दिलाए हैं। वे चर्चा मण्डलों, युवक क्लबों और उन्नत कृषकों की गोष्ठियों में नई-नई खोजों की जानकारी देते हैं। श्री मान ने कई कृषि प्रदर्शन आयोजित किए।

पांडिचेरी के पांडिचेरी-विलियानुर खण्ड के श्री जी०सीतारामन को केन्द्रशासित प्रदेश-स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला। 48 वर्षीय श्री सीतारामन 15 वर्ष से ग्रामसेवक का काम कर रहे हैं। इस समय वे जी० एन० पालयम क्षेत्र में हैं जिसके अन्तर्गत 9 गांव हैं और वहां की जनसंख्या 4,733 है।

श्री सी० जी० रोहित को सान्त्वना पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में काम शुरू किया और अब उन्हें यह काम करते हुए 8 वर्ष हो गए हैं। वे इस समय दादरा और नगर हवेली के सिलववस्सा क्षेत्र में नियुक्त हैं। उनके क्षेत्र में 10 गांव आते हैं और वहां की कुल जनसंख्या 18,900 है।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा कि सामाजिक उन्नति के लिए प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना होगा और इसके लिए वैज्ञानिकों और तक-नीशियनों को सरकार को सहयोग देना होगा। इन वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों और नए उन्नत तरीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य ग्रामसेवकों और ग्रामसे-विकाओं को करना होगा। ग्रामसेवक किसानों को नए उर्वरकों के साथ साथ पुराने चले आ रहे परम्परागत तरीकों को भी इस्तेमाल करने के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं।

सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री के० एन० चन्ना ने पुरस्कार विजेताओं के चुनने के तरीके की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और उनसे इसी लगन और मेहनत से काम करने का आग्रह किया।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, लाइब्रेरी रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. (D) D/98

पूसा में कृषि विज्ञान मेला □ पी० विश्वनाथ राव

इस वर्ष जो कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में लगाया गया उसका विषय था—"उर्वरकों का किफायती प्रयोग" अधिकतर स्टालों में इस विषय पर ही जोर दिया गया था। इन स्टालों को देखकर मेले में आने वालों को उर्वरक का किफायती प्रयोग करने के बहुत से तरीकों का पता लगा।

मेले में लगे एक स्टाल में यह दिखाया गया था कि उर्वरक के साथ नत्रजन (यूरिया) का सम्मिलित प्रयोग करने में लागत बहुत कम आती है। एक अन्य स्टाल पर दिखाया गया था कि दालों के बीजों को 'रिजोबियम' से उपचारित कर लिया जाए तो वातावरण का नत्रजन अधिक मात्रा में पौधे तक पहुंचता है और उर्वरक की कमी को पूरा करता है।

एक स्टाल पर दिखाया गया था कि धान की फसल में नीली-हरी काई (शेवाल) भी उर्वरक की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। यह काई वातावरण से नत्रजन खींचकर भूमि में पहुंचाती है। उर्वरक में किफायत करने के लिए प्रदर्शित सबसे दिलचस्प तरीका था नीम की खली की कोटिंग वाली उर्वरक की गोली का प्रयोग। इसके अनुसार रासायनिक उर्वरक को नीम या करंज के तेल की खली के साथ मिला कर इस्तेमाल करने से लागत में काफी कमी की जा सकती है।

ट्रिटिकेल किस्म और अन्य किस्मों के गेहूं, सरसों और अन्य फसलों के प्रदर्शन-प्लाट भी थे। ट्रिटिकेल गेहूं और राई की संकरित किस्म है और कम-उर्वरक मिट्टी में बोई जाती है।

एक स्टाल पर सूरजमुखी की उपज लेने का प्रदशन किया गया था। सूरजमुखी की फसल का कोई मौसम नहीं होता और यह वर्ष में कभी भी बोई जा सकती है तथा 110 से 120 दिनों के भीतर फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा विकसित की गई धान की दो किस्में—पूसा-2-21 और उन्नत साबरमती भी दिखाई गई थीं। पूसा-2-21 बहुत जल्दी पक जाती है और बहुफसली कार्यक्रम के लिए उपयोगी है।

एक स्टाल पर तिनकों की जमीन पर कुकुरमुत्ता की खेती का प्रदर्शन किया गया था। कुकुरमुत्ता 16 रु० से 20 रु० प्रति किलो तक बिक जाता है और इसकी काफी मांग है।

बारानी खेती की तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया था। साथ ही, पूसा बैसाखी मूंग, अरहर, प्याज, आम, अमरूद, कपास तथा अंगूर आदि की अधिक उपज देने वाली और जल्दी तैयार होने वाली फसलों का भी प्रदर्शन किया गया था।

सस्ते और सुरक्षित भण्डारण-कोठे उपलब्ध होने से किसान अपनी फसल को कीड़ों से और वातावरण के परिवर्तनों से सुरक्षित रख सकते हैं और इस प्रकार होने वाली हानियां भी कम हो जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसन्धान ने पूसा-बिन तैयार किया है। यह ईंट, गारे और पोलीथीन की चादरों से बनता है। दो विभिन्न आकारों के पूसा-बिन (कोठे) दिखाए गए थे। 500 किलोग्राम भण्डारण क्षमता वाले कोठे की कीमत केवल 45 रुपये है। एक हजार किलोग्राम क्षमता वाले धातु के बने कोठे की कीमत 320 रु० से 400 रु० तक है। इस कोठे में हवा नहीं जा पाती है और इसकी विशेषता यह है कि यह नमी को भी अन्दर जाने से रोकता है।

"सीलर ड्राईयर" की मदद से किसान अपनी फसल को पकते ही काट सकता है। 1,300 किलोग्राम क्षमता वाले इस 'ड्राईयर' के साथ 'ब्लोअर' भी होता है और इसकी कीमत 900 रुपये है।

मेले का सबसे बड़ा आकर्षण था गोबर गैस संयन्त्र। ऊर्जा अभाव के इन दिनों में यह गोबर गैस संयन्त्र ईंधन बचाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन परिवारों 4-5 पशु हैं, वहां यह संयन्त्र लगाया सकता है। इससे 4-5 व्यक्तियों के परिवार के लिए रोजमर्रा का ईंधन मिल जाता है। इसमें जलने वाले गोबर के वजन के दो-तिहाई वजन का खाद भी मिल जाता है।

इस बार मेले में एक नई बात यह थी कि किसानों ने भाषण दिया और वैज्ञानिकों ने उनको सुना। देश भर में से चुने हुए सफल कृषकों को प्रोफेसरों के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के बारे में बताया।